लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

सातवां सत्र
[Seventh Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 31.1.84
Parliament Library

[खंड 29 में अंक 51 से 62 तक हैं
Vol. XXIX contains 51-62]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—61, गुरुवार, 15 मई, 1969/25 वैशाख, 1891 (शक)
No.—61, Thursday, May 15, 1969/Vaisakha 25, 1891 (Saka)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण — Member Sworn

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1711.	दिल्ली में गौ-हत्या तथा गोमांस के प्रयोग पर प्रतिबंध — Ban on Cow slaughter and use of Beef in Delhi	1—4
1712.	वीर सावरकर की स्मृति में डाक टिकट का जारी करना — Commemorative Stamp on Vir Savarkar	4—6
1713.	अनाज के विक्रय मूल्य — Sale Price of Foodgrains	6—10
1714.	नैनीताल जिले में गूलरभोज गोसदन के विरुद्ध शिकायतें — Complaints against Goolarbhoj Go-Sadan in Nainital District	10—13
1715.	बेरोजगारी संबंधी स्थिति — Unemployment Position	13—17
1716.	केन्द्रीय भाण्डागार निगम — Central Warehousing Corporation	17—18

अल्प-सूचना प्रश्न — SHORT NOTICE QUESTION

27.	प्रैस सूचना विभाग में चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करना — Confirmation of Tempory Class IV employees in Press Information Bureau	18—21

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1717.	दिल्ली में दुधारू पशु खरीदने के लिए पशु पालकों को ऋण — Loans to Breeders for purchasing Milch Animals in Delhi	21

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1718.	भूमि सुधार Agrarian reforms	21—22
1719.	टेलीविजन पर वाणिज्यिक प्रसारण Commercial Broadcasts over Television	22
1720.	पशु बीमा योजना Cattle Insurance Scheme	22
1721.	गो-रक्षा समिति को समाप्त करना Scrapping of Cow Protection Committee	23
1722.	फिल्मों के लिए विदेशी मुद्रा Foreign Exchange for Films	23—24
1723.	आकाशवाणी द्वारा समाचारों का देरी से प्रसारित किया जाना Late Broadcast of News by A.I.R.	24
1724.	समाचार-पत्रों में अश्लीलता Obscenity in Newspapers	24—25
1725.	कृषि इंजीनियरों का प्रशिक्षण Training of Agricultural Engineers	25
1726.	गांधी शताब्दी पर बुद्ध की प्रतिमा वाले डाक टिकट जारी करना Issue of Postage Stamps bearing image of Budha on Gandhi centenary	25—26
1727.	उत्तर प्रदेश में कृषि का विकास Agricultural Development in U.P.	26
1728.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सपरेटा के अपभाजित् दुग्ध-चूर्ण की बिक्री Disposal of sweepings skimmed Milk Powder by Delhi Milk Scheme	26—27
1729.	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक Central Rice Research Institute, Cuttack	27
1730.	कार्यात्मक आधार पर बनों का सीमांकन Demarcation of forestson functional basis	28
1731.	आकाशवाणी के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार के सुझाव West Bengal Government's suggestions on A.I.R.	28—29
1732.	आसनसोल क्षेत्र में कोयला खानों में दुर्घटनायें Accidents in coal mines in Asansol Area	29
1733.	पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की योजनायें Plans for Rehabilitation of Displaced persons from East Pakistan	30

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1734. 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले मध्य प्रदेश रेलवे डाक सेवा विभाग के कर्मचारी	Employees of R.M.S. Deaprtment Madhya Pradesh who took part in September, 19, 1968 strike	30
1735. आकाशवाणी के पटना केन्द्र के तकनीकी कर्मचारियों के काम का समय	Duty hours of Technical Staff of A.I.R. station at Patna	31
1737. प्रैस आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Press Commission	31
1738. राज्यों को हस्तान्तरित की गई निष्कान्त सम्पत्ति वसूल करने वाली अन्य वसूल की जाने वाली राशि का मूल्य	Value of evacuee property and other Recoverable Dues transferred to States	32
1739. दिल्ली में सुपर बाजार के कर्मचारियों का धरना	'Dharna' by the Employees of Super Bazer, Delhi	32
1740. घरेलु कर्मचारी संघ, दिल्ली की मांगें	Demands of Domestic Workers' Union, Delhi	32—33
अतारांकित प्रश्न संख्या **U. S. Q. Nos.**		
9695. भारतीय खाद्य निगम द्वारा भोज्य तेल की चोर बाजार में बिक्री	Sale of edible oil in blackmarket by Food Corporation of India	33
9696. कपास की उपज में सुधरे हुए तरीकों का प्रयोग	Use of improved methods of production of Cotton	34
9697. मजूरी तथा मूल्य स्तर के लिए सूचकांक के आधार में एकरूपता का अभाव	Non-uniformity in base of Index number for wage and price level	34—35
9698. गोहत्या पर प्रतिबन्ध	Prohibition of cow slaughter	35—36
9699. आकाशवाणी की अनुलेखन तथा कार्यक्रम विनिमय सेवा में चोरी	Thefts in tarnscription and programme Exchange service	36—37
9700. आकाशवाणी से डोगरी भाषा में कार्यक्रम	A. I. R. Programme in Dogri	37—38

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
9701. बेमौसमी वर्षा के कारण रबी की फसल और बगीचों को हुई क्षति	Damage caused to Rabi Crops and Orchards due to unusual Rains	38
9702. अभ्रक की खानों में आयुर्वेदिक तथा यूनानी पद्धति	'Vaidya' and 'Unani' systems of Medicines in Mica Mines	38—39
9703. भारतीय वनों के मानचित्र तथा एटलेंसें	Maps and Atlases of Iadian forests	39
9704. वन क्षेत्र के लक्ष्य में कमी	Shortfall in target of Forest Area	39—40
9705. खुले माल डिब्बों में अनाज का परिवहन	Transport of Foodgrains in open wagons	40—41
9706. वन संबंधी आंकड़े	Statistical data of Forestry	41—42
9707. हिमालय पर्वत क्षेत्र के वनों का उपयोग	Exploitation of forests in Himalayan Regions	42
9708. सिन्धियों को भूमि का आवंटन	Allotment of land to Sindhis	42—43
9709. समाचार पत्रों के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि	Accredited Press Representatives	43
9710. सेंट्रल ट्रंक एक्सचेंज, नई दिल्ली में महिला टेलीफोन आपरेटर	Lady telephone operators in Central Trunk Exchange, New Delhi	43—44
9711. सैंट्रल ट्रंक एक्सचेंज, नई दिल्ली में महिला टेलीफोन आपरेटर	Lady Telephone Operators in Central Trunk Exchange, New Delhi	44
9712. सूचना और प्रसारण मंत्रालय संबंधी पूरे न किये गये आश्वासन	Assurances pending with Ministry of Information and Broadcasting	45
9713. आकाशवाणी के मैकेनिकों की अर्हतायें	Qualifications of Mechanics in A.I.R.	45
9714. कृषि तथा लघु सिंचाई के लिए केरल केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Kerala for Agriculture and Minor Irrigation	45—46
9715. गेहूँ का उत्पादन तथा आयात	Production and Import of Wheat	46—47
9716. आटा मिलों का मूल्यांकन	Assessment of Flour Mills	47

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9717.	एक्सप्रैस तारों में देरी	Delay in Express Telegrams	48
9718.	किसानों को ट्रैक्टरों तथा अन्य कृषि उपकरणों की सप्लाई के लिए सेवा सहकारी समितियों की योजना	Scheme of Service Cooperative for supply of Tractors and other Agricultural Implements to Farmers	48
9719.	काश्मीर में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	Resettlement of Displaced persons in Kashmir	49
9720.	आलुओं का उत्पादन	Production of Potatoes	49
9721.	राजस्थान में पशु पक्षी	Wild Life in Rajasthan	50
9722.	शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Refugees	50—51
9723.	गो वध	Cow Slaughter	51
9724.	आकाशवाणी से स्थानीय समाचार	A. I. R. local News	51—52
9725.	नये ट्रांसमीटर स्टेशन	New Transmission Station	52
9726.	पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी	Refugees from East Pakistan	52—53
9727.	दिल्ली दुग्ध योजना के पास टेंकर	Tankers with Delhi Milk Scheme	53
9728.	दिल्ली दुग्ध योजना की सुरक्षा पर व्यय	Expenditure on Security of Delhi Milk Scheme	53
9729.	कोटा को डाक का भेजना	Sending of Mail to Kota	53
9730.	श्रमिकों की बढ़ती हुई बेरोजगारी	Increasing Unemployment of Labourers	54
9731.	बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connections in Burhanpur (M.P.)	54
9732.	मध्य प्रदेश में भू-संरक्षण	Soil Conservation in Madhya Pradesh	54
9733.	मध्य प्रदेश में खाद्यान्नों तथा वाणिज्यिक फसलों की उपज	Production of Foodgrains and Commercial Crops in M.P.	55
9734.	राजस्थान नहर क्षेत्र में वन विभाग के लिए भूमि का आरक्षण	Reservation of Land in Rajasthan Canal area for Forest Department	55
9735.	पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में गृह कार्य मंत्रालय के अनुदेश की क्रियान्विति	Implementation of the Instruction of the Ministry of Home Affairs regarding Reservation in Promotion	55

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9736.	अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के उम्मीदवारों की पदोन्नति	Promotion of employees belonging to Scheduled Castes/Tribes	56
9737.	नई दिल्ली में अतुलग्रोव चमरियों के लिए छत के पंखों की मंजूरी	Sanction of ceiling fans for Agulgrove Chummeries, New Delhi	56
9738.	मंत्रालयों में संयुक्त सचिव को सहायक अनुवादक देना	Attachment of Assistant Translator with Joint Secretary in the Ministry	56—57
9739.	मजदूर संघों के लिए स्वतन्त्रता	Freedom for Trade Unions	57
9740.	गन्ने और पटसन का उत्पादन	Production of sugarcane and Jute	58
9741.	खेतिहर मजदूरों की सहकारी समितियां	Co-operatives of Agricultural Labourer	58
9742.	दिल्ली में पब्लिक स्कूलों पर दुकान तथा वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम लागू करना	Extension of shops and commercial Act to Public Schools in Delhi	58—59
9743.	अनुसंधान कार्य में वैज्ञानिकों द्वारा भाग लिया जाना	Participation of Scientists in Research Work	59
9644.	नेपाल से चावल आयात करने पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Import of Rice from Nepal	59—60
9745.	गया जिले के अरवाल पुलिस स्टेशन में टेलीफोन एक्सचेंज	Telephone Exchange at Arwal Police Station in Gaya District	60
9746.	अरवल में टेलीफोन एक्सचेंज का खोला जाना	Opening of Telephone Exchange at Arwal	60—61
9747.	जहांबाद में टेलीफोन एक्सचेंज	Telephone Exchange at Jahanabad	61
9748.	टेंकरी (जिला गया) में टेलीफोन एक्सचेंज का खोला जाना	Opening of Telephone Exchange at Tekari (Dist. Gaya)	61
9749.	आकाशवाणी से विज्ञापन प्रसारण	Commercial Broadcasts on A.I.R.	62

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9750.	उत्तरों में असंसदीय तथा आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग	Unparliamentary and objectionable Expressions used in replies	62
9751.	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति	Re-employment of Officers in the Ministry of Food and Agriculture	63
9752.	सूरतगढ़ फार्म में बीजों का उत्पादन	Production of Seed at Suratgarh Farm	63
9753.	पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास	Resettlement of Migrants from East Pakistan	63—65
9754.	भारतीय राज्य क्षेत्रों को दर्शाने वाले डाक टिकट	Postage Stamps showing Indian Territories	66
9755.	हड़ताल करने वाले बिहार के शिक्षकों के बारे में समाचार	News about stricking Teachers of Bihar	66—67
9756.	उत्तर प्रदेश को चावल की सप्लाई	Supply of Rice to U.P.	67
9757.	उत्तर प्रदेश को उर्वरकों की सप्लाई	Supply to Fertilizers to U.P.	67—68
9758.	चौथी पंचवर्षीय योजना में टेलीविजन कार्यक्रम	Television programmes in Fourth Five Year Plan	68
9759.	झुंझनू जिला (राजस्थान) में डाक व तार कार्यालय	P. & T. Offices in Jhunjhunu Distt. (Rajasthan)	68—69
9760.	उत्तर प्रदेश में भाण्डागारों/-गोदामों पर व्यय	Amount spent on warehouses/godowns in U.P.	69
9761.	किसानों का एक दूसरे राज्य में आना जाना तथा यात्रा	Inter State Exchange and visits of Farmers	69—70
9762.	उद्योग में मशीनें लगाने सम्बन्धी समिति का गठन	Setting up of a Committee on Automation in Industry	70—71
9763.	अखिल भारतीय मिट्टी तथा भूमि प्रयोग सर्वेक्षण संगठन में फील्ड एसिस्टेंट	Fields Assistants in All India Soil and land Use survey Organisation	71
9764.	कृषि श्रमिक कल्याण संबंधी मालवीय समिति	Malaviya Committee on Agricultural Labour Welfare	72

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
9765. चिनार (वृक्ष) उगाना	Growing of Poplars	72—73
9766. वन क्षेत्र	Extent of Forest Area	73
9767. जोशीपुर और बदाम पहाड़ के बीच ट्रंक टेलीफोन लाइन	Trunk Line between Joshipur and Badampahar	73—74
9768. मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग निगम	Agro-Industries Corporation in M.P.	74
9769. नेपाल से चावल तथा धान का आयात	Import of Rice and Paddy for Nepal	74—75
9770. प्रादेशिक भाषाओं में कृषि विस्तार साहित्य	Agricultural Extension Literature in Regional Languages	75
9771. रत्तीबत्ती कोयला खान के मजदूरों को बौनस देना	Payment of Bonus to workers in Ratibati Colliery	75—76
9772. अनाज की वसूली करने में बिचौलिये	Middlemen in Procurement of Foodgrains	76—77
9773. मेन धेमो कोयला खान	Main Dhemo Colliery	77
9774. जमीदारी कृषि सहकार समिति दासलून (हिमांचल प्रदेश)	Zamindara Agriculture Cooperative Society, Dasloon, Himachal Pradesh	77—78
9775. आकाशवाणी के अभिलेखागार में राष्ट्रीय नेताओं के टेपों का दुरुपयोग	Misuse of Tapes of National Leaders in Archives of All India Radio	78—79
9776. राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीजों की बिक्री	Selling of seeds by National Seeds Corporation	79—80
9777. भारत पाक संघर्ष के कारण विस्थापित परिवारों को सहायता	Assistance to Families Displaced by Indo-Pak Conflict	80
9778. प्रयोगात्मक नलकूप संगठन का होशंगाबाद में लगाया गया 'रिग'	Exploratory Tubewells Organisation's Rig Stationed in Hosbangabad	81
9779. बिहार आदि में पम्पिंग सैटों का लगाना	Installation of pumping sets in Bihar etc.	81

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
9780. मुख्य धेमो कोयला खान के श्रमिकों द्वारा उपवास	Fast by the workers of main Dhemo Colliery	82
9781. चांदनी चौक में नया टेली-फोन एक्सचेंज	New Telephone Exchange at Chandni Chowk	82—83
9782. कुछ फिल्मों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमे	Cases against somefilms in Courts	83
9783. मनोरंजन कर से छूट दी गई फिल्में	Films Exempted from Entertainment Tax	83
9784. ट्रैक्टरों आदि की मरम्मत में प्रशिक्षण की सुविधायें	Training facilities in Repairing and Servicing of Tractors etc.	84
9785. प्रधान मंत्री द्वारा तमिल नाडु में सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा	Prime Minister's visit to drought affected areas in Tamilnadu	84—85
9786. बिहार में डाकघर	Post offices in Bihar	85—86
9787. दिल्ली में खाली पड़े प्लाटों का आवंटन	Allotment of plots lying vacant in Delhi	86
9788. भूमि बन्धक बैंकों द्वारा दीर्घकालीन ऋण दिया जाना	Release of long-term loans by Land Mortgage Banks	87
9789. राष्ट्रीय खाद्य बजट	National Food Budget	87
9790. मध्य प्रदेश में छोटी सिंचाई योजनायें	Small Irrigation Schemes in Madhya Pradesh	87—88
9791. मध्य प्रदेश में किसानों को बीजों की सप्लाई	Supply to seeds to Farmers in M.P.	88
9792. मनीपुर में कर्मचारियों के कल्याण के लिए उपाय	Welfare of workers in Manipur	88
9793. त्रिपुरा में बेरोजगारी	Unemployment in Tripura	89
9794. होटल उद्योग के लिए समान श्रमिक कानून	Uniform Labour Law for Hotel Industry	89
9795. दिल्ली में सब्जी मंडियों में दुकानों का कार्यकाल	Working of shops in vegetable Markets in Delhi	89—90
9796. फिल्म निर्माताओं को दी गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange given to Film Producers	90

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
9797. चलचित्र निर्माताओं के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Film Producers	90
9798. नौसैनिक जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा मछलियों संबंधी तटीय सर्वेक्षण।	Coastal Survey for Fisheries by Naval Hydrographic Organization	91
9799. देश में बने छोटे ट्रैक्टर	Baby Indigenous tractor	91
9800. निमाड़ी भाषा में कार्यक्रम	Programme in Nimadi Language	91—92
9801. पंजाब में सतुलुज क्षेत्र में केन्द्रीय फार्म	Central Farm in the Sutlej Area of Punjab	92
9802. विमान से बीज बोना और कीटनाशी दवाइयां छिड़कना	Aerial Showing of Seeds and Spraying of Pesticides	92—93
9803. मछली पकड़ने की मालपे बन्दरगाह	Malpe Fishing Harbour	93
9804. मनीपुर में अधिक उपज देने वाली फसल की भूमि	Land under High-yielding Variety Programme in Manipur	93
9805. मनीपुर को उर्वरकों का आवंटन	Allotment of Pertilizers to Manipur	93—94
9806. जटनीय (उड़ीसा) में नये टेलीफोन एक्सचेंज के लिए इमारत	Building for New Telephone Exchange at Jatni (Orissa)	94
9807. बम्बई में निर्मित चलचित्र	Films produced in Bombay	95
9808. मद्रास चलचित्र उद्योग द्वारा निर्मित चलचित्र	Films produced by Madras Film Industry	95—96
9809. सरकारी संस्थाओं के लिये नाम निर्देशन	Nominations to Government Bodies	96
9810. उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers	96—97
9811. त्रिपुरा में इमारती लकड़ी की उपलब्धता	Timber availiebility in Tripura	97
9812. अवस्थापन संगठन के फालतू कर्मचारी	Surplus Staff of Settlement Organization	97—98

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9813.	एक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना के लिए दिल्ली के अदगदा मुहल्ला के निवासियों को अन्यत्र ले जाना	Shifting of residents of Adgada Mohalla, Delhi to set up a Telephone Exchange	98
9814.	चीनी मिलों की स्थापना के अनिर्णीत आवेदनपत्र	Applications pending for establishment of sugar Mills	98—99
9815.	फरीदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन की कार्यवाही का टेलीविजन प्रसारण	Televising of proceedings of Congress Session at Faridabad	99
9816.	सेंट्रल होटल, माल, शिमला की नीलामी	Auction of Central Hotel, Mall, Simla	99—100
9817.	आकाशवाणी से पत्रकारों की वार्ता	Talks by Journalists on A.I.R.	101
9818.	दूर संचार के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण का ऋण	I.D.A. Loan for Tele-communications	101—102
9819.	मृत्यु राहत लाभ	Death Relief Benefit	102—103
9820.	उड़ीसा में सघन कृषि जिला कार्यक्रम	Intensive Agricultural District Programme in Orissa	103
9821.	वन्य जीव बोर्ड	Wild Life Board	103—104
9822.	परती भूमि के वितरण के लिए सहायता	Assistance for Distribution of Fallow Land	104
9823.	कच्ची पटसन का न्यूनतम मूल्य	Floor Price of Raw Jute	104
9824.	केन्द्रीय भण्डार से चावल तथा गेहूँ की सप्लाई पर राजसहायता	Subsidy on rice and wheat supplies from Central Stock	105
9825.	पोस्टल 'किंग' नामक उपकरण	'Postal King' Device	105—106
9826.	समुद्रजन्य खाद्य पदार्थों का निर्यात	Export of Sea Food	106
9827.	फिल्म कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया विविध भारती कार्यक्रम	Vivid Bharati Programme presented by Film Stars	107

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
9828. 'हाउ टू स्टील ए मिलियन' नामक चलचित्र पर प्रतिबन्ध	Banning of Film 'How to Steal a Million'	107
9829. विदेशी चलचित्रों पर प्रतिबंध	Banning of Foreign Films	108
9830. चलचित्र वित्त निगम द्वारा चलचित्र निर्माताओं को दिये गए ऋण	Loans given to Film producers by Film Finance Corporation	108
9831. हिन्दी तथा तमिल चलचित्र दिखाने की अनुमति न देना	Refusal of permission for Screening of Hindi and Tamil Films	108—109
9832. आकाशवाणी केन्द्र ग्वालियर से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम	Programmes from A.I.R. Station Gwalior	109
9833. पश्चिम बंगाल के लिए चीनी का कोटा	Sugar Quota for West Bengal	109—110
अतारांकित प्रश्न संख्या 1930 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to unstarred Question No. 1930	110
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	110—112
काश्मीर पठार के धंसने का समाचार	Reported Sinking of Kashmir Plateau	110
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	111
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	111
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	112—114
राष्ट्रपति (कृत्यों का निर्वहन) विधेयक	President (Discharge of Functions) Bill	114—117
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	114
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	116
श्री श्रीराज मेघराज जी धरगंधरा	Shri Sriraj Meghraj Ji Dhrangadhra	116
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	117
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	117
संसद भवन के सामने प्रदर्शनकारियों को पीटने के कथित समाचार के बारे में	Re. Alleged Beating up of Demonstrators in front of Parliament House	118—120
राष्ट्रपति (कृत्यों का निर्वहन) विधेयक, जारी	President (Discharge of Functions) Bill—Contd.	120—132

अता० प्र० संख्या विषय		पृष्ठ
U. S. Q. Nos.	Subject	Pages
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	120—121
श्री क० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	122
श्री स० कंडप्पन	Shri S. Kandappan	122—123
श्री मोहसिन	Shri Mohsin	123
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair	123—124
श्री रा० ढो० भंडारे	Shri R. D. Bhandare	124—125
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	125—126
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	126
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	126—127
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai	127—129
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	129—130
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y, B. Chavan	130—132
खण्ड 2, 3 तथा 1	Clauses 2, 3, and 1	132—142
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	140
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	141
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra	141
श्री योगेन्द्र शर्मा	Shri Yogendra Sharma	142
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	142
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	142—145
संसद भवन के निकट प्रदर्शकारियों की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य	Statement Re. arrest of Demonstrators near Parliament House	145
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	145

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 15 मई, 1969/25 वैशाख, 1891 (शक)
Thursday, May 15, 1969/Vaisakha 25, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सदस्य द्वारा शपथग्रहण
MEMBER SWORN

श्री वी० के० कृष्ण मेनन (मिदनापुर)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Ban on Cow Slaughter and Use of Beef in Delhi

+

*1711. **Shri Shri Gopal Saboo :** **Shri J. B. Singh :**
Shri Onkar Singh : **Shri Sharda Nand :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whegher it is a fact that the Delhi Metropolitan Council has sent a Resolution passed by it demanding a total ban on the cow slaughter throughout Delhi ;

(b) the date when the resolution was sent and the action taken thereon ;

(c) whether Government would impose a total ban on using beef in Delhi ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

जी हां। दिल्ली प्रशासन ने भारत सरकार को 16-12-1967 को दिल्ली गो रक्षा विधेयक 1967 में भेजा था, जिसे महानगर परिषद् ने अपनी 14-11-67 की बैठक में पास किया था। इस विधेयक में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में गायों के वध पर, जिसमें प्रत्येक आयु के खंड और बल भी सम्मिलित हैं, चाहे वे दूध देने, प्रजनन या भार ढोने के पशु के रूप में कार्य करने के अयोग्य भी हों, प्रतिबन्ध लगाने की मांग की गई थी। इस विधेयक का मसौदा भेजते समय दिल्ली प्रशासन ने सर्वोच्च न्यायालय के मोहम्मद हनीफ़ और अन्य बनाम बिहार के राज्य के 1959 के निर्णय का वर्णन किया था और सिफारिश की थी कि गोवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। प्रस्तावित प्रतिबन्ध असंविधानिक होगा। गोमांस के उपयोग पर पूर्ण रोक, जैसा कि दिल्ली गोरक्षा विधेयक में निहित है, एक अनुचित रोक लागू करना होगा, जो संविधान की धारा 19 (1) (जी) के प्रतिकूल होगी। केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया था कि दिल्ली प्रशासन की इस सिफारिश पर गोरक्षा समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात विचार किया जायेगा, जोकि गो रक्षा के सब पहलुओं पर विचार कर रही थी।

Shri Shri Gopal Saboo : It is observed from the statement that the Recommendation made by Delhi Administration would be considered on receipt of the report of cow Protection committee. I would like to ask the hon'ble Minister that in view the fact that many members of Cow Protection Committee have resigned and its work is very slow, whether the recommendations of Delhi Administration would he accepted and total ban on beef will be imposed without waiting for the Report ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : गोरक्षा समिति अभी है। हम चाहते हैं कि जो सदस्य समिति से निकल गये हैं, वे फिर वापिस आकर सहयोग करें, जिससे समिति के प्रतिवेदन को यथाशीघ्र अन्तिम रूप दिया जा सके।

Shri Shri Gopal Saboo : Have they given any suggestions to withdraw the resignations to the members who had resigned.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमने समिति से अपील की थी। मैं सभा में भी उनसे अपील करता हूं कि वे इस मामले में सहयोग करें।

Shri Sharda Nand : It has been stated in the reply to this question that constitution has to be amended. I want to know the difficulty in amending the constitution as the same has been amended many a time in the past.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जैसाकि सभा को जानकारी है, इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए ही समिति को नियुक्त किया गया था। समिति की सलाह उपलब्ध होने पर सरकार और इस सभा के लिये निर्णय करना सम्भव होगा।

Shri Ram Gopal Shalwale : May I know the difficulty in accepting the Resolution adopted Unamimously by the Delhi Metropolitan Council ? Shri Jagjiwan Ram had assured in his letter dated 25-5-66 that the Committee would consider the view of sarvdaleeya Gorakhsha Mahabhiyan Samiti and others in order to impose total ban on the Slaughter cow progeny and in view of this I want to know that when Shri Jagjiwan Ram had assured that total ban will be imposed and he has also stated that the subject is in the State list and now when Metropolitan council had adopted and forwarded this Resolution, what is the difficulty

of the Central Government ? In case an amendment in the constitution is considered necessary whether Government would be prepared to amend the same ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह सच है कि यह राज्य का विषय है। परन्तु माननीय सदस्य की बात का उत्तर मैंने पहले दे दिया है।

Shri Ram Gopal Shalwale : When the State Government has adopted it then what is the difficulty ? Three members of the Committee have resigned and 27 persons have refused to record their witnesses. Government have betrayed the people, agitations and hunger strikes were got suspended and now they are evading the reply ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram) : It is for them to betroy the people. I still held same views which I had expressed earlier. None has resigned, they have withdrawn from Cow Protection Committee. I have written, requested and appealed to them that as this matter is of national importance, they should cooperate with the Committee on receipt of the report of committee, necessary action will be taken.

Shri Ram Gopal Shalwale : May I know the reasons as to why they have withdrawn from the Committee ?

डा० रानेन सेन : वर्ष 1953 में कुछ लोगों ने पश्चिम बंगाल में गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये वहां पर आंदोलन चलाया था। उन दिनों डा० बी० सी० राय ने विधान सभा में एक वक्तव्य दिया था और कहा था कि पश्चिम बंगाल गोहत्या पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायेगा। क्या कुछ अन्य राज्यों ने भी इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को लिखा है ? यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये सरकार क्यों उत्सुक है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : कुछ अन्य राज्य भी गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। जहाँ तक इस समस्या का सम्बन्ध है इस विषय पर सभा में पहले भी चर्चा हो चुकी है। इसी लिये सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक नियुक्त उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करना उचित समझा था। अब क्योंकि समिति इस मामले पर कर रही है, मेरे लिये इस संबंध में कुछ कहना उचित न होगा।

श्री मनुभाई पटेल : इस सम्बन्ध में संयुक्त मोर्चा सरकारों के क्या विचार हैं ? क्या उन्होंने अपनी राय बता दी है और यदि हाँ तो क्या ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : पश्चिम बंगाल और केरल की सरकारों ने स्पष्ट रूप से हमें पत्र लिखा है कि वे गोवध पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं।

श्री एस० कन्डप्पन : क्या सरकार दिल्ली प्रशासन को यह परामर्श देगी कि वह भारत की राजधानी दिल्ली नगर की प्रतिभा को खंडित न करे वह कोई ऐसा कदम न उठाये जिससे कुछ लोगों के सामने कठिनाई उपस्थित हो ? यदि कोई गोमांस खाने का अभ्यस्त है उसे ऐसा करने की अनुमति होनी चाहिए। जो राज्य सरकारें गोबध पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहती, क्या उन्हें सरकार आधुनिक ढंग के बूचड़खाने लगाने के लिए सहायता देने को तैयार है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य के विचार इस मामले पर विचार करने वाली समिति के पास भेज दिये जायेंगे।

श्री हेम बरुआ : भारत के एक तिहाई लोग गोमांस खाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए और पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य को ध्यान देते हुए सरकार किन विशेष कारणों से गोमांस खाने पर प्रतिबन्ध लगाना चाहती हैं ? क्या किसी हिन्दू शास्त्र या धर्म शास्त्र में गोमाँस खाने पर प्रतिबन्ध लगाने की बात लिखी है ? क्या सरकार धार्मिक नेताओं या भारत-विद्या शास्त्रियों की कोई समिति इस मामले में विचार करने के लिए नियुक्त करेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिंदे : इस मामले में संवैधानिक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। उच्चतम न्यायालय ने भी इस समस्या पर विचार किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि गोबध पर पूर्णतः रोक लगाना संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (छ) के प्रतिकूल होगा और इससे लोगों के किसी व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतन्त्रता पर अनुचित प्रतिबन्ध लगेगा।

Commemorative Stamp on Vir Savarkar

+

1712. **Shri Om Prakash Tyagi : **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to issue a stamp in the memory of Swatantrya Vir Savarkar ;

(b) if so, the time likely to be taken to issue the same ; and

(c) in case his name has not been included in the list, the reasons therefor ;

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Communications (Shri Sher Singh) : (a) to (c). The proposal will be considered during the next year.

Shri Om Prakash Tyagi : Every Minister of Government of India is in the habit of giving such replies that the matter would be considered. Vir Savarkar was a true patriot and patriotism and dedication of Vir Savarkar is no less than that of other important patriots. But he has not been honoured appropriately by our Government. So far no stamp has been issued in the memory of Vir Savarkar. May I know the reasons for not including his name in the list of those in the memory of whom the stamps are to be issued this year ?

Shri Sher Singh : The Philatelic Advisory Committee takes decision in this matter the proposal of his name was also sent to the committee. But his name was not included in this year's list. That is why I have total his name would be considered in 1970.

Shri Om Prakash Tyagi : I want to know its reasons.

Shri Sher Singh : His name was considered by the Philatelic Advisory Committee which decided not to issue a stamp in memory of Vir Savarkar this year.

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know the reasons sentioned by the Committee for not including his name in the list ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narain Sinha) : Ordinarily a commemorative stamp is issued in the name of those who complete one hundred years.

Shri Kanwar Lal Gupta : It is not true. I am prepared to challange it.

Shri Satya Narain Sinha : There are exception too. There can not be two opinions about the patriotism and dedication to the cause of country of Vir Savarkar. Next year a stamp will be issued in his memory.

Shri Om Prakash Tyagi : Is the Minister aware of the fact that there is a misunderstanding among the people that Government do not favour those who believed in armed revolution or violence for the attainment of freedom ? May I also know the names of those who played their role in the revolution for freedom and who have been honoured by way of issuing commemorative stamps in their memory or whose names have been included in the list of those who will be honoured this time ?

Shri Satya Narayan Sinha : I have not a list with me at this time. But I can give such names like Bhagat Singh and Subhash Chandra Bosh.

Shri Ram Swarup Vidyarathi : May I know the criterion of issuing commemorative stamps ; and whether the existing criterion does not favour Vir Savarkar for issue of a stamp in his memory ?

Shri Sher Singh : There are mainly four creteria with exceptions in certain cases. They are :

"(1) No proposal for the issue of commemorative stamps shall ordinarily be entertained unless 18 months' notice is given except in cases of special emergency ?

(2) No commemorative stamps shall ordinarily be issued for honouring an individual unless the occasion is the 100th anniversary, birth or death. Commemorative stamps may also be issued on the first or the 10th death anniversary.

(3) No commemorative stamps shall ordinarily be issued celebrating any event unless the occasion is the 50th year or centenary. Events of international character only should be considered for the issue of special stamps. Others should be commemorated by the issue of special cancellations only.

(4) Out of the 12 issues or more involving not more than 20 stamps and recommended by the Philatelic Advisory Committee to be brought out in a year, not more than four stamps should be commemoratives of personalities."

Shri Ram Swarup Vidyarthi : I have asked what prevents in the creteria to issue a commemorative the memory of Vir Savarkar.

अध्यक्ष महोदय : वह बता चुके हैं ।

श्री पें बंकटासुब्बया : क्या सरकार इस समूचे प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार करेगी कि वीर सावरकर जैसे लोग जो वास्तव में स्वतन्त्रा संग्राम में लड़ते रहे हैं, उनके नाम पर डाक टिकट जारी करके उन्हें सम्मानित किया जाये ? सौ वर्ष पूरे हो जाने का सिद्धान्त न बनाये जायें । सरकार को निष्पक्ष रूप से यह देखना चाहिए कि किन लोगों ने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान किया । और कौन लोग स्वतन्त्रता-संग्राम में लड़े हैं और ऐसे राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर डाक-टिकट जारी होने चाहियें ।

श्री सत्यनारायण सिंह : राष्ट्रीय नेताओं के सम्मान में अनेक स्मारक टिकट जारी किये जा चुके हैं । सौभाग्य से हमारे देश में ऐसे देश भक्तों की संख्या बहुत अधिक है । सरकार माननीय सदस्य के सुझाव पर अवश्य ही ध्यान देगी ।

Shri Jagannath Rao Joshi : I am glad that the Minister has agreed to honour Vir Savarkar in 1970.

Shri Kanwar Lal Gupta : Yes, he has agreed.

"I am directed to refer to your letter dated 20th March, 1967 addressed to the Minister of Communications, Government of India. regarding the issue of postage-stamps in memory of the late V. D. Savarkar and to state that the proposal was considered by the Philately Advisory Committee. It would not be accommodated during the year, 1967 due to the inadequate printing capacity of the Security Press, Nasik."

Namely, these two reasons have been given :—

"And also due to the shortage of imported adhesive paper. The proposal, however, will be placed again before the Philately Advisory Committee for its consideration when it will make the proposal for the issue of special postage-stamps for the year 1968 "

Now that the hon. Minister has given an assurance to issue them in 1970, I think he will stick to that assurance.

Shri Satya Narain Sinha : We shall certainly stick to it.

Shri Chandirka Prasad : The hon. Minister has agreed to issue stamps in the memory of Vir Savarkar. But as a general rule commemorative stamps should be issued in the name of all our martyrs. Hundred years have passed, yet no such stamps have been issued in the memory of the martyrs Mangal Pande and Kanwar Singh. Will Government think over this matter and issue postal stamps in their memory as well ?

Shri Sher Singh : Postal stamp has already been issued in the memory of Kanwar Singh.

Shri Jharkhande Rai : The reins of Government are in the hands of the Congress. Party and the persons who led non-violent peaceful movements under the banner of the Congress have been honoured by issuing commemorative postal stamps. But the persons who waged armed struggle from 1857 to 1942 in order to free their country from the foreign yoke, prominent among them are Bahadur Shah Zaffar, Nana Saheb Peshwa, Tantia Tope, Rani Jhansi, Ajimulla Khan, Devi Maina, Chanpekar Bandhu, Ras Bihari Bose, Jatindra Mookherjee, Kartar Singh, Pingle, Khudi Ram Bose, Bhagat Singh, Chander Shekhar Singh Azad, Yatindra Nath Das, Udham Singh, Ram Prasad Bismil, etc. have not been honoured as yet. Will they also be honoured like the non-violent freedom fighters in whose memory postal stamps have already been issued ?

Shri Satya Narayan Sinha : As I have stated just now in answer to a question. We shall examine their cases as well but we should bear in mind the fact that we cannot issue such a large number of stamps in one single year.

अनाज के विक्रय मूल्य

*1713. **श्री वेद व्रत वरुआ :**

श्री कृ० म० कौशिक :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाज की वसूली करने वाली एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम द्वारा विक्रय के लिये प्रस्तुत अनाज खरीदने में असमर्थ रहने के कारण गत शरद ऋतु में काटी गई फसल का अनाज भारत के कई स्थानों में वसूली मूल्यों से कम मूल्य पर बिका था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध के क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) यद्यपि कुछ राज्यों में फसल कटाई के बाद थोड़े समय के लिए कुछ खाद्यान्नों विशेषतया ज्वार और मक्का के मूल्य अधिप्राप्ति मूल्यों से अपेक्षाकृत कम थे लेकिन आम तौर पर खाद्यान्नों के मूल्य सरकार द्वारा घोषित मूल्य स्तर से ऊचे थे ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों की अन्य क्रय एजेंसियों मंडियों में अधिप्राप्ति मूल्यों पर उचित औसत किस्म के खाद्यान्नों की सभी मात्राएं खरीद रही हैं । प्रमुख उत्पादक राज्यों में मोटे अनाजों पर लगे संचलन प्रतिबंधों में भी ढील दे दी गई थी ।

श्री वेदव्रत बरुआ : अनाज के लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है । इससे कीमतें गिर जाती हैं । इसमें सरकार की समग्र नीति आ जाती है क्योंकि इससे कृषि क्षेत्र में अग्रेतर उत्पादन को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा । मेरी राय में मुख्य कठिनाई धन की कमी है । क्या धन या गोदामों या परिवहन की व्यवस्था के अभाव के कारण या इन सभी कारणों से कुछ मामलों में खरीदारी नहीं की गई थी ?

श्री अन्नासाहिब शिंदे : वे सभा के जिम्मेदार सदस्य हैं । उनका यह कहना है कि कीमत इतनी गिर गई हैं जिससे किसानों को नुकसान पहुंचा है और धन के उपलब्ध होने के कारण खरीदारी नहीं की जा सकी पूर्णतया गलत है ।

श्री वेदव्रत बरुआ : मैं जानना चाहता था कि क्या खरीदारी करने वाली एजेंसियों के पास कुछ समय के लिये धन नहीं था क्योंकि इससे छोटे किसानों के हितों को नुकसान पहुंचता है । धनी किसान माल को कीमतें बढ़ने तक अपने पास रोके रख सकता है । छोटे किसान के हित में यह करना जरूरी है । क्या इसके लिये कोई विशेष व्यवस्था की गई है कि छोटा किसान फसल की कटाई के बाद तुरन्त अपनी उपज बेच सके क्योंकि उसे कर तथा अन्य देय राशियों का भुगतान करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है ?

श्री अन्नासाहिब शिंदे : खरीदारी की व्यवस्था का अभिप्राय मुख्यतया छोटे किसानों के हितों की रक्षा करना होता है । बड़े किसान अपने हितों की रक्षा स्वयं कर सकते हैं । खाद्य निगम तथा राज्य सरकारों की अन्य क्रय एजेंसियां वसूली मूल्यों पर अनाज खरीद रही हैं । वे छोटे किसानों के हितों की पूरी पूरी रक्षा करते है परन्तु अन्ततोगत्वा राज्यों ने भी अपना योगदान देना है । जो कुछ भी संभव हो हम कर रहे हैं ।

श्री कृ० मा० कौशिक : महाराष्ट्र में सहकारी समितियां सरकार की ओर से वसूली करती हैं । इसमें दो कठिनाइयां हैं । एक यह है कि सहकारी समितियों के पास बोरिया नहीं हैं और दो-तीन दिन तक वजन नहीं हो पाता है । दूसरे उनके पास धन नहीं है और कभी कभी 15 दिन तक भुगतान नहीं किया जाता है । कुछ बिचौलिये इन दो कठिनाइयों का फायदा उठाते हैं और किसानों को कहते हैं कि "यदि तुम तुरन्त वजन कराना चाहते हो और तुरन्त भुगतान चाहते हो तो इसे 60 रुपये को दर से बेच दो" हालांकि वसूली मूल्य 67 रुपये है । वे 60 रुपये की दर से खरीद लेते हैं और अपने नाम में उसे सरकार को बेच देते हैं और 67 रुपये की दर से

सरकार से पैसा वसूल कर लेते हैं। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय करेगी कि किसान को सरकार द्वारा निर्धारित किये गये दर पर भुगतान हो ?

श्री अन्नासाहिब शिंदे : इक्के-दुक्के गलती हो सकती है परन्तु मोटे तौर पर महाराष्ट्र में वसूली कार्यक्रम संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने विस्तार से अध्ययन करके किसानों को तुरन्त भुगतान करने का एक व्यापक तरीका निकाला है।

श्री रंगा : क्या मंत्री जी सूचना प्राप्त करके उन्हें बताएंगे ?

श्री अन्नासाहिब शिंदे : मैं ऐसा करने के लिये तैयार हूँ। माननीय सदस्य मुझे सूचना दें।

Shri Nathu Ram Ahirwar : Is the hon. Minister aware that in Madhya Pradesh wheat is being procured at the rate of Rs. 75 per quintal when the farmers purchased wheat seed at the rate of Rs. 200 per quintal. The farmers are suffering very much because of this. Will the Government instruct the State Government to procure wheat at a price remunerative to the farmers ?

The second point is this. The Food Corporation is not making purchases directly but it purchases through the apex banks. When the farmers go to sell their produce the cost of fertilizers and seeds is deducted but the rest of the amount is also not paid to them as the purchasing marketing societies do not have funds. Payment is not made to the farmers for 15 or 20 months. Will Government make some arrangements for this purpose ?

श्री अन्नासाहिब शिंदे : जहां तक खरीदने की सामान्य नीति का सम्बन्ध है, हमने खाद्य निगम को हिदायतें दी हैं कि गेहूं वसूली मूल्य की दर से खरीदा जाये। यदि कहीं इस नीति का पालन नहीं हुआ है तो माननीय सदस्य हमें लिखे। हम इसको विस्तार से जांच करेंगे और त्रुटि को दूर करने के लिये कार्यवाही की जायेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हाल ही में पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री ने कहा है कि उन्हें कलकत्ता के कानूनी राशन वाले क्षेत्र में दिये जाने वाले चावल तथा गेहूँ के उत्पादों के मूल्यों को बढ़ाने के लिये बाध्य किया जा रहा है क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने या तो सब्सिडी वापस ले ली है या उसे कम कर दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है और यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय सरकार के पास पर्याप्त भण्डार जमा है और पश्चिम बंगाल में भी इस वर्ष अच्छी वसूली हुई है, यह कदम क्या उठाया जा रहा है जिससे कलकत्ता में लोगों को अनावश्यक कठिनाई हो रही है ?

श्री अन्नासाहिब शिंदे : मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। यदि खाद्य समस्या पर चर्चा हो रही होती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी परन्तु यह प्रश्न तो गत शरद कालीन फसल के वसूली मूल्यों से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री के पास जानकारी नहीं है तो वे पूर्व सूचना मांग सकते है।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : इसमें पूर्व-सूचना मांगने का कोई प्रश्न नहीं हैं ; प्रश्न तो यह है कि जो अनुपूरक प्रश्न पूछा गया है वह मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : गत वर्ष 'सीजन' के दौरान मध्य प्रदेश के काश्तकार अपना गल्ला लेकर मण्डियों में गये परन्तु वहां कोई खरीदार नहीं था । खाद्य निगम खरीद नहीं कर रहा था अपितु गैर सरकारी लोग 40 से 45 रुपते प्रति क्विंटल की दर से खरीद रहे थे क्या सरकार को इसकी जानकारी है और यदि हां, तो क्या वे अगली फसल के लिये पर्याप्त व्यवस्था कर रहे हैं ताकि काश्तकारों को सरकार द्वारा निर्धारित किया गया मूल्य मिल सके ।

श्री अन्नासाहिब शिंदे : जहां तक मध्य-प्रदेश का सम्बन्ध है, दो मास के लिये मूल्य कम रहे थे । परन्तु उस समय हमने राज्य सरकार को परामर्श दिया था कि वे मोटे अनाज तथा जवार के लाने-ले-जाने पर नियंत्रण ढीला कर दें परन्तु मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लेने में काफी समय लगा दिया ।

Shri Shiv Charan Lal : Is the hon. Minister aware that coarse grains such as jowar Bajra and maize were purchased at a lower price by Government brokers and agents in addition to procurement by the Government, which resulted in great loss to the farmers of Uttar Pradesh ? Will the hon. Minister give an assurance to the effect, that such illegal purchases will be stapped in Uttar Pradesh so that the farmers may not suffer and get reasonable prices ?

श्री अन्नासाहिब शिंदे : अब उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों में मोटे अनाज लाने-ले-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । माननीय सदस्य इस मामले में राज्य सरकार से भी बातचीत करे और उन पर अपना प्रभाव डाले ताकि वहां पर मण्डी सम्बन्धी नियमों का पालन हो सके ।

श्री को० सूर्य नारायण : क्या सरकार को पता है कि आंध्र प्रदेश में विशेष कर पश्चिम गोदावरी जिले में ताडेपल्लीगुडम में गत 2-3 वर्षों से रबी सीजन' में अधिक उपज वाला धान उगाया जा रहा है जो वहां पर खपत नहीं होता है क्योंकि उसे उबाल कर ही प्रयोग में लाया जा सकता जो कि वहां पर लोकप्रिय नहीं है ? चूंकि कलक्टर तथा स्थानीय सरकार उस चावल के निर्यात की अनुमति नहीं दे रही है इसलिये काफी स्टाक जमा होता जा रहा है और उसका खरीदार कोई नहीं है । क्या सरकार खाद्य निर्यात से उसे खरीदने तथा अन्य केन्द्रों को निर्यात करने के लिये कहेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिंदे : हमने एक सामान्य आश्वासन दिया है कि किसान जो भी बेचना चाहते हैं हम उसे वसूली मूल्यों पर खरीदने के लिये तैयार हैं और यह आश्वासन आन्ध्र प्रदेश पर भी लागू होता है ।

श्री स० कुन्दू : प्रति वर्ष यह बात देखने में आती है कि फसल आने के समय देहातों में अनाज के दाम गिर जाते हैं । हालांकि यह दावा किया जाता है कि खाद्य निगम इस अनाज की खरीद कर रहा है परन्तु निकट सम्पर्क से पता चलता है कि खाद्य निगम केवल बड़े व्यापारियों तथा बड़े किसानों से अनाज खरीदता हैं और देहातों में बिल्कुल जाता ही नहीं है । यदि वास्तव में में खाद्य निगम को प्रभावी बनाना हैं तो इसकी जड़ें गांवों में होनी चाहिये । इसे फसल के समय जब कीमतें गिर रही होती हैं अनाज खरीदने के लिये गांवों में एजेंसियां स्थापित करनी चाहिए । क्या खाद्य निगम का इस प्रकार विस्तार किया जायेगा जिससे यह प्रत्येक गांव में खरीद कर सके ?

श्री अन्नासाहिब शिंद : ऐसे वक्तव्य देना बड़ा दुभाग्यपूर्ण है । एक-दो दिन पहले ही खाद्य तथा कृषि मंत्री ने कहा था कि हम किसानों से सीधी खरीद करने के लिये तैयार हैं । परन्तु यह राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । पंजाब के मामले में हाल ही में एक सूचना हमें मिली थी कि पंजाब सरकार किसानों से सीधी खरीद की अनुमति नहीं देती है । मैं चाहता हूँ कि सभी राज्य सरकारें खाद्य निगम को सहयोग दें और जहां तक संभव हो क्रय करने वाली एजेंसियों और किसानों के बीच सीधे सम्पर्क स्थापित किये जायें ।

Shri Prakash Vir Shastri : Is it a fact that Government do not have enough godowns to store the foodgrains procured by the Food Corporation resulting in damage to foodgrains ? What arrangements are being made for this purpose ? I also want to know why the bold decision taken by the Food Minister sometime back for enlarging the food zones or to abolish them has been put into abeyance ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : एक मास पहले गेहूँ का क्षेत्र बढ़ा दिया गया और इसमें आसाम तथा उड़ीसा को छोड़कर लगभग सारा उत्तर भारत शामिल कर दिया गया है । इससे पहले भी दोनों अनाजों के लाने-ले-जाते पर प्रतिबन्ध कम करने की दिशा में कदम उठाये गये थे और गत एक वर्ष में स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है । जहां तक गोदामों की व्यवस्था का प्रश्न है, यह सुनिश्चित करने के लिये सभी विस्तृत प्रबन्ध किये गये हैं कि खाद्य निगम द्वारा खरीदे जाने वाले अनाज को रखने के लिये गोदाम उपलब्ध होंगे ।

Shri Meetha Lal Meena : The Question of corruption in the Food Corporation has been raised several times but it did not produce any results and instead of declining it is taking strong roots there. What actually happens is this. The agents of the Food Corporation make purchases from the farmers and collect the foodgrains and then sell it to the Food Corporation at higher prices. Those agents are such whose firms or partners are not known, in other words they are bogus agents. What happens is this. They liquidate their firms after indulging in corruption for the whole year. Other parties which are sound do not like to be agents because the officers put undue pressureson them. In Rajasthan the officers are deliberately hiding this corruption. Are the Government taking any special steps to stop this corruption ?

श्री अन्नासाहिब शिंदे : यदि कोई कदाचार हमारे ध्यान में लाए जायें तो हम बहुत कड़ी कार्यवाही करेंगे । यदि माननीय सदस्य को ऐसे किसी मामले का पता लगे तो वे अवश्य ही उसे हमारे ध्यान में लायें । वास्तव में पिछली बार मैंने बताया था कि इस दिशा में क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की कुछ मंडियों में जब गेहूँ खरीदा जा रहा था कुछ अधिकारियों ने किसानों से अधिक मात्रा में अनाज वसूल किया था क्योंकि किसान उसे बेचना चाहते थे । मैंने इस बारे में मंत्री जी को भी लिखा था । मैं नहीं जानता कि उसकी जांच की गई है अथवा नहीं । क्या माननीय मंत्री उस पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री अन्नासाहिब शिंदे : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

Complaints against Geolarbhoj Go-Sa-Dan in Nainital District

*1714. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have received certain complaints against the Geolarbhoj Go-Sadan in Nainital District ;

(b) if so, the details thereof and the action taken by Government thereon ; and

(c) the number of new Go-Sadans proposed to be set up by Government during the next two years and the amount of expenditure to be incurred thereon ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1171/69]

Shri Kanwar Lal Gupta : Government is bring about green revolution in order to achive self-sufficiency in food grains in the Country, and that hybrid quality of seeds have been prepared, intensive irrigation programmes is on the increase, proper provisions of good fertilisers have been made which has resulted in satisfactory progress in agriculture. But there is one thing which is lagging behind is that 90 per cent cultivators do not use tractors as they are small people and use bulls for agricultural purposes. Therefore the experiments carried out in improving the breed of bulls and Cows have not been so much impressive as in other fields. I want to know from the hon. Minister whether Government is going to take specific measures to see that the breed of bulls and cows is improved and that there is development in agriculture ? Will you take any action in appointing a Committee for this purpose ?

श्री अन्नासाहिब शिंदे : इस बात का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं प्रश्न पढ़कर सुनाता हूँ :

"क्या सरकार को नैनीताल जिले में स्थित ग्योलार भोज गो-सदन के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ; और कितने गो-सदन स्थापित करने का विचार है.....।"

गो-सदन का कार्य तो भटके हुए पालतू पशुओं एवं बीमार पशुओं की देखभाल करना है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I have asked you regarding the bulls also the question relates to the Cows and both of them being similar in symbol. If you do not want to tell me, I may ask you an other question.

I want to say regarding this report and what the hon. Minister has said, that both the reports, one submitted by Shri Ram Gopal Shalwale and the other by the Executive Councillor of Delhi Metropolitan Council and Chairman of the standing Committee of the Delhi Municipal Corporation are similar in so far as this matter is concerned. Government says they made an inquiry and whatever they say is all wrong. I want to say that the report of the inquiry made by the Officers of the Governments is totally wrong. As the report of the inquiry made by the Government is all wrong I want to know from the hon. Minister whether Government will have a second inquiry made by the senior most officer to see that the deteriorating condition of the cows can be improved ?

श्री अन्नासाहिब शिंदे : हम दुबारा जांच नहीं करा रहे। हमने इन सब गो-सदनों के संचालन कार्य को राज्य सरकारों को सौंपने का निर्णय कर दिया है।

Shri Kanwar Lal Gupta : My question was as to how many Go-Sadans are contemplated by Government. The hon. Minister replied the Central Government do not contemplates to establish any new Go-Sadan. State Governments have earmarked 8 or 9 lakhs rupees per establishing new Go-Sadans. You are providing only 10 lakhs rupees for Go-Sadans out of the out lay of thousands of crores of rupees for the Five Year Plan. I want to know from the Government what is the number of the cows which do not give milk ?

And moreover the provision of Rs. 10 lakhs does not even touch solve this problem. How will you solve this problem ?

श्री अन्नासाहिब शिंदे : यदि राज्य सरकारों के पास साधन हैं तो वे गो-सदनों की स्थापना कर सकती हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह तो राज्य सरकारों का अपना मामला है।

जहां तक चौथी योजना का सम्बन्ध हैं यह सत्य है कि इसके अन्तर्गत इसकी कोई व्यवस्था नहीं है।

Shri Achal Singh : The total number of cows which are being protected and looked after to the Go-Sadan in Nainital District ?

श्री अन्नासाहिब शिंदे : सभा पटल पर प्रस्तुत विवरण में यह सारी जानकारी दी हुई है।

Shri Maharaj Singh Bharati : Will Government take necessary steps to supply old cows and bulls to the Hindu susceptitulity of worshipping cows in the cities after closing Go-Sadans in the rural areas keeping the fact in view that in rural areas incentive agriculture has resulted in rearing losser number of cows and larger number of buffaloes which is evident from place like Punjab where only 5 lakhs milk cows are kept as against 15 lakhs of buffaloes, and keeping in view that the Commission agents in urban areas deduct huge amount from peasants in the name of goshalas ; and also keeping this fact in view that there is propoudering of Hindus who has relegious sentiments and we prepared to go to Jails in the matter of Cows and are eagerly prepared to rear lakhs of old cows and bulls and they do not find old cows and bulls in the urban areas ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जी हां, हम इनके सुझाव का स्वागत करते हैं।

Shri Sarjoo Pandey : One of the allegations is that most of the milch Cattle are auctioned after declaring them usless. When all the allegations made have been declared baseless I want to know as to who has conducted this inquiry; but in reality all these importations are correct. I want to know who has made the inquiry, and the nature of critarious of the inquiry, persons who have contacted and consulted in this regard ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इन गो-सदनों का संचालन एक स्वतंत्र निकाय, केन्द्रीय गो-संवर्धन मंडल द्वारा होता है और सरदार दातार सिंह इसके सलाहकार हैं। विभागीय जांच की गई थी.....

श्री कंवर लाल गुप्ता : किसके द्वारा ?

श्री अन्नासाहिब शिंदे : खाद्य एवं कृषि मंत्रालय ने इसकी जांच की थी। यदि इस संबंध में अनाचार के कोई विशेष उदाहरण सामने आयेंगे तो मैं उनकी जाँच करने के लिये तैयार हूँ और यदि माननीय सदस्य इस प्रकार के उदाहरण हमारे ध्यान में लायेंगे तो हम उनकी जांच करेंगे। ऐसी बातों के सम्बन्ध में प्रतिष्ठा का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Yamana Prasad Mandal : In reply to the third part of the question he has said that they have so much proposal in the Fourth Five Year Plan. In view of the fact that there is missed farming in the Country and the poor peasants mostly depend on the Cattles, they say in reply that they have no such proposals and depend on the proposals of the state Government. Keeping the fact in view that so far as the question of Bihar, in particular, is concerned, most of the Cattles of the plasants were worked away as a result of

heavy flood in the river Kosi on 4th October, 1968, Government should try to make provisions in the fourth plan to set up at least four gosadans there. Will the hon. Minister assure the House in this matter ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस मामले में गोसदन कुछ नहीं करते ।

बेरोजगारी सम्बन्धी स्थिति

*1715. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने अगले पांच वर्षों में बेरोजगार हो जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या के बारे में कोई आंकड़े एकत्र किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ;

(ख) सवाल ही पैदा नहीं होता ।

Shri George Fernandes : Mr. Speaker, the hon. Minister should have been ashamed of giving such a reply . . .

श्री भागवत झा आजाद : मुझे इनके शब्दों पर आपत्ति है और मैं विरोध करता हूं कि उन्हें इन शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नोत्तर काल को इस प्रकार से नहीं बिताना चाहिए । इससे सब को लज्जा होती है । प्रश्न कीजिये ।

Shri George Fernandes : He should definitely be ashamed of replying in such a manner. There was no discussion in this House on the question of unemployment during the debate on the Fourth Five Year Plan two days back. When the hon. Minister says such thing in this House, I have nothing to say but the words "shame" ?

Shri Bhagwat Jha Azad : The hon. Member does not have the manners to speak. He should learn the manures of speaking.

Shri George Fernandes : You should teach us the manner of speaking outside the House.

Shri Rabi Ray : The hon. Minister should discharge his duties he has been intrusted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नोत्तर अवधि ऐसी बातों के लिए नहीं है । ये बातें आप बाहर कर सकते हैं ।

Shri Goerge Fernandes : At present 15000 youths are on the hunger strike throughout India. Some of them are in Delhi and other parts of the country. There is no mention at all of the question of the unemployment in the Fourth Five Year Plan submitted by the Prime Minister after a lapse of three years for debate in this House.

I want to invite your attention to page 342 of the five year plan wherein Government, and the farmers of the plan have stated that as a result of disparity in the data of the

unemployment in India since June 1961 to 1968, Government have set up a Committee in August 1968 to go into this matter. I want to know what are the criteria of framing this plan when you have no correct data of unemployment in India. When you have rendered 2 crores of people unemployed in the beginning of the plan in India how many more people will be rendered unemployed at the last stage of the plan ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : बेकारी की समस्या का प्रश्न वास्तव में महत्वपूर्ण है। परन्तु आंकड़ों के उपलब्ध न होने से यह नहीं मान लेना चाहिए कि लोगों को अधिकाधिक रोजगार का अवसर देने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या ये आँकड़े सही हैं, यह तो सत्य है कि कुछ लोगों को रोजगार नहीं मिला है। वहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध है ये विश्वसनीय नहीं है। इसलिए समिति की स्थापना की गई है। मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि योजना आयोग को प्रथम तीन योजनाओं के प्रलेखों में निवेश एवं रोजगार के आनुपातिक आधार पर रोजगार के अवसरों पर विचार किया था। परन्तु स्वतः रोजगार प्राप्त लोग, जैसे किसी ने साइकल की दुकान खोल ली है, और इसी प्रकार घरेलू नौकर एवं खेतिहर लोगों आदि का इसमें स्पष्ट रूप में उल्लेख नहीं किया है और ना ही उन्हें मिलाया है। इसीलिए ये आंकड़े यथार्थतः सही नहीं हैं

Shri George Fernandes : How many people will be rendered unemployed till the end of the plan period ?

श्री हाथी : इस प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित नहीं किया जाता।

Shri George Fernandes : I have asked how many people will be rendered unemployed as your plan is such. I would like to quote one sentence from the page 237 of plan draft ; wherein Government have clearly explained that they want to inerease unemployment because of the introduction of automation :

> "केवल बेरोजगारी को हल करने अथवा अतिरिक्त रोजगार को व्यवस्था करने मात्र के लिए देश वर्तमान औद्योगिकी की स्थिति को अशक्त नहीं कर सकता।"

It has been made clear that we want to increase unemployment in India. If this is your policy similar to that of the earlier three plans to increase unemployment, you should ensure that unemployed persons are given unemployment allowance unless they are given some employment. Secondly provisions should be made to prepare land army and to resettle on the Government land. Thirdly, in order to check increasing illiteracy in the country an army of educated Youths should be formed so that they can impart education to the adult illiterate people. Is the hon. Minister prepared to make provision for these three things ?

श्री हाथी : जहां तक स्वचालित मशीनें लगाने की नीति का सम्बन्ध है मैं समझता हूँ कि हमने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जहां-जहां स्वचालित यंत्र लगाये गये हैं वहाँ हम यह ध्यान रखते हैं कि कर्मचारियों की छटनी न होने पाए। इस सम्बन्ध में हमारी यह नीति है, जिसका हम दृढ़तापूर्वक पालन करेंगे।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : आप इसका दृढ़ता से पालन नहीं करते।

श्री हाथी : जहां तक अन्य सुझावों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ कि उन्हें यह सुझाव प्रधान मंत्री के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए ताकि इन पर विचार हो सके।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : रोजगार की सम्भाव्यताओं को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा प्रयत्न किये जाने पर भी तथा यह विश्वास दिलाने पर भी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में उच्चतम प्राथमिकता दी जायेगी, हमें यह जान पड़ता है कि निराश युवकों की सेना सदा बढती जा रही है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि क्या वे शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से कोई ऐसी योजना बनायेंगे जिससे कि कालिज शिक्षा के उपरान्त शिक्षा पद्धति और अधिक व्यापक हो जाये और ये युवक जो स्वतः ही विश्वविद्यालय में पदार्पण करते हैं, इनको व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाये जिससे इनको बाद में लाभदायक व्यवसाय मिल सके।

श्री हाथी : हम अवश्य ही इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : बेरोजगारी की समस्या बड़ी विकट है और चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में इस समस्या का बिल्कुल तिरस्कार किया है। इस समस्या को हल करने के लिये कोई उपयोगी उपाय नहीं किये हैं, उचित अनुमान नहीं लगाये गये हैं, एवं उपयुक्त परिकल्पना नहीं की गई है।

क्या यह सच है कि मार्च 1966 की तुलना में भारत के औद्योगिक क्षेत्र में मार्च 1968 में कुछ रोजगार सम्बन्धी आंकड़ों में गिरावट आई है। और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? इस स्थिति को बदलने के लिए सरकार ने क्या निश्चित उपाय किये हैं ?

श्री हाथी : एकत्रित किये गये आंकड़ों से भी यही विदित होता है। कपड़ा उद्योग तथा इंजीनियरिंग उद्योग में व्यापारिक मंदी आने के कारण ऐसा हुआ है। अन्य कारणों के साथ यह भी एक कारण है जिससे रोजगार घटा है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : स्पष्टतः रोजगार में कमी आई है। बेरोजगारी बढ़ी है। इसका क्या कारण है ? क्या मंत्री महोदय को यही उत्तर देना चाहिए ? क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप और क्या चाहते हैं ?

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मैं यह जानना चाहता था कि सरकार नें इस रुख को बदलने के लिये क्या उपाय किये हैं मंत्री महोदय ने इस का उत्तर नहीं दिया है।

श्री चिन्तामणी पाणिग्रही : क्या मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि वर्ष 1964 की तुलना में अब बेरोजगारी का सूचकांक 238 प्रतिशत बढ़ गया है ? बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या अब 10) लाख तक पहुंच गई है तथा शिक्षित बेरोजगारों को संख्या भी 10 लाख तक पहुंच गई है। सरकार ने सम्बन्धित मंत्रालयों से परामर्श करके क्या कार्यक्रम तैयार किया है जिससे हमें ज्ञात हो सके कि कम से कम 3 या 4 वर्षों में सरकार रोजगार के कौन कौन से अवसर बनाना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : उसी प्रकार का प्रश्न है जैसा कि श्री पाटोदिया का था।

श्री हाथी : चाहे आँकड़े विश्वसनीय हों अथवा नहीं किन्तु इस बात में दो मत नहीं हो

सकते कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। श्रम तथा रोजगार मंत्रालय क्या उपाय कर सकता है ? योजना योजना आयोग बनाता है अतः श्रम तथा रोजगार मंत्रालय अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों को छोड़कर और किसी के बारे में क्या उपाय कर सकता है। सड़क तथा भवन निर्माण जैसे कुछ कार्य हैं जिनमें श्रम प्रधान रहता है तथा इस मंत्रालय द्वारा अपनी योजनाओं में ये कार्यक्रम सम्मिलित किये जाते हैं तथा उनके लिये अधिक धन नियत किया जाता है जिससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल सके। अत. श्रम मंत्रालय के अपने दो विशेष कार्यक्रम है तथा उनमें एक यह है। कृषि में आधुनिकीकरण आने से बुलडोजर तथा ट्रेक्टर आदि का अधिकता से उपयोग होने लगा है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को उनकी मरम्मत आदि का प्रशिक्षण किया जा सकता है। वे लोग गांवों में तथा उनके आस-पास अपनी वर्कशाप खोल सकते हैं जिससे रोजगार में वृद्धि हो सकती है। यद्यपि इतने से सम्पूर्ण स्थिति पर काबू पाना तो सम्भव नहीं है तथापि इससे रोजगार के कुछ अवसर तो अवश्य बढ़ेंगे।

श्री चिन्तामणी पाणिग्रही : सरकार रोजगार के किन नवीन अवसरों का निर्माण करना चाहती है ?

श्री बलराज मधोक : अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना पर विचार विमर्श करते समय प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध विशेष ध्यान रखने का वायदा किया था किन्तु हम देखते हैं कि इस योजना को तैयार करते समय देश के वर्तमान बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या तक का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना बनाने में कितना आलसीपन अपनाया गया है तथा सरकार और प्रधान मंत्री सदन की कितनी उपेक्षा करते हैं। मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि सरकार श्रम प्रधान योजनाओं को आरम्भ करने का उपाय कर रही है। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि सरकार भी आर्थिक योजनायें बनाने पर उनके मंत्रालय का कोई प्रभाव है तथा क्या वह इस बात पर बल देंगे कि किसी उद्योग को खोलने के लिये लाइसेंस देते समय सबसे पहले यह बात देखी जाये कि वह उद्योग रोजगार प्रदान करने की क्षमता रखता है। हमारी योजनायें पूंजी-प्रधान न होकर श्रम प्रधान होनी चाहिये।

श्री हाथी : वास्तव में यह वही सुझाव है जो श्रम मंत्रालय ने योजना आयोग को दिया था।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय इस बात से अवगत होगें कि कल बेरोजगार युवकों का प्रतिनिधिमण्डल प्रधान मन्त्री से मिला था तथा लगभग 1,000 बेरोजगार युवक तथा युवतियां इस समय दिल्ली में हैं। प्रतिनिधि मण्डल ने माननीया प्रधान मंत्री को एक व्यापक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने कुछ उचित मांगे रखी हैं। इस ज्ञापन में अन्य मांगों के साथ रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज बेरोजगार व्यक्तियों को निर्वाह भत्ता देने, सरकारी तथा गैर.सरकारी एजेंसियों में सभी रिक्त स्थानों को भरने, सहकारिता के माध्यम से सार्वजनिक कार्यों तथा ग्रामीण उद्योगों की प्रगति करने, कृषि क्षेत्र में अधिक रोजगार की व्यवस्था करने तथा चौथी पंच वर्षीय योजना में रोजगार पर प्रमुखरूप से बल देने की मांगें शामिल हैं।

माननीय प्रधान मन्त्री ने उनके इन सुझावों को ध्यान पूर्वक सुना तथा कहा कि कुछ

अल्प कालीन तथा दीर्घ कालीन कार्यक्रम बनाए गये हैं किन्तु उन्होंने उन कार्यक्रमों का ब्योरा नहीं दिया। आज बहुत से व्यक्ति खुद-बखुद जेल जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार इन व्यक्तियों की मांगों पर विचार कर रही है और यदि नहीं तो क्या सरकार रोजगार कार्यालयों का नाम बदल कर बेरोजगार कार्यालय रखेगी क्योंकि ये कार्यालय किसी भी व्यक्ति को काम दिलाने में समर्थ नहीं है ?

श्री हाथी : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कल सायंकाल माननीय प्रधान मंत्री को इन व्यक्तियों ने एक ज्ञापन दिया था तथा प्रधान मंत्री ने उनकी कठिनाइयों को ध्यानपूर्वक सुना था। सुझावों पर अवश्य ही विचार किया जाएगा। लेकिन वह ज्ञापन मुझे अभी तक नहीं मिला है।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम

*1716. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भाण्डागार निगम की इसकी स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1968 को अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी थी ;

(ख) 31 मार्च, 1968 को इस निगम ने केन्द्रीय सरकार, बैंकों तथा अन्य संस्थाओं को कितना ऋण लौटाना था ; और

(ग) गत तीन वर्षों में निगम ने ब्याज के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय भाण्डागार निगम की स्थापना 1957 में हुई थी। 31 मार्च, 1958 और 1968 को अधिकृत पूंजी बीस करोड़ रुपये थी। 31-3-1958 और 31-3-1968 को प्रदत्त पूंजी क्रमशः 1,06,44,700 और 8,73,62,439 रुपये थी।

(ख) केन्द्रीय सरकार को 7,69,63,000 रुपये। निगम ने बैंकों अथवा अन्य पार्टियों से कोई भी ऋण नहीं लिया था।

(ग) 965-66, 1966-67 और 1967-68 में ब्याज के रूप में कुल 99,64,019 रुपये दिये गये थे। 1968-69 के लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

Shri Prem Chand Verma : The question pertaining to the central Warehousing Corporation was also put here previously. It was stated that adequate capacity for storing the foodgrains and other things was not available with us and for that reason the central Warehousing Corporation was established in 1957. The target of 100 were houses was fixed by 31 March 1961, but it could not be achieved even by 31 March 1966. A sum of Rs. 16 crores was invested therein by the year 1967. The hon. Minister has now stated that the authorised capital of Central Warehousing Corporation is twenty crores of rupees. May I know whether it is a fact that at several places Warehouses were built but they could not run because of heavy losses suffered by them ? May I know the names of the places where they were established and the amount of loss suffered by them ? I want to know whether the failure of these warehouses was due to the defective planning or it was due to defective functioning of the corporation itself.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : केन्द्रीय भाण्डागार निगम की वर्तमान क्षमता 11.12 लाख मीट्रिक टन की है। इसमें 6.55 लाख मीट्रिक टन की क्षमता स्वयं निगम की है तथा शेष 4.57 लाख मीट्रिक टन की क्षमता किराये की है। तथा निगम के केन्द्र लगभग 100 से ऊपर हैं। प्रारम्भिक अवधि में निगम को कम स्थान के कारण हानि हुई किन्तु गत तीन वर्षों से स्थिति में सुधार हुआ है वर्ष 1966-67 में इसे 1.35 लाख रुपये का तथा 1967-68 में 14,15,000 रुपये का लाभ हुआ और 1968-69 में 40,80,000 रुपये का लाभ होने का अनुमान है। स्थान संबंधी स्थिति भी अब पहले से अच्छी है।

अल्प सूचना-प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

प्रैस सूचना विभाग में चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करना

अ० सू० प्र० 27. श्री म० ला० सोंधी : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रैस सूचना विभाग में चतुर्थ श्रेणी के बहुत से कमचारियों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है यद्यपि उन्हें सेवा करते हुए 10 से 20 वर्ष तक हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें तुरन्त स्थायी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) और (ख). सरकारी आदेशों के अनुसार योग्य पदों को स्थायी घोषित करने के दृष्टिकोण से पत्र सूचना कार्यालय में अस्थायी पदों का आवधिक पुनर्विलोकन किया गया है 1 मई, 1969 को चतुर्थ श्रेणी के 366 पदों में से 234 पद, जो कुल का 72% है, स्थायी थे। इन स्थायी पदों में 155 कर्मचारी पहले ही स्थायी किये जा चुके हैं। शेष 79 स्थायी पदों पर योग्य व्यक्तियों को स्थायी करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। 1 मई, 1969 के दिन तक के अस्थायी पदों में से सरकारी आदेशों के अनुरूप अधिक से अधिक पदों को स्थायी बनाने के लिये पुनर्विलोकन किया जा रहा है।

श्री म० ला० सोंधी : किसी देश में किसी एक मन्त्री महोदय के बारे में यह कहा गया था कि किसी भी विषय में उनका हृदय बड़ा होने की बजाय उनकी जिह्वा बड़ी है। प्रैस सूचना विभाग नित्य सभी विषयों पर सूचना देता है कि अपने विभाग की प्रशासनिक स्थिति के बारे में कोई सूचना नहीं देता। जब मुझे भारत सरकार के कार्यालयों की और विशेषकर प्रैस सूचना विभाग के इन कर्मचारियों की दशा का ज्ञान हुआ तो...

अध्यक्ष महोदय : उस सूचना को सभा पटल पर रखा जा सकता है। माननीय सदस्य प्रश्न पूछें।

श्री म० ला० सोंधी : मेरे यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस सरकार में, कार्यालय तथा मंत्रालय में प्रशासनिक अस्पृश्यता चल रही है। प्रशासन में जाति पद्धति अपनाई

जा रही है क्योंकि चतुर्थ श्रेणी में दफ्तरी, चपरासी, समाचार वाहक, फराश आदि लोग आते हैं जो अन्य अधिकारियों के लिये लाभदायक काम करते हैं। प्रैस सूचना विभाग की देश के विभिन्न भागों में 19 कार्यालय हैं। किन्तु आश्चर्य की बात है कि 1957 में जब चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्थायी करने का निर्णय हुआ तो नई दिल्ली शाखा को छोड़कर शेष सभी शाखाओं को इन कर्मचारियों को स्थायी करने की बात पूरी तरह भुला दी गई। इस भूल के कारण अनेक कर्मचारियों को बहुत हानि उठानी पड़ी। क्या मन्त्री महोदय ने इस भूल के लिये किसी को जिम्मेदार ठहराया क्योंकि इसी कारण प्रेस सूचना विभाग के अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों को हानि उठानी पड़ी है ? क्या मन्त्री महोदय इस बात का विश्वास दिलाएंगें कि 3 वर्ष की सेवा के बाद चतुर्थ श्रेणी के प्रत्येक कर्मचारी को जो इस कार्यालय की शाखाओं में काम करते हैं स्थायी कर दिया जाएगा ?

श्री इ० कु० गुजराल : मेरे माननीय मित्र की प्रवृत्ति बहुत ही झगड़ालू है अतः मैं उनके प्रश्न के पहले अंश का उत्तर नहीं दे सकता।

श्री म० ला० सोंधी : मैं उन्हें सारे तथ्य दे सकता हूँ।

श्री इ० कु० गुजराल : केवल एक बात का उत्तर दिया जा सकता है। इस बात को मैं भी मानता हूं कि कुछ पदों को स्थायी बनाया जा सकता था तथा कुछ कर्मचरियों को स्थायी किया जा सकता था किन्तु मैं समझता हूँ कि इस बारे में कुछ त्रुटियाँ हुई हैं। फिर भी मैं इस की जांच कर रहा हूँ।

जहां तीन वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने के बाद सभी कर्मचारियों को स्थायी करने का संबंध हैं ऐसा करना सम्भव नहीं है क्योंकि वह सरकार के नियमों के प्रतिकूल है। सरकारी नियमों के अनुसार व्यक्तियों को नहीं अपितु पदों को स्थायी बनाया जाता है तथा पद या स्थान के स्थायी बनाये जाने पर तब कर्मचारी भी स्थायी किये जाते हैं। वर्तमान नियम यह है कि जब किसी पद के तीन वर्ष से अधिक अवधि तक बने रहने की सम्भावना होती है तो इसे स्थायी घोषित कर दिया जाता है। हम उस नियम का अनुसरण करेंगे।

श्री पीलु मोदी : कई मामलों में बारह अथवा पन्द्रह वर्ष तक सेवा करने के बाद भी अस्थाई हैं।

श्री म० ला० सोंधी : सतर्कता को युद्धरतता नहीं समझा जाना चाहिये। यह संसदीय जीवन के सिद्धान्त पर एक धोखा है। मेरे पास बर्द्धाचारी आयोग, दास आयोग आदि के प्रतिवेदन हैं। मैं इन प्रतिवेदनों में से उद्धरण देकर सभा का समय नष्ट करना नहीं चाहता। मेरे पास पी०आई०बी० के उन सभी कर्मचारियों की सूची है जो 20 वर्ष की सेवा के बाद भी अस्थायी हैं। उन्हें सेवा निवृत्ति का कोई लाभ नहीं मिलता। फिर भी सरकार कल्याणकारी राज्य तथा समाजवादी ढ़ांचे का दावा करती है।

पी०आई०बी० में आदर्श नियोजक के सिद्धांन्त को लागू करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। यदि माननीय मंत्री इन कर्मचारियों की खराब स्थिति को समझते हैं तो क्या वह ब्यूरो को तुरन्त अनुदेश देंगे कि इन अस्थायी पदों में से अधिकांश को स्थायी किया जाये।

क्या इस साल ही मंत्री महोदय सभा को यह आश्वासन देंगे कि उन अस्थायी कर्मचारियों को जिन्हें बहुत पहले स्थायी कर दिया जाना चाहिये था अन्य कर्मचारियों जैसे लाभ तथा भत्ते मिलेंगे।

श्री इ० कु० गुजराल : मैं केवल यही आश्वासन दे सकता हूँ कि हमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से माननीय सदस्य की तुलना में अधिक सहानुभूति है। अतः मैं सारे मामले की जांच कर रहा हूँ। मैंने यह अनुदेश भी जारी किये हैं कि उनके मामले तीन महीने के अन्दर पूरे होने चाहिये। अतः तीन मास के बाद ऐसे निलम्बित मामले नहीं होने चाहिये।

Shri A. S. Saigal : I would like to know the member of persons confirmed in this department after the receipt of the report of Vardhachari Committee and the time likely to be taken to confirm the remaining posts.

Shri I. K. Gujral : All employees are not confirmed. There are temporary jobs and permanent jobs too. The case of those working against permanent jobs will be finalized within a month.

श्री स० मो० बनर्जी : यदि स्थायी पद रिक्त न हों तो क्या ऐसे सरकारी नियम नहीं हैं जिनके अन्तर्गत कर्मचारियों को अर्द्ध-स्थायी घोषित किया जा सके। अन्य विभागों में तीन वर्ष की सेवा पूरा कर लेने वाले कर्मचारी को अर्द्ध-स्थायी घोषित कर दिया जाता है तथा स्थान खाली होने पर स्थायी पद में पक्का कर दिया जाता है। मैं नहीं जानता कि यह नियम इस विभाग में भी लागू होता है अथवा नहीं। क्या वह इन सभी पहलुओं पर विचार करेंगे।

श्री इ० कु० गुजराल : प्रैस इन्फारमेशन ब्यूरो में सरकार के सभी नियम लागू होते हैं। यदि किसी ऐसे नियम के बारे में बताया जाये जो लागू नहीं होता तो मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय मेरा प्रश्न नहीं समझे हैं।

श्री इ० कु० गुजराल : मैं उसका उत्तर पहले ही दे चुका हूँ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : माननीय मंत्री के उत्तर से स्पष्ट है कि सरकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत है। जब तक उन्हें स्थायी न बनाया जाये, उन्हें मकान की तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध नहीं हो सकतीं। क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन देंगे कि यद्यपि वे स्थायी कर्मचारी नहीं हैं, तथापि उन्हें यह सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी ?

श्री इ० कु० गुजराल : मेरे लिए ऐसा आश्वान देना सम्भव नहीं है क्योंकि इससे सभी सरकारी कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ता है तथा यह नीति का प्रश्न है।

Shri Balraj Madhok : The Minister has said that the jobs are permanent and not the employees working against such jobs. I would like to know whether employment is given in proportion to the number of posts in a department or not ? If there are no jobs, why recruitment is made ? Why permanent jobs are not created for persons who have worked for ten or twenty years ?

Shri I. K. Gujral : A post is kept temporary for three years. If the post is to be containned, it is declared a permanent post and the person working against the post is also declared permanent. An employee is entitled to become permanent if there is a permanent post vacant.

श्री म० ला० सौंधी : कितने जैस्टेटनर आपरेटर बीस वर्ष तक कार्य करने के बाद भी अस्थायी हैं।

श्री स० कण्डप्पन : यदि इक्का-दुक्का पद अस्थायी रखे जायें तो यह बात समझ में आ सकती है, पुरन्तु 300 के लगभग कर्मचारियों को वर्षों तक अस्थायी रखना ठीक नहीं है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस प्रकार की प्रक्रिया से कर्मचारियों में निराशा नहीं फलेगी और क्या इससे विभाग का कार्य ठीक चलेगा।

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक निराशा का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ। नियम यह है कि कर्मचारियों से स्थायी पद होने पर ही स्थायी किया जा सकता है, स्थायी पदों की संख्या कुछ नियमों तथा परम्पराओं के अनुसार निर्धारित होती है। नियम यह है कि यदि पद तीन वर्ष तक अस्थायी रहे और उसे जारी रखने की सम्भावना हो तो उसे स्थायी घोषित कर दिया जाता है और तब अस्थायी कर्मचारियों को उन पदों पर स्थायी कर दिया जाता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में दुधारू पशु खरीदने के लिये पशु पालकों को ऋण

*1717. **श्री सुरेन्द्र सिंह बहोड़ा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग्ध का उत्पादन बढ़ाने के लिये अच्छी नसल के दुधारू पशु खरीदने हेतु, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु पालने वालों को ऋण देने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा किसानों को अधिक दुधारू पशु खरीदने के लिए ऋण देने हेतु 5 लाख रु० के व्यय के नियतन का प्रस्ताव है। इसमें से चालू वित्तीय वर्ष के लिए 50000/- रु० की व्यवस्था का भारत सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रजनकों को संस्थानात्मक ऋण भी उपलब्ध होगा।

भूमि सुधार

1718. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री भूमि सुधार सम्बन्धी 28 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2551 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने अध्ययन दल द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है जिसमें आमूल भूमि सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम है ;

(ग) क्या सरकार ने आमूल भूमि सुधारों के बारे में अपने प्रस्ताव तैयार कर लिये हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). चौथी पंच वर्षीय योजना 1969-74 के भूमि सुधारों सम्बन्धी अध्याय में भूमि सुधार के प्रस्तावों के बनाते समय भूमि-सुधारों के उप-दल द्वारा की गई सिफारशों पर ध्यान दिया गया है।

Commercial Broadcasts over Television

*1719. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) the details of the scheme drawn up by Government for the expansion of Television during the current year ; and

(b) whether Government propose to start commercial broadcasts over the Television keeping in view the success of commercial broadcasts from A.I.R. ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Work on establishment of T.V. station at Srinagar and installation of 100 metres high mast for Delhi T.V. Centre is in progress and will be continued during the current year.

(b) Question of introduction of commercial service over Television will be considered when there is sufficient number of TV receivers in the country.

पशु बीमा योजना

*1720. **श्री क० लकप्पा :** **श्री गं० च० दीक्षित :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री पशु बीमा योजना के सम्बन्ध में 21 नवम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 243 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में सरकार ने इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) योजना का ब्यौरा मृत्यु-दर सर्वेक्षणों सहित सम्भाव्य अध्ययनों के परिणामों के उपलब्ध होने पर ही तैयार किया जा सकेगा।

Scrapping of Cow Protection Committee

*1721. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to scrap the Cow protection Committee in view of its slow progress and as a result of resignation of its certain members and refusal of certain persons to give evidence ; and

(b) whether Government propose to enact a law to ban cow-slaughter in view of the assurance given by them to the Gorkha Mahabhiyan Samiti ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Sinde) : (a) and (b). A statement giving the information is laid on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT—1171/69].

फिल्मों के लिये विदेशी मुद्रा

*1722. **श्री बाल्मीकि चौधरी :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय फिल्म उद्योग को 1967-68 और 1968-69 में (एक) विदेशों में फिल्में तैयार करने (दो) कच्ची फिल्में तथा उपकरण आयात करने के लिये कितनी विदेशी मुद्रा दी गई थी ;

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक वर्ष में उद्योग ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की तथा उस उद्योग द्वारा व्यय की गई विदेशी मुद्रा से उसकी आय कितनी अधिक थी ;

(ग) क्या निर्माताओं/निदेशकों में ऐसी प्रवृति का आभास होता है कि वे भारतीय दृश्यों की तुलना में विदेशी दृश्यों को वरीयता देते हैं जिससे देश की विदेशी मुद्रा पर भार पड़ता है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस प्रवृति को समाप्त करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) (एक) विदेशों में फिल्में बनाने के लिए दी गई विदेशी मुद्रा

1967	2,22,500 रुपये
1968	1,88,000 रुपये
1969 (23-4-69 तक)	89,000 रुपये

(दो) 1967-68 तक 1968-69 में कच्ची फिल्मों तथा सामान के आयात के लिए दी गई विदेशी मुद्रा

	1967-68	1968-69
	(रुपयों में)	(जनवरी, 1969 तक)
कच्ची फिल्में	3,8179,000	2,54,38,000
सामान	38,00,000	51,16,000

(ख) फिल्मों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि समूचे निर्यात के सम्बन्ध में :

नवम्बर, 1966 से अक्तूबर, 1967 तक	2,74,51,000 रुपये
नवम्बर, 1967 से अक्तूबर, 1968 तक	3,33,14,000 रुपये

क्योंकि आंकड़े विभिन्न अवधियों के बारे में उपलब्ध हैं, फिल्म उद्योग द्वारा व्यय की गई तथा अर्जित विदेशी मुद्रा में तुलना करना सम्भव नहीं है । प्रथम दृष्टि से मालूम होता है कि अन्तर अधिक नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Late Broadcast of News By A.I.R.

1723. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that news items broadcast by the All India Radio after their publication in the newspaper have no significant value as people are already aware of it ;

(b) if so, whether Government propose to make arrangements under which the news items are broadcast by the A.I.R. prior to their publication in the newspapers ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). AIR's coverage of news is usually ahead of newspapers. Even in rare cases, where an item of news is broadcast after its publication in newspapers, it does not lose its significance, because radio audience is much larger than newspaper readership.

(c) Does not arise.

समाचार-पत्रों में अश्लीलता

*1724. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं के सम्बन्ध में सरकार को कितनी शिकायतें मिली हैं अथवा ऐसी कितनी घटनाओं का पता चला है जो अश्लीलता अथवा वासना को प्रोत्साहन देती हैं ;

(ख) 31 मार्च, 1969 तक भारतीय प्रैस परिषद् द्वारा ऐसे कितने मामलों पर विचार किया जा रहा था ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 1968-69 केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार की 11 शिकायतें मिली थी। राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त शिकायतों के बारे में तथ्यों का पता लगाया जा रहा है।

(ख) भारतीय प्रेस परिषद को अश्लील प्रकाशनों के विरुद्ध अब तक दो शिकायतें मिली हैं। उनमें से एक पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया जा सका, क्योंकि खंडित किए गए मामले के बारे में कार्यवाही अदालत में थी, दूसरी शिकायत परिषद के न्याय निर्णय अधीन है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों संघ प्रशासित क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे सभी अश्लील प्रकाशनों के छपने, उनकी बिक्री और सर्कुलेशन को रोकने के लिए कानून के अन्तर्गत उचित कारंवाई करें। राज्य सरकारों ने अश्लील सामग्री वाली विभिन्न पत्रिकाओं के विरुद्ध अनेकों चालान किए हैं।

कृषि इंजीनियरों का प्रशिक्षण

1725. **श्री दी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि इंजीनियर संस्था ने मांग की है कि प्रबन्धस्तर सहित विभिन्न स्तरों पर कृषि इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिये अधिक सुविधाएं दी जायें ;

(ख) क्या इस मामले पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अंनासाहिब शिन्दे) : (क) अभी तक ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होते।

गांधी शताब्दी पर बुद्ध की प्रतिमा वाले डाक-टिकट जारी करना

*1726. **श्री दा० रा० परमार : श्री किंकर सिंह :**
श्री प० न० सोलंकी : श्री देवेन सेन :

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका के बौद्धों ने गांधी शताब्दी समारोह के अवसर पर बुद्ध की प्रतिमा वाले डाक-टिकट जारी करने के भारत सरकार के निर्णय का विरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) श्रीलंका के बौद्धों ते आपत्ति व्यक्त करने के समर्थन में क्या कारण प्रस्तुत किये हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) श्रीलंका के समाचारपत्रों में इस पर कुछ टिप्पणी हुई थी, लेकिन कोई प्रत्यक्ष विरोधपत्र नहीं आए।

(ख) सरकार ने पृष्ठभूमि में बुद्ध के चित्र के साथ गांधी जी को चित्रित करता हुआ डाक-टिकट न निकालने का पहले ही निश्चय कर लिया है ।

(ग) श्रीलंका का बौद्ध संगठन यह महसूस करता था कि डाक-टिकट पर किसी भी रूप में बुद्ध के चित्र का प्रयोग अनुचित है ।

उत्तर प्रदेश में कृषि का विकास

1727. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की चौथी पंचवर्षीय योजना के कुल प्रस्तावित परिव्यय में से कितनी धन राशि कृषि के विकास पर खर्च करने का विचार है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में कृषि के विकास के लिये विशेष योजनायें बनाने का है, ताकि उस राज्य में चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में खाद्यान्न में आत्म निर्भरता प्राप्त की जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के अनुसार इस योजना की अवधि में राज्य के लिए 951 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से 220.18 करोड़ रुपये सहकार, सामुदायिक विकास तथा पंचायतों सहित कृषि के विकास पर व्यय किये जाने का विचार है ।

(ख) तथा (ग). विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों की उपज बढ़ाने के लिये किये जा रहे मुख्य कार्यों में अधिक उपज वाली किस्मों सम्बन्धी कार्यक्रम, बहुफसल, सघन कृषि के लिए छोटी सिचाई, उर्वरक तथा कीटनाशक जैसी वस्तुओं का संगठित वितरण, संस्थागत वित्त व्यवस्था सहित समय पर तथा उदार ऋण सुविधायें, कृषकों की शिक्षा तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना शामिल हैं । इसके अतिरिक्त, सूखे से लगातार प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों के लिए विशेष योजनायें तैयार की गई हैं । उनमें जल संरक्षण के उपाय तथा जहाँ कहीं सम्भव हो, सिचाई के लिए व्यवस्था शामिल है ?

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सपरेटा के अपमार्जित दुग्धचूर्ण की बिक्री

1728. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दिल्ली दुग्ध योजना ने कितनी मात्रा में "सपरेटा" का अपमार्जित दुग्धचूर्ण बेचा था ;

(ख) क्या यह सच है कि 'सपरेटा' के अपमार्जित दुग्धचूर्ण को केवल एक फर्म मैसर्स इम्पीरियल एजेंसी ब्यूरो खरीदती रही है ;

(ग) यदि हां, तो वह फर्म कहां स्थित है और इसके कार्य क्या है ; और

(घ) क्या किसी और फर्म ने भी 'सपरेटा' के अपमार्जित दुग्धचूर्ण को खरीदा है और यदि हां, तो वह कहां कहां है, और किस प्रकार का व्यापार करती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क)

वर्ष	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे गये अपमार्जित दुग्ध चूर्ण की मात्रा
1966-67	10 मीटरिक टन
1967-68	शून्य
1968-69	31.851 मीटरिक टन
कुल :	41.851 मीटरिक टन

(ख) से (घ). इस 41.851 मीटरिक टन अपमार्जित दुग्ध चूर्ण में से 36.851 मीटरिक टन दुग्ध चूर्ण मैसर्स इम्पीरियल एजेंसी ब्यूरो को बेचा गया था। शेष पांच मीटरिक टन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही उत्तर प्रदेश सरकारी पौलटरी फार्म को बेचा गया था। मैसर्स इम्पीरियल एजेंसी ब्यूरो, दिल्ली के व्यापार के स्वरूप के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई जानकारी नहीं है। परन्तु यह अपमार्जित दुग्ध चूर्ण उन्हें स्पष्ट रूप से यह बता कर बेचा गया था कि वे माननीय उपभोग के लिये उपयुक्त नहीं है तथा केवल कुक्कट आदि तथा पशुओं के लिये उपयुक्त है।

केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक

*1729. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक को अधिक उपज वाली धान की एक नई किस्म का विकास करने में सफलता मिली है जिसे "पद्मा पैडी" कहा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के चावल पैदा करने वाले किसानों में इसे लोकप्रिय बनाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) इस प्रकार के धान की प्रति एकड़ औसत उपज कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) प्राप्त हुआ उत्पादन $4\frac{1}{2}$ टन से 7 टन प्रति हैक्टेयर अर्थात औसतन उपज 5 टन प्रति हैक्टेयर है।

कार्यात्मक आधार पर वनों का सीमांकन

*1730. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्यात्मक आधार पर बनों के सीमाँकन के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का विचार आंकड़े एकत्रित करने के लिए कार्यवाही करने का है जिससे बन सम्पत्ति से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी नहीं । 1952 के राष्ट्रीय बननीति संकल्प में देश के बनों का निम्न प्रकार कार्यात्मक आधार पर वर्गीकरण किया गया है :

(i) संरक्षक वन

(ii) राष्ट्रीय वन

(iii) ग्रामीण वन और

(iv) वृक्ष वन

प्रशासनिक सुविधा के लिये राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों के वन विभागों द्वारा कानू-ी प्रतिष्ठा के अनुसार निम्नलिखित वर्गीकरण अपनाया जाता है, और इसी प्रकार उन से सम्बन्धित आंकड़े भी रखे जाते हैं ।

(i) संरक्षित वन

(ii) आरक्षित वन और

(iii) अश्रेणीकृत वन

(ख) जी हां ।

आकाशवाणी के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार के सुझाव

*1731. **श्री हेम बरुआ :**

श्री समर गुह :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने आकाशवाणी को नई पद्धति पर चलाने के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है, तथा उन्हें कहां तक क्रियान्वित करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) और (ख). आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र के लिये कार्यक्रम सलाहकार समिति के गठन से संबंधित प्रश्न पर पश्चिम बंगाल की सरकार के सूचना और जन सम्पर्क मंत्री ने हमसे 16 अप्रैल,

1969 को बातचीत की थी। यह समिति उसी आधार पर बनाई जा रही है जिस आधार पर सभी राज्यों में ऐसी समितियों को गठित करने का निश्चय किया गया है। यह स्थिति उन्हें बता दी गई थी।

आसनलाल क्षेत्र में कोयला खानों में दुर्घटना

*1732. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसनसोल क्षेत्र की कोयला खानों में बार-बार दुर्घटनाएं हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों में ऐसी कितनी दुर्घटनायें हुई ;

(ग) कितने व्यक्ति खानों में फंस गये, कितने घायल हुए तथा कितने मारे गये ;

(घ) रतीबती, खास चल्बपुर तथा निमचा कोयला खानों में इन दुर्घटनाओं के क्या कारण थे ; और

(ङ) दिये गये प्रतिकर का ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) इस क्षेत्र में हाल के वर्षों में हुई दुर्घटनाओं के बारे में सूचना एकत्र की जा रहीं हैं और मिलने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग). संबंधित सूचना नीचे की तालिका में दी जाती है :—

वर्ष	घातक दुर्घटनायें	मृत व्यक्तियों की संख्या	घायल हुए व्यक्तियों की संख्या	गम्भीर दुर्घटनायें	घायलों की संख्या	फंसे हुए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1968	158	181	13	804	837	कुछ नहीं
1969 (पहली मई तक)	51	54	7	240	244	4

(घ) मुख्य कारण छत का गिरना था।

(ङ) कर्मकार मुआवजा अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रबन्धकों द्वारा मुआवजा दिया जाता है। इस अधिनियम के प्रशासन का कार्य राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।

पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की योजनायें

*1733. **श्री तुलसी दास दासप्पा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व पाकिस्तान से आये नये प्रवासियों में से अधिकांश के पुनर्वास के बारे में कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). जनवरी, 1964 में जब भारी संख्या में लोगों का आना प्रारम्भ हुआ तो सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि पुनर्वास सहायता, केवल उन नये प्रवासियों को दी जायेगी जो, प्रत्यावासन पर, अपने हित के लिए खोले गये राहत शिविरों में प्रवेश पाकर के राहत तथा पुनर्वास सहायता चाहते हों। पश्चिम बंगाल में पुराने प्रवासियों के भारी जमाव के फलस्वरूप पहले ही वहां बसाये जाने वालों की अधिकतम सीमा पहुंच चुकी थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर यह निश्चय किया गया कि पश्चिम बंगाल में कोई शिविर नहीं खोला जायेगा। अधिकांश परिवारों को जिन्हें राहत शिवरों में प्रवेश दिया गया था और जो वहां पुनर्वास सहायता के लिये रह रहे थे, पहले ही बसाया जा चुका है। इस समय नये प्रवासियों के 8,945 परिवार शिविरों में पुनर्वास सहायता की प्रतीक्षा में हैं। इसके अतिरिक्त स्थायी दायित्व श्रेणी के 4,370 परिवार शिविरों में हैं जिन्हें गृहों में रखा जाना है। नये प्रवासियों के पुनर्वास की प्रगति का ब्यौरा, तथा उनके हित के लिये चालू की गई योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा, पुनर्वास विभाग की 1968-69 के वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है जो कि पहले ही संसद् सदस्यों के पास उपलब्ध है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले मध्य प्रदेश रेलवे डाक सेवा विभाग के कर्मचारी

*1734. **श्री नीति राज सिंह चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण मध्य प्रदेश रेलवे डाक सेवा विभाग के ऐसे कितने कर्मचारी थे जिनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था और जिन्हें अब तक पुन: नियुक्त नहीं किया गया है ; और

(ख) उनको फिर से नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) ऐसे कर्मचारियों की संख्या दो हैं और इनमें से किसी को भी अभी तक सेवा पर वापिस नहीं लिया गया है।

(ख) इस विषय पर गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार ये कर्मचारी सेवा पर वापिस लिये जाने के पात्र नहीं हैं।

Duty Hours of Technical Staff of A.I.R. Station at Patna

*1735. **Shri Ramavatar Shastri :** **Shyi Abdul Ghani Dar :**
Shri K. M. Madhukar :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the technical employees (Engineering Department) working in Patna Station of the All India Radio are required to work for 9 to 12 hours daily ;

(b) whether it is also a fact that they are not paid for doing extra work and they are also not allowed lunch break ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the nature of action Government propose to take in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir. Their duties do not exceed eight hours each shift.

(b) No extra work beyond eight hours in each shift is normally taken except in rare emergencies. The staff is permitted to go out for lunch.

(c) Does not arise.

(d) Does not arise.

प्रैस आयोग की सिफारिशें

*1737. **श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रैस आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) उनकी क्रियान्वित में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या भारतीय श्रम जीवी पत्रकार संघ ने अप्रैल में भोपाल में हुए सम्मेलन में सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) और (ख). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 1173/69]

(ग) और (घ). भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ का जो सम्मेलन अप्रैल में भोपाल में हुआ था उसकी कार्यवाही के बारे में संघ से कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है । तथापि, समाचार-पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों से यह पता चलता है कि संघ ने प्रैस आयोग की सिफारिशों की शीघ्र कार्यान्विति के लिये अनुरोध किया हैं । सदन की मेज पर रखे गये विवरण से पता चलेगा कि सरकार ने सिफारिशों पर यथा सम्भव आवश्यक कार्यवाई की है ।

राज्यों को हस्तान्तरित की गई निष्क्रांत सम्पत्ति तथा वसूल करने वाली अन्य देयराशि का मूल्य

*1738. श्री सूरज भान : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार को हस्तान्तरित की गई निष्क्रांत सम्पत्ति तथा प्रतिकर पुंज की अन्य वसूली करने वाली बकाया राशियों का मूल्य कितना है ;

(ख) राज्य सरकार को ये सम्पत्तियां कितनी राशि के लिये हस्तान्तरित की गई थीं, और पंजाब सरकार ने इन सम्पत्तियों तथा अन्य देयराशियों से कितनी राशि वसूल की है ;

(ग) अन्य राज्य सरकारों को कितने मूल्य की निष्क्रांत सम्पत्ति तथा अन्य वसूली करने वाली राशियां हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव है ;

(घ) राज्य सरकारों को यह कार्य इतनी कम प्रतिशतता पर हस्तान्तरित करने की आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई ; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार अपने निजी कर्मचारियों के माध्यम से इन देय राशियों को अच्छी तरह वसूल नहीं कर सकती थी ; और क्या इससे प्रतिकर पुंज तथा शरणार्थियों को हानि नहीं हुई ;

श्रम, रोजगार तथ पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

'Dharna' by the Employees of Super Bazar, Delhi

*1739. **Shri Yogendra Sharma** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the Super Bazar, Delhi are resorting to Dharna for getting their demands acceded to ;

(b) if so, the details of their demands ; and

(c) the difficulties being faced by the management in regard to acceding to their demands ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) At present no 'Dharna' is being staged by any of the employees of Supar Bazar, Delhi. However, a 'Dharna' was started on the 26th April, 1969 at the Connaught Circus Branch by some employees which was finally called off on the 1st May, 1969.

(b) The demand of the employees was to withdraw a case under Section 506 I.P C. registered against 4 of the employees by the Police on the complaint of the management.

(c) Since the alleged offence committed is non-compoundable and the case is sub-judice before a First Class New Delhi Magistrate, it is not possible to accede to the demand.

Demands of Domestic Workers' Union, Delhi

*1740. **Shri Chandra Shekhar Singh** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Domestic Workers Union, Delhi has sent a memorandum listing their demands to Goverament ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether Government have considered them ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes, in April, 1968.

(b) The Union have demanded the bringing forward of legislation for regulating the working conditions of domestic servants covering matters such as hours of work, weekly rest day, annual leave with pay, maternity leave, gratuity, termination of service, etc. The Union have also demanded its recognition under the Unions Act.

(c) and (d). The question of providing statutory protection to domestic servants as well as exploring ways and means of improving their condition have been considered by the State Governments and also by the Central Government from time to time. It has, however, not been found possible to make any statutory provision for the purpose, mainly because of the difficulty in enforcing any such law and the possibility of such an enactment resulting in large-scale retrenchment of domestic servants. Action regarding the recognition and registration of the union rests with Delhi Administration to whom a copy of the memorandum has been sent.

भारतीय खाद्य निगम द्वारा भोज्य तेल की चोर बाजार में बिक्री

9695. **श्री कृ० मो० कौशिक :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से उपभोक्ताओं को बेचने के लिये उत्पादकों से 6331 टन भोज्य तेल की वसूली थी ;

(ख) क्या यह सच है कि खाद्य निगम के अधिकारियों ने गैर-सरकारी व्यापारियों से मिलकर इस तेल को चोर बाजार में बेच दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो दो दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) 1966-67 तथा 1967-68 के दौरान गुजरात सरकार ने गुजरात मूंगफली तेल (अधिप्राप्ति) आदेश, 1966 तथा 1967 के अन्तर्गत मूंगफली के तेल की खरीद के लिये भारतीय खाद्य निगम को एजेन्ट के रूप मे नियुक्त किया था । निगम राज्य सरकार द्वारा तयशुदा मूल्यों पर तेल बेचने के लिऐ जिम्मेदार था। 1967-68 में निगम ने लेवी के अन्तर्गत मिल मालिकों से लगभग 23,300 मीटरी टन तेल एकत्रित किया था। मूंगफली के तेल के मूल्यों में भारी कमी होने के कारण उचित मूल्य की दुकानों से निकासी में भी कमी हो गयी थी । राज्य सरकार ने लेवी स्थगित कर दी थी और तेल को खुले बाजार में सरकार द्वारा तयशुदा मूल्यों पर निगम के माध्यम से बेचने का निर्णय लिया था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कपास की उपज में सुधरे हुए तरीकों का प्रयोग

9696. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन द्वारा चलाई जा रही विरक खेड़ा (पंजाब) की एक परियोजना में कपास की उपज 162 प्रतिशत बढ़ गई है ;

(ख) क्या सरकार ने कपास की उपज इस हद तक बढ़ाने वाले तरीके का पता लगाने का प्रयत्न किया है ; और

(ग) यदि हां, तो कपास की उपज बढ़ाने के लिये समूचे भारत में इस तरीके को प्रयोग में लाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) भारतीय कपास मिल-संघ से प्राप्त 1967-68 के लिए कपास विकास परियोजना की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि विरक खेड़ा में एक परियोजना के अन्तर्गत कपास की उपज में केवल 92 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

(ख) भारतीय कपास मिल्स संघ कों परियोजना में अनुसरण किये गये कपास उत्पादन के सुधरे हुए तरीके वे ही थे, जो कि राज्य कृषि विभागों द्वारा विकसित किये गये थे तथा सभी किसानों द्वारा उन्हें अपनाने की सिफारिश की गयी थी ।

(ग) 1968-69 के दौरान 10.28 लाख एकड़ क्षेत्रफल आवरित करने वाली राज्य तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं से अन्तर्गत पैकेज कार्यक्रम लागू करके कपास उत्पादन की सुधरी हुई प्रणालियों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है । संसाधनों की कमी होने कारण से भारत सरकार और राज्य सरकारें उतने विस्तृत क्षेत्र के लिए इनपुट उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं करा सकती जितनी मात्रा में संघ अत्यन्त सीमित क्षेत्रों में उपलब्ध करा सकता है ।

मजूरी तथा मूल्य स्तर के लिये सूचकांक के आधार में एक रूपता का अभाव

96 7. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मजूरी या मूल्यस्तर के सूचकांक के आधार को कई बार बदल दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप 1939 के युद्ध से पहले के स्तर की तुलना में मजूरी, मूल्य स्तर और आय में वृद्धि अथवा गिरावट के सम्बन्ध में कोई एकरूप चित्र प्राप्त नहीं होता ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार किसी निश्चित आधार वर्ष 1950-51 या 1947-48 का निश्चय करेगा ताकि इन क्षेत्रों में वृद्धि तथा गिरावट का अनुमान लगा में एकरूपता कायम की जा सके ;

(घ) यदि हां, तो कब ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का आधार 10 वर्ष तक के अन्तरों पर

बदला जाना चाहिए ताकि उपभोग के तौर-तरीके में हुई तब्दीली हिसाब में आ सके । तदनुसार, विगत समय में श्रम वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के आधार, केन्द्र-विशेषों तथा अखिल भारतीय सूचकांक के रूप में एक से अधिक बार बदल दिये गये । फिर भी हर मामले में लिंकिंग फैक्टर की एक सीरीज है, जिससे किसी खास सूचकांक का उसके मूल अथवा अन्तरिम आधार पर हिसाब लगाया जा सकता है । जहां तक श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित मजूरी और आमदनी के सूचकांक का सम्बन्ध है, जो आधार 1939=100 था, वह संशोधित मानक औद्योगिक वर्गीकरण को स्थान देने के लिए पहले 1951=100बना दिया गया और मजूरी अदायगी अधिनियम के क्षेत्र में हुए परिवर्तन को स्थान देने के लिए फिर 1961=100 बना दिया गया ।

(ग), (घ) और (ङ). जैसा कि ऊपर बताया गया है कोई एक आधार वर्ष सदा के लिए बिना किसी तब्दीली के लिए नहीं रखा जा सकता । नये आधार वर्ष का निर्णय करते समय, यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किये जाते हैं कि विभिन्न "सूचकांक सीरीज के आधार वर्ष समान हों अथवा एक दूसरे के यथा संभव रूप से अधिक से अधिक निकट हों ।" फिर भी गणितीय परिवर्तन की प्रणाली से, विभिन्न सीरीज, तुलना के प्रयोजन के लिए, हमेशा एक उभय आधार समयावधि में बदली जा सकती हैं ।

गो हत्या पर प्रतिबन्ध

9698. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व गृह-मंत्री ने गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में कुछ आश्वासन दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या सरकार ने उन राज्यों को, जिन्होंने अभी तक गोहत्या पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है, लिखा है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) और (ख) भारत सरकार के भूतपूर्व गृह मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा ने 4 नवम्बर, 1966 को लोक सभा में दिये गये अपने एक वक्तव्य में अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी कहा था कि जिन राज्यों ने गोवध को पूर्णतः बन्द नहीं किया है उनसे कहा गया है कि वे गाय, बछिया/बछड़े और अन्य दुधारू और भार वाहक गोजातीय पशुओं के वध को रोकने के लिए कानून बनायें । उन्होंने आगे यह भी कहा था कि जहां तक संघ क्षेत्रों का सम्बन्ध है, उपयुक्त विधेयक लाने के लिये तुरन्त ही कदम उठाये जायेंगे ।

(ग), (घ) और (ङ). उन राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों को जिन्होंने गोवध को पूर्णतः बन्द नहीं किया, लिखा गया था कि वे इस विषय में कानून बनायें । इस विषय में की गई कार्य-

वाही का बिवरण निम्न प्रकार है :—

पत्र लिखने की तिथि	किसने पत्र लिखा	राज्य/संघ क्षेत्र
31-8-66	अपर सचिव, खाद्य और कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)	असम, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, केरल, पोन्डिचेरी, नागालैंड, गोवा दमन और दयू के मुख्य सचिव ।
6-10-66	केन्द्रीय गृह मंत्री	आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ।
10-10-66	,,	हिमाचल प्रदेश, गोवा दमन और दयू और त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ।
28-10-66	,,	आंध्र प्रदेश, मद्रास, असम, पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री (स्मरणपत्र)
-5-67	केन्दीय खाद्य और कृषि मंत्री	केरल, गोवा दमन और दयू, हिमाचल प्रदेश, पोन्डिचेरी और त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ।
7-5-67	,,	आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, तमिल नाडू और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री।

गोवध पर प्रतिबन्ध लगाने की दिशा में राज्यों और संघ क्षेत्रों में अब तक हुई प्रगति का उल्लेख लोक सभा में 1 मई, 1969 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 8271 के उत्तर में दिया गया है ।

आकाशवाणी की अनुलेखन तथा कार्यक्रम विनिमय सेवा में चोरी

9699. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 के बाद आल इण्डिया रेडियो के अनुलेखन तथा कार्यक्रम विनिमय सेवा में कितनी चोरियां तथा किन-किन तारीखों को हुई तथा चोरी हुई वस्तुओं का स्वरूप, मात्रा मूल्य कितना है ;

(ख) चोरियों की सूचना पुलिस को किन तारीखों को दी गई तथा प्रत्येक मामले में पुलिस जांच का क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या 18 नवम्बर, 1967 को मिलर टेप की कोई चोरी हुई थी ;

(घ) यदि हां, तो चोरी हुए टेपों की संख्या तथा मूल्य क्या है ;

(ङ) क्या पुलिस को इस चोरी की सूचना दी गई थी, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(छ) चोरी में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)। (क) :—

चोरी की संख्या	तिथि जब चोरी का पता लगा	गुम हुई वस्तुओं का ब्यौरा	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5
पांच	31-5-66	टाइपराइटर	एक	745.00
	18-3-66	टेप्स	14	697.00
		,,	22	
	25-3-68	,,	48	473.16
	27-5-68	,,	80	963.00
	13-8-69	ट्रांसिस्टर	1	390.00
		स्टापवाच	1	73.00
		मेग्नेटिक टेप्स	13	86.68

(ख) जिन तिथियों को चोरी का पता लगा था उन्हीं तिथियों को पुलिस को सूचित किया गया था परन्तु 18 मार्च 1968 की चोरी की सूचना पुलिस को 25 मार्च को दी गई थी। जिन मामलों के बा में पुलिस को 25-3-1968 और 27-5-1968 को सूचित किया था उनके बारे में पुलिस ने कहा है कि चोरी हुई सम्पत्ति तथा अपराधियों के बारे में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। अन्य चोरियों के बारे में पुलिस द्वारा की गई जांच के परिणाम की प्रतीक्षा की गई है।

(ग) और (घ) 96.90 रुपये के मूल्य के पांच मायलार टाईप के टेपों के गुम होने का 18-11-1967 को पता लगा है।

(ङ) और (च). यह मामला पुलिस में दर्ज नहीं कराया गया था क्योंकि यह चोरी का नहीं बल्कि स्टाफ के एक सदस्य की लापरवाही का मामला था।

(छ) अन्य चोरियों के मामले में पुलिस जाँच के परिणाम उपलब्ध होने के बाद उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

आकाशवाणी से डोगरी भाषा में कार्यक्रम

9700. **श्री हेमराज :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बड़ी संख्या में लोग डोगरी बोलते हैं ;

(ख) क्या आकाशवाणी से डोगरी भाषा में प्रसारण के लिये कोई समय दिया जाता है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी से प्रतिदिन डोगरी भाषा में कार्यक्रमों के प्रसारण के लिये समय देने का है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 1961 की जनगणना के अनुसार जम्मू और काश्मीर लगभग 8,70,000 व्यक्ति और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में लगभग 6,000 व्यक्ति डोगरी बोलते हैं ।

(ख) जी, हां । डोगरी में कार्यक्रम जम्मू केन्द ले प्रसारित किए जाते हैं । डोगरी में समाचार बुलेटिन भी दिल्ली से प्रसारित किये जाते हैं ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

बेमौसमी वर्षा के कारण रबी की फसल और बगीचों को हुई क्षति

9701. **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल में बेमौसमी वर्षा, ओलावृष्टि और अधिक बर्फ पड़ने के कारण संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू तथा काश्मीर राज्यों में रबी की फसल और बगीचों को कितनी क्षति हुई ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी सहायता दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अभ्रक की खानों में आयुर्वेदिक तथा यूनानी पद्धति

9702. **डा० इ० अहमद** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या कोदर्मा अभ्रक खानों के क्षेत्र में औषधियों की आयुर्वेदिक तथा यूनानी पद्धति की व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय आयुर्वेदिक तथा यूनानी के कितने यूनिट काम कर रहे हैं और किन स्थानों पर स्थित हैं ; और

(ग) क्या यूनानी पद्धति का यूनिट खोलने के लिए स्थानीय सलाहकार समिति ने संकल्प पारित किया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क). केवल आयुर्वेदिक पद्धति की व्यवस्था मौजूद है ।

(ख) इस समय 8 यूनिट लक्ष्मीपुर, पाथलदिहा, घुबा, चारकी, चारकि तेलैया, सिंघा, चतकारी और डोमचांच में कार्य कर रहे हैं ।

(ग) जी, हां। इस संकल्प को कार्य-रूप में लाने के लिए अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि द्वारा एक योजना तैयार की जा रही है।

भारतीय वनों के मानचित्र और एटलसें

9703. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वनों के लिये मानचित्र और एटलसें तैयार करने के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी करने में बिलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन मानचित्रों और एटलसों के कब तक तैयार हो जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क). जी हाँ।

(ख) राज्यों से जानकारी प्राप्त न होने के कारण भारतीय वनों के नक्शों तथा एटलसों का निर्माण कार्य रूक गया है। पांच राज्यों से अभी जानकारी प्राप्त होनी है।

(ग) शेष पांच राज्यों में आवश्यक जानकारी प्राप्त होते ही नक्शों तथा एटलसों को शीघ्र ही पूरा कर दिया जाएगा।

वन क्षेत्र के लक्ष्य में कमी

9704. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1952 में राष्ट्रीय वन सम्बन्धी नीति अपनाये जाने के बाद से देश के वन क्षेत्र में कुल वृद्धि 33⅓ प्रतिशत के लक्ष्य के बराबर नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ;

(ग) 33⅓ प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार इस लक्ष्य को कब प्राप्त करने की आशा रखती है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी हां।

(ख) 1951-52 में देश में वनों के अन्तर्गत कुल क्षेत्र 734.4 लाख हैक्टयर था। 1966-67 में वनों के अन्तर्गत क्षेत्र 753.5 लाख हैक्टयर था। अतः वन क्षेत्र में प्रतिशत बढ़ोतरी दो प्रतिशत थी।

(ग) संविधान के अन्तर्गत वन राज्य-सरकार का विषय है। भारत सरकार वन-महानिरीक्षक की सहायता से उन्हें सभी संभव तकनीकी निर्देश प्रदान करती है। राष्ट्रीय वन-नीति राज्य सरकारों को बनों के उपयोग तथा प्रबन्ध के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करती है।

देश की मौजूदा वन सम्पति पर बढ़ती हुई जनसंख्या का निरन्तर दबाव है। जनसंख्या जो 1951 में 3630 लाख थी 1967 में बढ़कर 5110 लाख हो गई है। पशुओं की संख्या भी प्रायः इसी दर से बढ़ी है। पिछले दस वर्षों में विविध महत्वपूर्ण कार्यों के लिये यथा, विस्थापितों का पुर्नस्थापन, खाद्य-फसलों की खेती, उद्योगों की स्थापना, जलविद्युत एवं सिचाई परियोजनाओं इत्यादि कार्यों के लिए 10.7 लाख हैक्टयर भूमि नियुक्त करनी पड़ी थी। इसके बावजूद जब से राष्ट्रीय वन-नीति अपनाई गई है तब से वन-क्षेत्र में वृद्धि हुई है।

(घ). (ग) के उत्तर में दिये गये उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यद्यपि यह कहना तो सम्भव नहीं होगा कि लक्ष्य कब तक प्राप्त किया जा सकेगा, परन्तु इस संबन्ध में निर्बाध प्रयास करना जारी रखा जायेगा।

खुले माल डिब्बों में अनाज का परिवहन

9705. **श्री० न० रा० देवघरे :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967 तथा 1968 में ढोये गये कुल मात्रा का 25 प्रतिशत अनाज खुले माल डिब्बों में भेजा गया जिस पर वर्षा पड़ती रही ;

(ख) यदि हां, तो वर्षा पड़ने से कुल कितना अनाज खराब हो गया तथा उसका रुपयों में मूल्य क्या है ; और

(ग) भविष्य में अनाज को खराब होने से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) ढके बैगनों की अपर्याप्त उपलब्धि के कारण 1967 में रेल द्वारा ढोये गए 88.8 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों में से, 24.7 लाख मीटरी टन को खुले बैगनों में ढोया गया था अर्थात् कुल ढोये गये माल का लगभग 27 प्रतिशत। उस वर्ष के दौरान जितनी भी खाली बैगनों में खाद्यान्न लादा गया था उसको भली भांति तिरपालों से ढका गया था। 1968 में रेल द्वारा ढोये गए 79.5 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों में से 15 लाख मीटरी टन को खुले बैगनों में ढोया गया था अर्थात् कुल ढोये गये माल का लगभग 19 प्रतिशत। तथापि, खुले बैगनों में ढोये गये 15 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों में से अधिप्राप्ति की व्यस्तम अवधि मे विशेषतया पंजाब तथा हरियाणा में लादे गये लगभग 86,000 मीटरी टन को तिरपालों से नहीं ढका जा सका था क्योंकि उन राज्यों की मंडियों में खाद्यान्नों की भारी आमद के कारण तिरपालों के बिना ही खुली बैगनों में माल की निकासी आवश्यक हो गयी थी।

(ख) 1967 तथा 1968 में वर्षा के कारण क्रमशः लगभग 447 मीटरी टन तथा लगभग 9196 मीटरी टन खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हुआ था। क्षतिपूर्ति के लिये रेलवे के पास दावे दायर किये हुए है और प्रत्येक मामले का उसके गुण-दोष के आधार पर निपटान किया जा रहा है। 1957 में क्षतिग्रस्त अनाज के बेचने से 635000 रुपये (अनुमानतः) प्राप्त हुए थे जबकि उनका अनुमानित मूल्य 2,23,500 रुपये (अनुमानतः) था। वर्ष 1968 में हुई हानि के बारे में अभी बताना सम्भव नहीं है क्योंकि सभी अनाज को अभी तक बेचा नहीं जा सका है।

(ग) सरकार ने रास्ते में खाद्यान्न की भलीभांति हिफाजत करने हेतु जो पग उठाये हैं उनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं :—

(i) यथा: सम्भव अधिक से अधिक ढकी वैगनों में ढुलाई।

(ii) खाद्यान्नों को ढोने वाले वैगनों तथा ट्रकों को अच्छे तिरपालों से ढक कर ठीक तरह से बांधना।

(iii) अनाज को खुले वैगनों में केवल साफ मौसम में ही ढोना तथा ब्लाक रेकों में सुरक्षा दल के साथ भेजा जाना ताकि मध्यवर्ती स्थानों पर ठीक प्रकार से जांच-पड़ताल की जा सके।

वन सम्बंधी आँकड़े

9706. **श्री न० रा० देवधरे :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1952 में राष्ट्रीय वन सम्बन्धी नीति के घोषित किये जाने के पश्चात से, वनीकरण के विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी आंकड़े या तो उपलब्ध नहीं है या जहाँ उपलब्ध हैं वे गलत और अपर्याप्त हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सांख्यिकी आंकड़े इकट्ठा करने के तरीके में सुधार करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिंदे : (क) जी नहीं। प्राथमिक रूप से वन आंकड़े राज्य के वन विभागों द्वारा संकलित किये जाते हैं और उनकी वार्षिक रिपोटों में अनुबन्ध के रूप में संलग्न कर प्रकाशित किये जाते हैं। केन्द्र में खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय का अर्थ सांख्यिकी निदेशालय राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाले वन-आंकड़ों की दिते के विवरणों के आधार पर उनका समन्वय एवं संकलन करता है। प्रमुख बन आंकड़े, वे है, जो कि वनों के अन्तर्गत क्षेत्र, (वनों में) खड़ी हुई इमारती लकड़ी के..... उत्पादन, लघु वन के उत्पादों की मात्रा, वनिकि में रोजगार, वनों पर आधारित उद्योगों, राजस्व एवं व्यय, एवं बुनियादी तथा वनों से निर्मित उत्पादों के विदेशी व्यापार से सम्बन्धित हैं। वनिकि के आंकड़ें अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रकाशित भारतीय वन सांख्यिकी के रूप में प्रकाशित किये जाते हैं।

(ख) राज्यों, जोकि आँकड़ें प्रदान करने वाले प्रमुख स्रोत हैं, के पास वन संसाधनों, वन-उत्पादों की माँग तथा उपभोग की प्रवृत्ति सम्बन्धी आंकड़ें सही ढंग से तैयार करने के लिये कोई मशीनें नहीं हैं।

(ग) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय वन महानिरीक्षक एवं वन-अनुसंधान संस्थान देहरादून के घनिष्ठ सहयोग से आँकड़ों की सामग्री तथा आवरित क्षेत्र के विकास का प्रयास करता रहा है। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की सहमति से कृषि विभाग के वन विंग में पिछले दो वर्षों से अखिल

भारतीय स्तर पर वनिकि सम्बन्धी आँकड़ों के संकलन, उन्हें नवीनतम रखने तथा समन्वय करने के लिये एक अलग सांख्यिकी सैल स्थापित किया गया है। राज्यस्तर पर कुछ राज्यों में से अलग साँख्यिकी सैल स्थापित किये जा चुके हैं और कुछ अन्य राज्य चौथी पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार के सैल स्थापित करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं।

हिमालय पर्वत-क्षेत्र के वनों का उपयोग

9707. **श्री न० रा० देवधरे :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत बड़े वन्य क्षेत्र, विशेष रूप से हिमालय पर्वतमाला तथा अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई पर कुछ घने वन, अगम्य होने के कारण अप्रयुक्त पड़ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन वनों का अनुमानित क्षेत्र कितना है ; और

(ग) इन वन्य क्षेत्रों को सुगम्य बनाने के हेतु संचार व्यवस्था में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) अनुमान है कि देश के वनों के कुल क्षेत्रफल का लगभग 163 लाख हैक्टेयर उत्पादक तो हैं परन्तु दुर्गम है। परन्तु संचार की कमी के कारण उनमें से अधिकांश का पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता।

(ग) इस समय वन सड़कों की दर 1 किलोमीटर प्रति 11 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल है। अतः योजनाओं की अवधि के दौरान विशेषकर दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण एवं विकास कार्य पर विशेष जोर दिया गया था। 1951-52 से 1967-68 तक की अवधि के दौरान 43800 किलोमीटर वन-सड़कों के निर्माण और सुधार पर लगभग 11 करोड रुपये की राशि व्यय की गई है।

कुछ राज्यों में दुर्गमों स्थलों से लकड़ी प्राप्त करने के लिए रोप्वेज तथा विन्च सस्थापित की गई हैं।

वन सड़कों को जाल बनाने के लिए बहुत अधिक राशि की आवश्यकता है। अतः विभिन्न अवस्थाओं में पूरे होने वाले कार्यक्रम को अपनाने का प्रस्ताव है। चौथी योजना की अवधि में इस कार्य के लिए पहले से अधिक व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

सिंधियों को भूमि का आवंटन

9708. **श्री हेमराज :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सिन्धियों के दावों का सिन्धियों के दावों के समान ही मूल्यांकन किया गया है और उन्हें पंजाब और हरियाणा में गैर पंजाबियों के रूप में खेती की जमीनें आवंटित की गई हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सिन्धियों और पंजाबी सिन्धियों पर, उनको आवंटित की गई और बेची गई जमीनों के मूल्य के सम्बन्ध मे केन्द्रीय सरकार के वही नियम लागू होते हैं जो गैर-पंजाबियों पर लागू होते हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि फालतू क्षेत्रफल के लिए, पंजाब और हरियाणा में बसे सिंध के गैर-पंजाबी 450 रु० प्रति मानक एकड़ देते हैं ; जब कि पंजाब में बसे सिन्धियों और पंजाबी सिन्धियों को 800 रुपये से 1500 रु० और हरियाणा में 1200 रु० से 2200 रु० प्रति मानक एकड़ लिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा सम्भव समय में सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

समाचार पत्रों के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि

9709. **श्री जुगल मण्डल** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री 21 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4709 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचारपत्रों के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों के बारे में जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय तथा भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में समाचार-पत्रों के उन मान्यता प्राप्त संवाददाताओं का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता, जो काम के लिए उन कार्यालयों में आते है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

सेंट्रल ट्रंक एक्सचेंज, नई दिल्ली में महिला टेलीफोन आपरेटर

9710. **श्री राम चरण** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा सचार** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल ट्रंक एक्सचेंज में ऐसे अस्थायी तथा स्थायी महिला टेलीफोन आपरेटर कितने हैं जिन्हें सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने पर नौकरी से हटाने के लिए एक महीने की पूर्व सूचना दी गई थी ;

(ख) कितने अस्थायी तथा स्थायी आपरेटरों को तुरन्त हटाने की पूर्व सूचना दी गई थी ;

(ग) उपर्युक्त आपरेटरों में से कितने बहाल कर दिये गये हैं ; और

(घ) कितने आपरेटरों को अभी बहाल किया जाना है और इसमें कितना समय लगने की सम्भावना है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) ऐसे अस्थायी कर्मचारियों की संख्या 72 है और स्थायी कर्मचारी कोई नहीं है ।

(ख) ऐसे अस्थाई कर्मचारियों की संख्या 3 है और स्थायी कर्मचारी कोई नही है ।

(ग) सभी 72 अस्थायी महिला टेलीफोन आपरेटरों को काम पर वापिस ले लिया गया है ।

(घ) जिन तीन अस्थायी महिला टेलीफोन आपरेटरों को, जिनका हवाला प्रश्न के (ख) भाग में दिया गया है, तुरन्त नौकरी से बर्खास्त करने का नोटिस दिया गया था, वे ऐसे मामलों में जारी किए गए सरकारी आदेशों के अधीन फिर से काम पर वापिस लिए जाने की पात्र नहीं है ।

सेंट्रल ट्रंक एक्सचेंज, नई दिल्ली में महिला टेलीफोन आपरेटर

9711. **श्री जगेश्वर यादव** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल ट्रंक एक्सचेंज, नई दिल्ली में महिला टेलीफोन आपरेटरों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) 18 तथा 19 सितम्बर, 1968 को अलग-अलग कितने प्रतिशत स्थायी तथा अस्थायी आपरेटर कार्यालय में उपस्थित थे ; और

(ग) 18 तथा 19 सितम्बर को जिन आपरेटरों को छुट्टी अथवा साप्ताहिक अवकाश की मंजूरी दी गई थी उनके अलग-अलग नाम क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क)

स्वीकृत संख्या—	625
काम पर लगे हुए कर्मचारियों की संख्या— (1 सितम्बर, 1968 को)	594

(ख)	18 सितम्बर, 1968		19 सितम्बर, 1968	
	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
	6	5	7	7
	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत

(ग) जैसा कि अनुबन्ध I II और III में दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखी गयी है। देखिये संख्या एल० टी० 1174/69**]

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय सम्बंधी पूरे न किये गये आश्वासन

9712. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचना और प्रसारण मन्त्रालय से सम्बन्धित कुल कितने आश्वासन गत तीन महीनों से अधिक समय से पूरे नहीं किये गये हैं ; और

(ख) इन्हें कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) बत्तीस ।

(ख) जितनी जल्दी सम्भव हो सके उनको पूरा करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

आकाशवाणी के मैकेनिकों की अर्हतायें

9713. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री 28 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6247 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैकेनिकों की अर्हताओं में संशोधन करने के बारे में इस बीच निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) मैकेनिकों के मामले पर आकाशवाणी के तृतीय श्रेणी के तकनीकी कर्मचारियों की अनेकों अन्य श्रेणियों के साथ विचार किया जा रहा है और निर्णय शीघ्र ही लिया जाएगा ।

कृषि तथा लघु सिंचाई के लिये केरल को केन्द्रीय सहायता

9714. **श्री अदिचन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 और 1968-69 के लिये लघु सिंचाई तथा भू-विकास सहित कृषि उत्पादन के लिये केरल सरकार को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन वर्षों में तथा 1969-70 के लिये इस प्रयोजन के हेतु उक्त सरकार ने वास्तव में कितनी राशि की सहायता माँगी थी ; और

(ग) 1969-70 के लिये उक्त मांग के विरुद्ध इन योजनाओं के लिये केन्द्र द्वारा सहायता के रूप में कितनी राशि मंजूर की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राज्य सरकारों को केन्द्रीय प्रायोजित तथा केन्द्र द्वारा सहायता दी जाने वाली (राज्य योजना योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती है। 1967-68 तथा 1968-69 के दौरान केरल सरकार को इन योजनाओं के लिये दी गई केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार है :—

रु० लाखों में

योजना	निर्मुक्त राशि			
	1967-68		1968-69	
	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान
1. केन्द्र द्वारा सहायता दी जाने वाली (राज्य योजना)	180·82	163·19	205·20	169·05
2. केन्द्रीय प्रायोजित	6·25	29·68	—	15·97
योग	187·07	192·87	205·20	185·02

(ख) और (ग). राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उन के द्वारा बताए गये खर्च की प्रगति के आधार पर निर्मुक्त की जाती है। 1967-68, 1968-69 के वर्षों के दौरान राज्य योजना स्कीमों के लिये, राज्य सरकार द्वारा मांगी गई समस्त राशि उन्हें निर्मुक्त कर दी गई थी। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के मामले में सहायता की राशि, सहायता के प्रतिमान के आधार पर निश्चित की जाती है।

स्टेट प्लान स्कीमों के लिये राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने की नई पद्धति के अनुसार (जिसे 1969-70 के चालू वित्तीय वर्ष की अवधि में शुरू किया गया है) राज्य सरकारों को दी जाने वाली ऋण व अनुदान की सहायता एक राशि के रूप में दी जायेगी न कि किसी कार्यक्रम तथा योजना के लिये पृथक रूप से। 1969-70 के दौरान केरल सरकार निर्मुक्त की जाने वाली सहायता की निश्चित राशि तथा उस की प्रणाली के ब्यौरे पर भी अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

1969-70 के दौरान राज्य सरकारों को केन्द्रीय प्रयोजित योजनाओं के लिये उपलब्ध कराई जाने वाले सहायता की मात्रा और उस के ब्यौरे को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

गेहूँ का उत्पादन तथा आयात

9715. **श्री अदिचन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत रबी की फसल में देश में कितने एकड़ भूमि पर गेहूँ बोया गया तथा इस में से कितने एकड़ भूमि पर गेहूँ की अधिक उपज वाली किस्में उगाई गई ;

(ख) देश में उक्त रबी की फसल से गेहूं की कुल कितनी उपज हुई तथा इस में अधिक उपज वाला गेहू कितना था ;

(ग) क्या चालू वर्ष में गेहूँ आयात करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष में किस हद तक देश आयातित गेहूँ पर निर्भर रहेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). 1968-69 के लिये पूर्ण परिगणन पर आधारित क्षेत्र और गेहूँ की फसल के बारे में फसल कटाई सर्वेक्षणों पर आधारित उत्पादन के बारे में पक्के अनुमान चालू कृषि-वर्ष की समाप्ति पर अर्थात् जुलाई-अगस्त 1969 में ही उपलब्ध होगे। फिर भी प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार 1968-69 में गेहूँ की फसल का क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में अनुमानतः 7 प्रतिशत अधिक है।

जहां तक गेहूँ की अधिक उपज देने वाली किस्मों का सम्बन्ध है 1968-69 में इन किस्मों के अन्तर्गत 109 लाख एकड़ भूमि लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य की वास्तविक प्राप्तियों के बारे में राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इन किस्मों के उत्पादन के बारे में भी अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी हाँ।

(घ) 1969-70 की अवधि में जनता में बांटने और बफर स्टाक के लिये 52 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों (गेहूं सहित) के आयात करने का प्रस्ताव है।

आटा मिलों का मूल्यांकन

9716. **श्री अदिचन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में आटा मिलों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने के लिए कुछ समय पूर्व सरकार ने एक समिति स्थापिक की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो सरकार का विचार इस समिति की सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) कुछ सिफारिशों को पहले से ही लागू किया जा चुका है। जहां तक अन्य सिफारिशों का संबंध है, यह मामला औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार एवं समवाय कार्य मन्त्रालय के परामर्श से विचाराधीन है।

एक्सप्रेस तारों में देरी

9717. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि बम्बई से विशेषकर बम्बई-दिल्ली तथा बम्बई-बीकानेर सैक्शनों से एक्सप्रेस तारें देने में अत्याधिक देरी होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस शिकायत के बारे में जांच कराई गई है और यदि हां, तो उस जाँच के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या देरी न होने देने के लिये तथा इस संबंध में लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई विशेष कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) बम्बई से दिल्ली और बीकानेर के लिए दिये जाने वाले तारों पर शीघ्र कार्यवाही की जाती है, और प्राय: इनके भेजने में विलम्ब नहीं होता। फिर भी यदाकदा सहघुरीय पथ में लम्बे समय के लिए विघ्न के कारण, जो अपरिहार्य है विलम्ब हो ही जाता है।

(ग) बम्बई-दिल्ली परिपथ की कार्य-स्थिति सामान्यत: अच्छी है। तकनीकी गड़बड़ी के कारण, जिस पर सर्वथा नियंत्रण नहीं किया जा सकता, कभी-कभी परियात की निकाशी म बाधा पड़ती है, फिर भी उन्हें हर स्तर पर कम करने के लिए सदा कार्यवाही की जाती है ·

Scheme of Service Cooperatives for Supply of Tractors and other Agricultural Implements to Farmers

9718. **Shri Brij Bhushan Lal :** **Shri Ranjit Singh :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Suraj Bhan :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a scheme of 'Service Cooperatives' is under consideration, whereby a small farmer in a village could also get tractor and other agricultural implements at nominal charges ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) A scheme for the establishment of service centres for tractors and other agricultural machinery and providing custom service in agricultural machinery by selected cooperatives has been approved by the National Cooperative Development Corporation. Under this Scheme, it will be possible for small farmers to avail of the facilities of custom service provided by the selected cooperatives on payment of prescribed hire charges. Assistance for the selected societies will be provided by the National Cooperative Development Corporation through the concerned State Governments.

(b) The details of the scheme are enclosed. [*Placed in Library. See* No. LT—1175/69].

(c) Does not arise.

Resettlement of Displaced Perons in Kashmir

9719. **Shri Brij Bhushan Lal :** **Shri Suraj Bhan :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Ranjit Singh :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of displaced persons who have come to India from countries other than West Pakistan so far and the number of displaced persons rehabilitated in each State ;

(b) whether the proportion of displaced persons in Kashmir State (excluding Jammu) is lesser than those in other States ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Indian nationals, who have been repatriated from other countries, and Tibetan refugees are not categorised as displaced persons. As such, information is furnished in respect of displaced persons from East Pakistan as under :-

Displaced Persons From East Pakistan :

About 50.24 lakh persons have migrated from East Pakistan so far.

Of the 41.17 lakh persons who migrated upto 31.3.1958, rehabilitation assistance has been given to about 6.68 lakh families. In their case, apart from some items of residuary work in respect of those settled in West Bengal, which are being reviewed by the Committee of Review, the rehabilitation work in other States has, by and large, been completed.

Migrants, numbering 0.61 lakh, who came to India from 1.4.1958 to 31.12.63, were not eligible for relief and rehabilitation benefits.

Of the 8.46 lakh persons who migrated from 1.1.1964 onwards, rehabilitation assistance is admissible to those families only who are admitted to relief camps. About 35,321 families (30,857 agriculturist and 4,464 non-agriculturist) are at present at the rehabilitation sites.

• A statement showing the state-wise break up of the families given rehabilitation assistance is attached. [*Placed in Library, See* No. LT—1176/69].

In addition, 5,924 migrants have been provided employment in industries and 3,307 found employment in Government offices and in public and private undertakings.

(b) and (c). The question does not arise, as no displaced persons from East Pakistan have been rehabilitated in Jammu and Kashmir.

Production of Potatoes

9720. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the quantity of potatoes produced during the season of 1968-69 and the quantity produced during the last season ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Corporation (Shri Annasahib Shinde) : Production of potato during 1967-68 is estimated at 4.23 million tonnes. Final estimates of production of potato during 1968-69 are not yet available. According to a preliminary estimate, area under potato during 1968-1969 is higher than that in the previous year by about 10 per cent.

Wild Life in Rajasthan

9721. **Shri Om Prakash Tyagi : Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Narain Swarup Sharma -**

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of tigers is decreasing day by day in the forests of Rajasthan ;

(b) whethere it is also a fact that their number is decreasing because there is no ban for hunting lions in the case of ex-rulers and their families and it is feared that their number may be reduced further ;

(c) if so, whether Government propose to impose hunting ban on them also ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) This has been done.

(d) Question does not arise.

Rehabilitation of Refugees

9722. **Shri Om Prakash Tyagi : Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shai Narain Swarup Sharma :**

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be plsased to state :

(a) the number of refugees in India from each country at the end of the year 1968 who could not be rehabilitated by Government ;

(b) the number of the refugees proposed to be rehabilitated in each State by Government ;

(c) whether Government will ensure that in future refugees are not settled at any place until arrangements for land and water are made there ; and

(d) the number of refugees proposed to be rehabilitated in Andaman and Nicobar Islands ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b). Indian nationals who have repatriated from Burma, Ceylon and Mozambique are not categorized as refugees. As such, information is furnished in respect of refugees from Pakistan and Tibet as under :-

(*i*) *New Migrants from East Pakistan :*

There were 10,607 new migrant families in relief camps awaiting rehabilitation at the end of the year 1968. In addition, there were 4,256 families of the Permanent Liability category who have to be maintained in Homes It is proposed to settle the rehabilitable families in Assam, Bihar, M.P., U.P. and in the agricultural development projects in Dandakaranya and Maharashtra. The number of families to be rehabilitated in each State cannot be precisely indicated at this state.

(*ii*) *Members of the minority community in West Pakistan migrated to Rajasthan as a result of Indo-Pak conflict, 1965 :*

There were 80 families of the minority community, migrating to Rajasthan from West Pakistan as a result of Indo-Pak Conflict, who were awaiting settlement assistance at the end of the year 1968. They will be settled in Rajasthan during the current year.

(iii) *Refugees from Tibet :*

There were about 15,550 Tibetan refugees who were awaiting rehabilitation at the end of the year 1968. It is proposed to settle these families in Mysore, Orissa, Himachal Pradesh, etc. The number of families to be settled in each State cannot be precisely indicated at this stage.

(e) Every effort is made to ensure that such lands as are suitable for cultivation are provided and that water for drinking, washing etc. is available for settlers.

(d) It is proposed to send 104 families to the Islands for rehabilitation during 1969-70.

Cow Slaughter

9723. **Shri Onkar Singh :** **Shri Sharda Nand :**
Shri Kanwar Lal Gupta : **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri J. B. Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of cows slaughtered during each of the years from 1962-63 to 1967-68, State-wise ;

(b) whether it is a fact that in some States where there is a ban on slaughtering milch cows, many such cows are slaughtered inside and outside the slaughter-houses ;

(c) if so, the arrangements proposed to be made by Government to enforce this ban effectively ; and

(d) the number of persons arrested so far for such an illegal act ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (d). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

A.I.R. Local News

9724. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Suraj Bhan : **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Ranjit Singh :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the average ratio of local news and national news in the broadcasts of local news from Delhi Station of A.I.R. during the last one year ;

(b) the average ratio of statements by the Mayor and Executive Councillors of Delhi in the news broadcasts during the said period ;

(c) the average time devoted to the news covering the proceedings of the Municipal Corporation and Metropolitan Council during the Session days and the time devoted to review their proceedings ; and

(d) whether the ratio of local news relating to the Metropolitan Council, Municipal Corporation and the speeches of important officers of the said bodies are proposed to be increased ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (e) About 58% of the Pradeshik Samachar bulletins of AIR, Delhi was on an average devoted to local news during the period February 1968 to January 1969.

(b) About 4% of this was devoted to reporting the statements by the Mayor and the Executive Councillors of Delhi.

(c) No fixed time is devoted to coverage of the proceedings of the Municipal Corporation and the Metropolitan Council and the review thereof. News about meetings of the Corporation and Council is reported in the regional news bulletins.

(d) Newsworthy items are included and will continue to be included in the bulletins.

New Transmission Station

9725. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the places where new transmission stations will be set up in the next ten years and the amount of expenditure to be incurred thereon ;

(b) the names of the States where there are no transmission stations and the time by which they will be established ; and

(c) the steps being taken by Government to counteract the propaganda carried out by the powerful transmitters of China and Pakistan ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No plan for setting up new stations during the next ten years' period has been prepared. However, information about new stations to be set up during the Fourth Plan period can be given as soon as the Plan has been finally approved.

(b) Haryana ; a station will be set up at Rohtak in this State during the Fourth Plan period.

(c) More effective coverage of border regions of the country is being secured by setting up a number of stations in these areas. In addition, the External Services of A.I.R. are being improved by establishment of powerful short-wave as well as medium-wave transmitters. External services in more foreign languages will be introduced as resources become available.

Refugees from East Pakistan

9726. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister **of Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of refugees who came to India from East Pakistan during the last three years as per the figures collected by Government ; and

(b) the number of persons out of them who have been rehabilitated so far ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) 43,706 persons are reported to have migrated from East Pakistan during the three years 1966-68.

(b) About 8.47 lakh persons have migrated from East Pakistan from 1-1-1964 uptil now. When the new influx from East Pakistan started in January, 1964, it was decided that rehabilitation assistance would be admissible only to those new migrants who on migration, sought/rehabilitation assistance by joining relief camps opened for them. Of those new migrants who joined the relief camps, 36097 families had been settled in agriculture, small trade etc. upto 31-3-1969. In addition, about 3,600 persons had been assisted in employment and in industry. Information is not readily available if the families already assisted include some of the new migrants who migrated during the three years 1966-68 and were admitted in camps. Their rehabilitation is considered as a part of the programme and

plans of rehabilitation of the new migrants admitted in the relief camps since January, 1964. Time and labour involved in collecting specific information of the numbers of the new migrants who came during the said three years and have baen settled as a part of those already assisted as referred to above is not likely to be commensurate with the result likely to be achieved.

Tankers with Delhi Milk Scheme

9727. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be be pleased to state ;

(a) the total number of tankers with the Delhi Milk Scheme at present ; and

(b) the total number of tankers imported during the last three years and their total value ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Twenty.

(b) Nil.

Expenditure on Security of Delhi Milk Scheme

9728. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will thc Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Police Force personnel deputed for security of the Delhi Milk Scheme at present ; and

(b) the total amount of expenditure being incurred on them by the Delhi Milk Scheme annually ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooporation (Shri Annasahib Shinde) : (a) D. M. S. has a Police guard comprising one Head Constable and 5 Constables for guarding the Strong Room and Collection Centre of Delhi Milk Scheme and for carrying the cash daily to the Reserve Bank. The Delhi Milk Scheme has its own force for other security duties.

(b) An annual expenditure of Rs. 17,771/- is incurred by Delhi Milk Scheme on the police guard deputed by the Delhi Police.

Sending of Mail to Kota

9729. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that delay is caused in sending the dak for Kota from Bundi, Ajmer and Jaipur by railway ; and

(b) if so, the objection of the Government in sending this dak direct by buses ?

The Minister of State in the Ministry Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No. Mails from Bundi for Kota are sent exclusively by bus. Mails from Ajmer and Jaipur for Kota are sent by train or by air depending on the time of despatch, so as to ensure their earliest possible transmission.

(b) The despatch of mails from Ajmer and Jaipur for Kota by bus was under consideration. Meanwhile an available daily Air service (Western Air lines) between Jaipur and Kota is being utilised since 7-5-1969 for the conveyance of mails from Ajmer and Jaipur for Kota where it would result in earlier delivery and the conveyance of mails by bus will not now be necessary.

Increasing Unempolyment of Labourers

9730. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the number of labourers which was 18.70 crores in 1966 is likely to rise to about 24 crores in 1976 ; and

(b) the long-term schemes drawn up by Government for directing and utilising the increasing man-power in the right direction in view of the present unemployment position ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) According to the official projections made by the Expert Committee on Population Projections, the estimate of the labour force i. e., those that are economically active in the age group 15-59, as on 1st March, 1966, is 18.16 crores and will rise to 23.10 crores by 1st March, 1976.

(b) Various development programmes included in the Fourth Five Year Plan and the Annual Plans 1969-70 of the Centre and the States will generate substantial employment opportunities.

Telephone Connections in Burhanpur (M. P.)

9731. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleasod to state :

(a) the number of applications for telephone connections received from the residents of Burhanpur (Madhya Pradesh) since January, 1967 ;

(b) the number of telephone connections given by Government to private persons and those installed in the Government circle since the aforesaid date ; and

(c) the number of applications at present lying pending with the Government ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) 71.

(b) Private parties=55 Plus 6 under installation. Government=2.

(c) 115.

Soil Conservation in Madhya Pradesh

9732. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount allocated to Madhya Pradesh in 1968-69 for soil conservation ;

(b) the amount actually spent there during the year ; and

(c) whether the amount was utilised for the purpose for which it was sonctioned ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) For schemes of soil conservation under the state plan, a total outlay of Rs. 250.00 lakhs was approved for 1968-69. In addition under the centrally sponsored schemes of soil conservation in the catchments of River Valley Projects, Hirakund and Chambal, and Survey of Ravine Lands ; a sum of Rs. 50.50 lakhs was allotted to Madhya Pradesh.

(b) According to reports received from the State Government the total utilisation is of the order of Rs. 292.47 lakhs in execution of the State plan schemes and Rs, 50.60 lakhs under the centrally sponsored schemes.

(c) Progress reports received from the State Government indicate that the provisions have generally been utilised on sanctioned works.

Productions of Foodgrains and Commercial Crops in M. P.

9733. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total production of foodgrains and Commercial Crops in Madhya Pradesh during 1966-67, 1967-68 and 1968-69 ; and

(b) the steps contemplated to augment the production in Madhya Pradesh during 1969-70 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) A statement giving estimates of production of foodgrains and Commercial Crops in Madhya Pradesh during 1966-67 and 1967-68 is appended. [*Placed in Library. See* LT—No. 1177/69]. Similar data for 1968-69 is likely to become available some time in July-August, 1969.

(b) The important measures that are proposed to be taken during 1969-70 for increasing agricultural production include ; extension of area under high yielding varieties of foodgrains and multiple cropping, development of minor irrigation, increased use pf fertilisers, improved seeds and manures, adoption of plant protection measures over larger areas, increased provision of agricultural credit and development of infra structural programmes like research, education, extension, improved marketing, warehousing and processing facilities, etc.

Reservation of Land in Rajasthan Canal Area for Forests Deptt.

9734. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of land in Rajasthan canal area in Rajasthan which has been kept reserved by the Central Government for the Forests Department ; and

(b) the area thereof, Tehsil-wise and District-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The required information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha, in due course.

Implementation of the Instruction of the Ministry of Home Affairs Regarding Reservation in Promotion

9735. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Labour Rehabilition** be pleased to state :

(a) the number of Officers and other employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have been promoted against posts reserved for them upto the 15th March, 1969 department-wise, Section-wise and category-wise in and under his Ministry, according to the provisions contained in the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 1-12-67-Establishment (C), dated the 11th July, 1968 ; and

(b) the names and designations of such employees and the names of the Departments where they are working ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b). The necessary information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Promotion of Employees Belonging to Scheduled Castes/Tribes

9736. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the Department-wise, Section-wise and Category-wise number of officers and other employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have been promoted against posts reserved for them upto 15th March, 1969 in and under his Ministry, according to the provisions contained in the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 1-12-66—Establishment (C), dated the 11th July, 1968 ; and

(b) the designations of such employees and the names of the Departments where they are working ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

नई दिल्ली में अतुलग्रोव चमरियों के लिए छत के पंखों की मंजूरी

9737. **श्री अ० दीपा :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में अतुलग्रोव चमरियों के लिये 1968 के आरम्भ में छत का दूसरा पंखा लगाने की मंजूरी दी गई थी ;

(ख) दूसरा पंखा लगाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यह काम कब पूरा होने की सम्भावना है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां । इसकी मंजूरी तारीख 7-9-68 को दी गई थी ।

(ख) और (ग). डी० सी० पंखे जल्दी नहीं लगाये जा सके, उसका कारण उन्हें प्राप्त करने की कठिनाई थी । फिर भी, छत वाले कुछ डी० सी० पंखों को दूसरी इमारतों से उतारा गया है और उन्हें चमरियों में लगाने की कार्रवाई की जा रही है । इस कार्य के लगभग एक महीने में पूरा हो जाने की आशा है ।

Attachment of Assistant Translator with Joint Secretary in the Ministries

9738. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether an Assistant Translator has been posted with each Joint Secretary in each Department and Section under his Ministry in accordance with the provision contained in the Ministry of Home Affairs Orders, dated the 6th July, 1968 ;

(b) if so, the details in regard thereto ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c). Since the receipt of Home Ministry's Office Memorandum which states : "that provision of Hindi translation facilities within each Joint Secretary's charge in a Department could be considered," the Hindi Sections of all the Departments in this Ministry have been duly strengthened as per enclosed statement.

[*Placed in Library. See* No. LT—1178/69]. These strengthened Hindi Sections are undertaking all the translation work which is being passed on by Joint Secretaries direct to them. Steps for further strengthening, if deemed necessary afterwards will be taken.

मजदूर संघों के लिये स्वतन्त्रता

9739. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 जनवरी, 1969 को नई दिल्ली में एशियाई श्रम मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने मजदूर संघ की स्वतंत्रता के लिए एक संविहित ढांचे पर सुझाव दिया था ;

(ख) क्या सुझाव पर समुचित विचार किया गया था, और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) (क) मैंने एक ऐसे उपयुक्त संविहित ढांचे के निर्माण का सुझाव दिया था जिसके अन्तर्गत ट्रेड यूनियन स्वतंत्रता का उपयोग किया जा सके। आज हमारे देश में केवल स्वेच्छिक अनुशासन संहिता ही है।

(ख) जी हां। इस पर सम्मेलन द्वारा स्थापित औद्योगिक संबंध और मजूरी निर्धारण विषयक समिति ने विचार किया था।

(ग) इस समिति की सिफारिशें ट्रेड यूनियन और औद्योगिक सम्बन्ध विषयक घोषणा में समाविष्ट की गई और यह घोषणा सम्मेलन द्वारा स्वीकार की गई। घोषणा में अन्य बातों के साथ, यह सिफारिश की गई कि सरकार को श्रमिकों के संघ बनाने की स्वतन्त्रता और सामूहिक सौदाकारी के अधिकार के आधार-भूत सिद्धांतों में दखल दिये बिना औद्योगिक सम्बन्धों में यथोचित स्थिरता बनाये रखने में सहायता करनी चाहिए, औद्योगिक उत्पादकता को प्रोत्साहन देना चाहिए, नियोजक तथा श्रमिक दोनों ही द्वारा उद्योग में की जाने वाली अवरोधक कार्रवाइयां बन्द करनी चाहिएं और अन्तर्यूनियन प्रतिद्वंदिता को निरुत्साहित करना चाहिए।

"सरकार को श्रमिकों को उनके अधिकारों और कर्त्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना चाहिए और यदि आवश्यक समझा जाय तो श्रमिक संगठनों, यदि वे विद्यमान हों, के सहयोग से इन कार्यक्रमों को चलाना चाहिए।"

"श्रमिकों की ओर से नियोजकों के साथ सामूहिक सौदाकारी करने के लिए सौदाकारी ऐजेंटो के रूप में मान्यता हासिल करने के वास्ते ट्रेड यूनियनों के बीच उत्पन्न विवादों को तय करने के लिए सरकार को प्रक्रियायें निर्धारित करनी चाहिएं।"

"आवश्यक उद्योगों और सेवाओं के मामले में जहां जनहित की दृष्टि से कर्मचारियों के हड़ताल करने के अधिकार पर पाबंदियां लगाना आवश्यक होता है, वहां श्रमिकों की न्यायसंगत मांगों की तुरंत छानबीन करने और उनका ठीक और न्याययुक्त समझौता कराने के लिए मशीनरी स्थापित की जानी चाहिए।"

गन्ने और पटसन का उत्पादन

9740. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों में विशेष रूप से बिहार में गन्ने और पटसन का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) विभिन्न राज्यों में गन्ने और पटसन की प्रति एकड़ उपज क्या है ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में कुल कितना पटसन आयात किया गया और कितनी पटसन से बनी वस्तुएं तथा चीनी निर्यात की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). गन्ने (गुड) और पटसन का विभिन्न राज्यों में 1967-68 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में प्रति हैक्टर उत्पादन और उपज देने वाले विवरण 1 और 2 संलग्न हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 1179/69] 1968-69 के लिए फसल उत्पादन के पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) अपेक्षित जानकारी देने वाले विवरण 3, और 4 और 5 संलग्न हैं।

खेतिहर मजदूरों की सहकारी समितियां

9741. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश भर में खेतिहर मजदूरों की सहकारी समितियां संगठित करने का विचार है ;

(ख) ऐसी खेतिहर मजदूर सहकारी समितियों के लिये क्या विशेष सुविधाएं प्रदान की जायेंगी ; और

(ग) देश के सभी गांवों में ऐसी सहकारी समितियां बनाने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) व (ग). प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में पब्लिक स्कूलों पर दुकान तथा वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम लागू करना

9742. **श्री वेणी शंकर शर्मा** :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन, पब्लिक स्कूलों और धर्म प्रचारक संस्थाओं को, दुकानें तथा वाणिज्यिक स्थापनाएं अधिनियम के अन्तर्गत लाने सम्बन्धी एक प्रस्ताव की जांच कर रहा

था ताकि उनके समय-समय पर मनमाने ढंग से कार्य करने पर नियंत्रण रखा जा सके और उनमें काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सेवा की सुरक्षा का उपबन्ध किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). ऐसी संस्थाओं को दिल्ली दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 के क्षेत्र के अंदर लाने का एक प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है ।

अनुसंधान कार्य में वैज्ञानिकों द्वारा भाग लिया जाना

9743. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान कार्य के विकास में वैज्ञानिकों द्वारा सामूहिक रूप से भाग लिये जाने में सहायता देने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत कृषि तथा पशु पालन अनुसंधान संस्थानों में कर्मचारी अनुसंधान परिषदें स्थापित करने का इन संस्थानों के प्रमुखों ने सुझाव दिया है ;

(ख) क्या इस सुझाव पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) मई, 1966 में हुये अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों के पहले सम्मेलन में अनुसन्धान संस्थानों में कर्मचारी अनुसंधान परिषदें स्थापित करना अत्यन्त आवश्यक समझा गया था ।

(ख) निदेशकों के सम्मेलन द्वारा सर्वसम्मति से की गई सिफारिश को भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के संस्थानों में लागू कर दिया गया है ।

(ग) उन संस्थानों में कर्मचारी-अनुसंधान परिषदों की स्थापना करना (जहां वे पहले नहीं थीं) अनुसन्धान संस्थान में वैज्ञानिक कार्य के लिए अत्यन्त लाभकारी हैं । इस से वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक कार्यक्रमों के विषय में अपने सहयोगियों के साथ विचार विमर्श करने का अवसर मिलेगा तथा सभी अनुसन्धान कर्मचारियों में सहभागी होने की भावना उत्पन्न होगी ।

नेपाल से चावल आयात करने पर प्रतिबंध

9744. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल इस वर्ष पहली बार चीन को अपना 1,43,000 टन फालतू चावल बेच रहा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि नेपाल पहले अपना फालतू अनाज भारत को बेचता था, परन्तु इस वर्ष भारत द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण नेपाल अन्य बाजार ढूंढ रहा था ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या प्रतिबंध लगाये गये थे तथा वे कहां तक उचित थे।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब पी० शिंदे) : (क) सरकार के ध्यान में अपुष्ट रिपोर्टें आई हैं कि इस वर्ष नेपाल अपने कुछ अधिशेष चावल को चीन को बेचने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

(ख) तथा (ग). नेपाल का अधिशेष चावल और धान परम्परागत रूप से भारत भेजा जाता है। नेपाल से भारत के सीमावर्ती राज्यों में ऐसे संचलन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं। भारत में चावल तथा धान के संचलन के सम्बन्ध में अन्तर-क्षेत्रीय प्रतिबन्ध एक लम्बे समय से लागू हैं। इस वर्ष कोई नये प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये हैं। सीमावर्ती राज्यों के अलावा नेपाल से भारत के राज्यों में नेपाली चावल के संचलन के लिये संचलन नियंत्रण आदेश के अंतर्गत परमिट अपेक्षित होते हैं और यह परमिट सम्बन्धित राज्यों द्वारा जारी किये जाते हैं।

Telephone Exchange at Arwal Police Station in Gaya District

9745. **Shri Chandra Shekhar Singh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to set up a Telephone Exchange at Arwal Police Station in Gaya district ;

(b) if so, when ;

(c) whether it is a fact that there is a single line connecting Gaya to Arwal via Jahanabad ;

(d) whether it is also a fact that by connecting Arwal, Patna and Dalmia Nagar by telephone, it can serve the public of the entire area ;

(e) if so, whether a C. B. A. line would be provided at Arwal ; and

(f) if so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) and (b). There is a 10 line exchange already working at Arwal. There is no demand for telephone connection for the police station of this town. No connection, therefore, is working there.

(c) Yes, Sir.

(d) The trunk calls to Patna and Dalmia Nagar are obtained through Jahanabad. Considering the total traffic from Arwal to these stations direct trunk lines are not justified.

(e) and (f). Do not arise.

Opening of Telephone Exchange at Arwal

9746. **Shri Chandra Shekhar Singh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that public is feeling great inconvenience without a telephone exchange in Arwal ;

(b) whether it is also a fact that people in Arwal area do not get line to contact Delhi, Punjab, Bengal etc. by telephone ; and

(c) whether it is also a fact that only a 10 line connection has been provided there at present whereas Arwal, Imamganj and Kurcha can be controlled from Arwal exchange ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) There is already a 10 lines exchange working at Arwal.

(b) For trunk working Arwal is connected to Gaya and Patna through Jahanabad. Delhi and all other stations in Punjab and Bengal can be obtained through Jahanabad.

(c) There is only one 10 line exchange at Arwal. The Kurtha PCO is directly connected to Jahanabad exchange. There is no PCO or exchange at Imamganj.

जहांबाद में टेलीफोन एक्सचेंज

9747. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहांबाद में टेलीफोन लाइन 24 घंटे में केवल 2 या 4 घंटे ही खाली रहती है ;

(ख) क्या टेलीफोन के न होने के कारण वहां बड़ी असुविधा अनुभव की जा रही है : और

(ग) क्या यह भी सच है कि जहांबाद में एक्सचेंज केवल 10 बजे तक ही खुली रहती है और व्यापारियों को वहां बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं । गया और पटना से जहानाबाद की ट्रंक टेलीफोन लाइनों की औसत दक्षता 80 प्रतिशत है । उस क्षेत्र में तांबे के तार की चोरी का खतरा रहता है ।

(ख) 100 लाइनों का एक केन्द्रीय बेटरी टेलीफोन केन्द्र है और प्रतीक्षा-सूची नहीं है ।

(ग) जहानाबाद के टेलीफोन केन्द्र का मौजूदा कार्य-समय 0600 से 2400 है । 24 घंटे सेवा की व्यवस्था का प्रश्न विचाराधीन है ।

Opening of Telephone Exchange at Tekari (Dist. Gaya)

9748. **Shri Chandra Shekhar Singh** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that hundreds of telephone connections have been given to the people in Tekari City, District Gaya but no telephone exchange has so far been opened there ;

(b) whether Government propose to open a telephone exchange in Tekari :

(c) if so, the time by which it is likely to be opened ; and

(d) whether the places like Tekari, Mou, Koch, Goh etc. would also be served if a Telephone exchange is opened in Tekari ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Yes. The exchange can be opened in Tekari in a short time if there are 10 to 12 subscribers willing to take telephone connections. Although several demand notes have been issued, no payments have yet been received.

(d) The proposed exchange will serve subscribers located within a radial distance of about 5 kms from it.

Commercial Broadcasts on A. I. R.

9749. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri R. K. Sinha :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether certain foreign firms had also sent their advertisements for inclusion in the commercial broadcasts from the A. I. R. ;

(b) if so, the number of such advertisements ;

(c) whether some of advertisements among them are also broadcast by the Ceylon Radio Station ;

(d) whether there is any difference between the rates of broadcasts by the Ceylon Radio Station and the All India Radio ;

(e) if so, the extent thereof ; and

(f) the steps being taken by Government to remove that difference ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a), (b) and (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) and (e). The rate structure of advertisements over AIR differs from station to station and the rates are higher than those of Radio Ceylon.

(f) The basis and consideration on which the rates of AIR are fixed are not the same as those of Radio Ceylon. Besides our rates are higher than those of Radio Ceylon. There is no question of removing the difference.

उत्तरों में असंसदीय तथा आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग

9750. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 22 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5090 तथा 6 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1874 और 1875 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें राज्य मंत्री द्वारा इटावा के प्रमुख हरिजन नेताओं के लिए, जो देश व्यापी ख्याति के हैं, प्रयुक्त किये गये असंसदीय तथा आपत्तिजनक शब्दों के बारे में कुछ संसद सदस्यों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है और इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेवार हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) संदर्भित प्रश्नों के हिन्दी उत्तरों में प्रयुक्त भाषा के बारे में माननीय सदस्य से एक शिकायत प्राप्त हुई थी ।

(ख) माननीय सदस्य को 15 अप्रैल, 1969 को उत्तर दे दिया गया है।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति

9751, **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के उन अधिकारियों को, जो गैर-तकनीकी है तथा 62 वर्ष के हैं, तदर्थ आधार पर निम्नतर वेतनमान में नये पदों पर दूसरी बार पुनर्नियुक्त किया गया है ताकि संघ लोक सेवा आयोग और मंत्रिमंडल की स्वीकृति न लेनी पड़े ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे यथा समय सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

सूरतगढ़ फार्म में बीजों का उत्पादन

9752. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने सूरतगढ़ फार्म में पैदा होने वाले बीजों को राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा रियायती दरों पर प्रमाणीकृत किये जाने की व्यवस्था की थी, परन्तु उस फार्म के अधिकारियों ने बीजों को प्रमाणीकृत नहीं करवाया तथा मंत्रालय को यह आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा प्रमाणीकृत कराये बिना ही सभी बीज आसानी से बिक जायेंगे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बढ़िया किस्म के लगभग 6,000 क्विंटल बीज बिना बिके पड़े रहे तथा खपत के लिए बहुत कम दरों पर बाद में बेचे गये जिसके कारण उस फार्म को 5 लाख रुपये से अधिक हानि उठानी पड़ी ; और

(ग) क्या इस बारे में जाँच कराने तथा इस लापरवाही के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभापटल पर रख दी जाएगी ।

पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास

9753. **श्री वेवेन सेन** :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री द० रा० परमार :
श्री प्र० नं० सोलंकी :
श्री किकर सिंह :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से आये उन नये परिवारों की संख्या कितनी है जिन्हें वर्ष 1968-69 में बसाया गया है तथा उन्हें कैसे बसाया गया है ;

(ख) पुनर्वास योजनाओं के लिये कितनी भूमि को खेती योग्य बनाया गया है ;

(ग) उन लोगों के रोजगार तथा प्रशिक्षण के लिये क्या सुविधायें प्रदान की गई हैं ;

(घ) उन विस्थापित व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा लगाये जाने वाले विभिन्न वर्तमान औद्योगिक एककों में अब नियुक्त किया गया है ;

(ङ) उन गैर सरकारी औद्योगिक एककों की संख्या कितनी है जिन्हें इन विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये वित्तीय सहायता दी गई है तथा उन द्वारा आज तक कितनी सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है तथा कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ;

(च) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप में बागान आदि के विकास सम्बन्धी योजनाओं को क्रियान्वित करने में कितनी सफलता मिली है ; और

(छ) महाराष्ट्र के चन्दा जिले की एकीकृत विकास योजनाओं को कितनी सफलता मिली है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 1-4-1968 से 31-3-1969 तक 3898 परिवारों को कृषि में तथा 578 परिवारों को छोटे-मोटे कार्य तथा कृषि पर आधारित उद्योगों में बसाया गया था ।

इसके अतिरिक्त, मार्च, 1969 तक 535 नये प्रवासियों को रोजगार दिलाया गया था । लगभग 70 नये प्रवासियों को औद्योगिक एककों में पुनर्वास सहायता प्रदान की गई थी और 516 व्यक्तियों को विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के आधीन प्रशिक्षण सुविधायें दी गई थीं ।

(ख) पुनर्वास भूमि उद्धार संगठन द्वारा वर्ष 1968-69 के अन्तर्गत 11,500 एकड़ वन भूमि का उद्धार किया गया था । इसके अतिरिक्त कुछ पुनर्वास परियोजनाओं में भूमियों का उद्धार शारीरिक श्रम द्वारा किया गया है ।

(ग) **रोजगार :**

पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रवासियों को रोजगार के मामले में निम्न रियायतें तथा सुविधायें प्रदान की गई हैं :—

(i) रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय नई दिल्ली के जरिये केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में रोजगार के लिये तीसरे वर्ग में सबके ऊपर प्राथमिकता दे दी गयी है ।

(ii) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों से प्रार्थना की गई है कि नये प्रवासियों को रोजगार देने पर विशेष ध्यान दिया जाये ।

(iii) पूर्वी पाकिस्तान से आये स्थायी सरकारी विस्थापित कर्मचारियों को भारत सरकार के अधीन खपत की सुविधायें दी जाती हैं ।

(iv) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों में आयु में तीन वर्ष की छूट दी जाती है ।

(v) सरकारी सेवा में प्रवेश के लिये आयु सीमा में 45 वर्ष तक छूट दे दी गई है।

प्रशिक्षण :

नये प्रवासी निम्न में दी गई वर्तमान योजनाओं के अधीन प्रशिक्षण सुविधायें पाने के पात्र हैं :—

(i) औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, माना, जिसमें 508 स्थानों की क्षमता है।

(ii) भारी-वाहन गाड़ी सहित चालक प्रशिक्षण केन्द्र, माना जिममें 300 स्थानों की क्षमता है।

(iii) माना में नर्सों और दाईयों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र जिसमें 40 स्थान हैं।

(iv) वर्तमान राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण।

(घ) 2,397 व्यक्ति।

(ङ) विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिये पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा 39 निजी उद्योगपतियों को 106.21 लाख रुपये की धन राशि दी गई है। 31 मार्च, 1969 तक 2,762 विस्थापित व्यक्तियों को निजी उद्योगपतियों द्वारा रोजगार पर लगाया गया है।

एक निजी उद्योगपति को सम्बन्धित राज्य सरकार के माध्यम से 77.37 लाख रुपये दिये गये हैं। औद्योगिक एकक ने अभी पूर्ण रूप से उत्पादन आरम्भ नहीं किया है। बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों के अतिरिक्त 31-3-1969 को इस औद्योगिक एकक में पूर्वी पाकिस्तान से आये 52 विस्थापित व्यक्ति रोजगार पर लगे हुए या प्रशिक्षाधीन थे।

इसके अतिरिक्त सम्बन्धित राज्य सरकारों के माध्यम से तीन सहकारी समितियों को 20.60 लाख रु० की धन-राशि दी गई है और उन्होंने 725 विस्थापित व्यक्तियों/स्वदेश लौटे भारतीयों को रोजगार पर लगाने की जिम्मेदारी ली है। औद्योगिक एककों ने अभी उत्पादन आरम्भ नहीं किया है।

(च) दक्षिणी अन्दमान में 500 एकड़ भूमि पर एक रबड़ अनुसन्धान सहित विकास स्टेशन की योजना क्रियान्विति के अधीन है। पूर्ण 500 एकड़ क्षेत्र पर रबड़ के पौधे लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। पौधे भली-भांति उग आये हैं। इस परियोजना में बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों के 37 परिवार रोजगार पर लगाये गये हैं।

कच्चल द्वीप में लगभग 6,000 एकड़ भूमि पर वाणिज्यक आधार पर रबड़ बागान लगाने की एक परियोजना अनुमोदित कर दी गई है। 150 एकड़ भूमि पर पहले ही पौधे उगाये जा चुके हैं। अगले कार्य काल में अन्य 265 एकड़ भूमि पर पौधे लगाये जायेंगे।

(छ) 27 लाख रु० की लागत का चन्दा जिला में एक मार्ग निर्माण कार्यक्रम मंजूर कर दिया गया है। कार्य महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

भारतीय राज्य क्षेत्रों को दर्शाने वाले डाक-टिकट

9754. **श्री देवेन सेन :**
श्री किकर सिंह :
श्री प्र० नं सोलंकी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री द० रा० परमार :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने 1964 में कुछ डाक-टिकट जारी किये थे जिनमें भारतीय राज्य क्षेत्र दर्शाये गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनमें से कुछ डाक-टिकटों में अंडमान तथा लक्कदीव द्वीप-समूह के कुछ भाग को भारत का भाग नहीं दिखाया गया था ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(घ) क्या इस बीच आवश्यक शुद्धि कर दी गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा कब तक शुद्धि कर दी जायेगी ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). 1 64 में ऐसा कोई डाक-टिकट जारी नहीं किया गया था। फिर भी 1957 में भारत के मानचित्र वाली श्रृंखला के डाक-टिकट निकाले गये थे जिनपर अंडमान और लंकादिव द्वीपसमूह नहीं दिखाया गया।

(ग) इन डाक-टिकटों पर भारत का मानचित्र केवल सांकेतिक रूप से प्रदर्शित किया गया था।

(घ) इन डाक-टिकटों का मुद्रण पहले ही बन्द कर दिया गया है।

हड़ताल करने वाले बिहार के शिक्षकों के बारे में समाचार

9755. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक सभा के 50 सदस्यों ने 9 अप्रैल, 1969 को शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने बिहार के कालेजों के हड़ताल करने वाले शिक्षकों की माँगों का समर्थन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त पत्र लिखने में किस सदस्य ने पहल की थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया ने इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य प्रमुख सदस्यों के नामों सहित पहल करने वाले सदस्य का नाम प्रकट कर दिया है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि आकाशवाणी ने 9 अप्रैल, 1969 को क्रमश: 8.45 और 9.00 बजे म० प० के हिन्दी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिनों में यह समाचार प्रसारित किया था और इन समाचार बुलेटिनों में पत्र लिखने में पहल करने वाले सदस्य का नाम नहीं प्रसारित किया गया था ;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं । और

(च) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हाँ ।

(ख) श्री रामावतार शास्त्री ।

(ग) और (घ). जी हां ।

(ङ) यह चूक जान बूझकर नहीं की गई । सीमित समय उपलब्ध होने के कारण हस्ताक्षर करने वाले केवल कुछ ही व्यक्तियों के नाम बताये जा सकें ।

(च) आकाशवाणी के प्राधिकारी को यह बता दिया गया हैं कि क्योंकि श्री रामावतार शास्त्री पहल करने वालों में थे, अतएव, उनका नाम बुलेटिन में दिया जाना चाहिए था ।

उत्तर प्रदेश को चावल की सप्लाई

9756. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को 1968 में कितना चावल सप्लाई किया;

(ख) राज्य सरकार ने उस वर्ष में कितना चावल मांगा था ;

(ग) क्या 1969 में कम मात्रा में चावल सप्लाई किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश चावल की दृष्टि से सामान्यत: आत्मनिर्भर है 1968 और 1969 के वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय भंडार के लिये कुछ चावल दिया है ।

(ग) और (घ), प्रश्न ही नहीं उठते ।

उत्तर प्रदेश को उर्वरकों की सप्लाई

9757. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में उत्तर प्रदेश को रासायनिक उर्वरकों की कुल कितनी मात्रा सप्लाई की गई ; और

(ख) इस से पहले के वर्षों में सप्लाई की गई मात्रा की तुलना में यह कितनी कम अथवा अधिक है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1968-69 की अवधि में केन्द्रीय उर्वरक भण्डार से उत्तर प्रदेश को रासायनिक

उर्वरकों की कुल निम्न मात्रा सप्लाई की गई थी :—

नाईट्रोजन	2,50,076 मीटरी टन
पी$_2$ ओ$_5$	64,309 „ „
के$_2$ ओ	30,283 „ „

(ख) 1965-66, 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 की अवधि में राज्य सरकार को सप्लाई किये हुये उर्वरकों की मात्रा निम्न प्रकार थी :—

उर्वरकों की किस्म	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69
नाईट्रोजन	72,760	91,151	1,57,601	2,50,076
पी$_2$ ओ$_5$	----	23,796	47,892	64,309
के$_2$ ओ	—	—	20,570	30,283

चौथी पंचवर्षीय योजना में टेलीविजन कार्यक्रम

9758. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री सी० भुत्तु स्वामी :
श्री रा० वें० नायक :
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने नगरों में टेलीविजन कार्यक्रम आरम्भ होने की संभावना है ; और

(ख) देश के विभिन्न भागों में टेलीविजन की सुविधाओं की व्यवस्था करने में किस आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) दिल्ली के अतिरिक्त जहां टेलीविजन केन्द्र पहले ही स्थापित हो चुका है, पांच नगरों में अर्थात कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कानपुर या लखनऊ और श्रीनगर।

(ख) जन संख्या का सकेंद्रण और देश के विभिन्न भागों में सामयिक वितरण।

झुंझनू जिला (राजस्थान) में डाक व तार कार्यालय

9759. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के झुंझनू में इस समय कितने डाकघर, टेलीफोन केन्द्र तथा टेलीफोन कनेक्शन है ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में उस जिले में डाकघरों, टेलीफोन केन्द्रों, टेलीफोन कनेक्शनों का विस्तार करने की योजना क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क)

डाकघर :	226
टेलीफोन कनेक्शन :	530
टेलीफोन एक्सचेंज :	9

(ख) विभागीय मानकों की पूर्ति होने और धन-राशि उपलब्ध होने पर 1969-70, 1970-71 और 1971-72 में 52 डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है। चौथी योजना की पूरी अवधि के लिए अभी तक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

चौथी योजना की अवधि के दौरान इस जिले में मौजूदा एक्सचेंजों में से छः की क्षमता में विस्तार करने और पांच नये टेलीफ़ोन एक्सचेंज स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। आवश्यकता के अनुसार चौथी योजना में और अधिक टेलीफोन एक्सचेंज खोले जा सकते हैं या उनका विस्तार किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में भाण्डागारों/गोदामों पर व्यय

9760. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय भाण्डागार निगम के भाण्डागारों/गोदामों पर कितनी राशि खर्च की जाती है ;

(ख) ये गोदाम रेलवे स्टेशन से कितनी दूर है ;

(ग) इन गोदामों में इस समय कितना स्टाक है ; और

(घ) इन गोदामों की देखभाल और कर्मचारियों पर प्रतिमास कितना व्यय होता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) फिलहाल केन्द्रीय सरकार का उत्तर प्रदेश में अपना कोई गोदाम नहीं है। केन्द्रीय भान्डागार निगम का अपना केवल एक भाण्डागार चन्दौसी में है जिसके निर्माण पर उन्होंने 31-3-1969 तक 12.05 लाख रुपये व्यय किये हैं।

(ख) लगभग $\frac{1}{4}$ किलोमीटर।

(ग) 30 अप्रैल, 1969 को 7,828 मीटरी टन।

(घ) 1968-69 में प्रतिमास औसत क्रमशः 285.28 रुपये और 3,832.00 रुपये।

किसानों का एक दूसरे राज्य में आना जाना तथा यात्रा

9761. **श्री वि० नरसिन्हा राव** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में किसानों में खेती करने के नवीनतम तरीकों सम्बन्धी जानकारी के प्रसार हेतु किसानों के अन्तर्राज्यीय आने जाने तथा यात्रा का कार्यक्रम प्रायोजित किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्यक्रम को प्रायोजित करने वाले संगठन का नाम क्या है और क्या सरकार ने इसे कोई सहायता दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) इस कार्यक्रम को कृषकों के राष्ट्रीय टनेज कल्ब ने प्रायोजित किया है ;

भारत सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई थी, फिर भी, उसने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

उद्योग में मशीने लगाने सम्बन्धी समिति का गठन

5762. **श्री वि० नरसिन्हा राव :**

श्री देवराव पाटिल :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग में मशीनें लगाने के प्रश्न पर अध्ययन करने के लिए सरकारी नियोजकों तथा कर्मचारियों की एक विशेषज्ञ समिति बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निर्देश पद क्या हैं ; और

(ग) क्या उस समिति के अध्ययन में सभी किस्म के उद्योग आयेंगे अथवा वह केवल निर्दिष्ट उद्योगों तक ही सीमित रहेगा ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क), (ख) और (ग). एक ऐसी समिति स्थापित करने का प्रस्ताव, जिसमें सभी संबंधित पक्षों के प्रतिनिधि हों और साथ ही विशेषज्ञ पर्याप्त संख्या में हों तथा जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित हों, सरकार के विचाराधीन है ।

(1) जिन सरकारी और गैर-सरकारी उद्यमों में स्वचालित मशीनें लगाई जा चुकी हैं, उनमें उनके चलाये जाने से हुए कुल परिणामों का पुनरीक्षण करना ।

(2) ऐसे किन्हीं विशेष क्षेत्रों का निश्चित करने की कसौटियों की सिफारिश करना, जिनमें स्वचालित मशीनें, संगण सहित लगाने की अनुमति दी जा सके अथवा निम्न बातों को ध्यान में रखकर रोक लगाई जा सके ;—

(i) उद्योग और कारोबार में तथा विशेषकर निर्यात-कारी उद्योगों में कार्य-प्रवीणता एवम् उत्पादकता की आवश्यकताएं ;

(ii) वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास की आवश्यकताएं ;

(iii) आधुनिक उद्योग, कारोबार, परिवहन इत्यादि सम्बन्धी बड़ी मात्रा में आकड़ों की उचित समय पर तालिकायें बनाने, उनका विश्लेषण और अध्ययन करने की आवश्यकता ; और

(iv) स्वचालन के लिए विदेशों में निर्मित सामान के आयात पर रोक लगाने और देश के अन्दर बने ऐसे सामान के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।

(3) स्वचालित मशीनों के लगाने से उत्पन्न होने वाले हानिकर सामाजिक प्रभावों को कम से कम करने अथवा उन्हें न होने देने के लिए सुरक्षात्मक उपायों की सिफारिश करना ।

(4) किसी अन्य सम्बद्ध विषय के बारे में विचार करना और सिफारिशें करना ।

Field Assistants in All India Soil and Land Use Survey Organisation

9763. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri N. R. Deoghare :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the Recruitment Rules of the All India Soil and Land Use Survey Organisation, qualification for the posts of Field Assistant have been laid down as matriculation while actually matriculates with diploma in agriculture of Intermediate Science candidates are appointed against the said posts ;

(b) the reasons for which pay scale of Rs. 110-200 is given to the field Assistant instead of the pay scale of Rs. 150-300 ; and

(c) whether it is also a fact that the surveyors with lesser experience and lower qualifications as compared to those of the field Assistants have been given a pay scale of Rs. 150-240 in the said organisation and that they are promoted to the posts carrying pay-scales of Rs. 210-425 and 325-575 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Originally the essential qualifications prescribed for recruitment to the posts of Field Assistants were : "F. Se. or Higher Secondary or Marticulate with Diploma in Agriculture". These qualifications were revised in 1967 and now read as follows :—"Matriculation preferably with a Science subject and experience in crop cultivation". Selection of candidates with higher qualifications is not barred under the Recruitment Rules.

(b) The scale of pay attached to the posts of Field Assistants was Rs. 60-150. This scale was subsequently revised to Rs. 110-200 keeping in view the recommendations of the Second Pay Commission.

(c) The qualifications prescribed for posts of Surveyors are :—

(i) Matriculation or equivalent qualification ;

(ii) Certificate in Surveying of the recognised Industrial Training Institute or a Board of Technical examinations ;

(iii) About 2 years experience of field work in Surveying.

Thus, the Surveyors are not required to have lesser educational qualifications than the Field Assistants. In fact, the certificate in Surveying required to be possessed by the Surveyors constitutes a higher technical qualification. This accounts for a higher pay scale of Rs. 150-240.

कृषि श्रमिक कल्याण सम्बन्धी मालवीय समिति

9764. **श्री देवराव पाटिल** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक कल्याण सम्बन्धी मालवीय समिति ने कृषि श्रमिकों के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि हां, उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) (क), (ख) और (ग). इस समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

चिनार (वृक्ष) उगाना

9765. **श्री राजदेव सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि यह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय चिनार आयोग का सदस्य होने के नाते राष्ट्रीय चिनार आयोग को सक्रिय बनाने का सरकार का विचार है ; और

(ख) क्या चिनार के वाणिज्यिक महत्व को देखते हुए सरकार विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों में उन्हें उगाने को प्रोत्साहन देगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय चिनार आयोग का सदस्य होने के कारण भारतीय परिस्थितियों के अन्तर्गत प्रयोगात्मक कार्य के लिए, विभिन्न जातियों और किस्मों के बहुत से चिनार-संकरों के 'क्लोनज' (पौधे लगाने की सामग्री) प्राप्त करना सम्भव हो सका है।

फिलहाल (1) चिनार के क्लोनज की विभिन्न किस्मों की विभिन्न मृदाओं तथा जलवायु परिस्थितियों के अन्तर्गत उपयुक्तता, (2) पनियारी लगाने की तकनीकों (3) प्रसारण तकनीकों का अध्ययन करने के लिए वन अनुसन्धान संस्थान एवं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में अनुसन्धान कार्य प्रगतिशील में है । वन अनुसन्धान संस्थान में चिनार संकरों ने निम्नलिखित उत्साहपूर्ण परिणाम प्रदर्शित किए हैं :—

पी कैसेल 488	पी कैसेल 15
पी कैसेल 214	पी कैसेल 30
पी युन्नाने सिल	पी डिलिटांड्स
पी लेविगाटा	पी रिजैनेरेटा
पी रोबस्टा	पी रिबरोपेरिअट

मैदानी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र गुजरात, मैसूर और पश्चिम बंगाल के राज्यों में पनियारी प्रयोग किए जा रहे हैं । उत्तर प्रदेश में

प्राप्त पनियारी प्रयोगों के उत्साहपूर्ण परिणामों के फलस्वरूप, 1964 से उत्तरी तराई इलाकों में विकासशील क्लानों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है ।

(ख) जी हां ।

वन क्षेत्र

9766. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वन क्षेत्र आज भी अनिश्चित है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या राष्ट्रीय वन नीति बनाने के पश्चात वनों पर आधारित उद्योगों के वन-संसोधनों के परिणाम विकास दर, खपत तथा मांग की प्रवृत्ति का कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं । 1-4-1967 को देश का वन क्षेत्र 753.5 लाख हैक्टेयर था ।

(ख) और (ग). महत्वपूर्ण और कीमती वन नियमित कार्यकारी योजनाओं के अन्तर्गत ला दिये गये हैं जो दस या पन्द्रह वर्षों के बाद समय-समय पर संशोधित की जाती हैं । आवश्यक रूप से ये अधिक आर्थिक एवं मूल्यवान जातियों के आंशिक परिगणन के द्वारा समर्थित वन क्षेत्र के एक ब्यौरे वाले स्टाक परिमाण या आधारित प्रबन्ध योजनायें हैं ।

0.53 घनीय मीटर प्रति हैक्टेयर की औसत वार्षिक बढ़ौतरी के साथ औसत उपज वाला स्टाक 32 घनीय मीटर (टिम्बर आकार) प्रति हैक्टेयर है । काष्ठ और काष्ठ उत्पाद्यों की चालू और प्रत्याशित मांग को मालूम करने की दृष्टि से 1958 में पहली बार एक टिम्बर ट्रैन्ड सर्वे किया गया था (टिम्बर ट्रैन्ड्स स्टडी फार दी फार ईस्ट, कन्टरी रिपोर्ट फार इन्डिया, खाद्य और कृषि मन्त्रालय) । तत्पश्चात् काष्ठ पर आधारित उद्योगों के कच्चे माल की आवश्यकताओं पर खाद्य कृषि संगठन के एक विशेषज्ञ ने अध्ययन किया (रिपोर्ट आन इन्टैगरेशन आफ फोरेस्ट्स एण्ड फोरेस्ट इन्डस्टीज 1960 वाई जे० ए० वोन मोनरोय) । 1962 में 1962-75 की अवधि के लिए ईधन काष्ठ और औद्योगिक काष्ठ की आवश्यकताओं का एक अनुमान लगाया गया (टिम्बर टैन्ड्स एन्ड प्रास्पैक्ट्स इन इन्डिया, खाद्य और कृषि मन्त्रालय) । 1965 में योजना आयोग ने गूदा, कागज समाचार पत्र का कागज और दियासलाई की लकड़ी की प्रवृत्तियों और आवेषणों के लिये वन कच्ची सामग्रियों पर अध्ययन किये । उपरोक्त प्रकाशनों में विभिन्न वन आधारित उद्योगों की खपत और मांग प्रवृत्तियों के ब्यौरों को निहित कर दिया गया है ।

जोशीपुर और बदामपहाड़ के बीच ट्रंक टेलीफ़ोन लाइन

9767. **श्री रा० रा० सिंह देव** : **श्री गु० च० नायक** :
श्री महेन्द्र माझी :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोशीपुर और बदामपहाड़ को ट्रंक टेलीफोन लाइन द्वारा मिलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है तथा इस को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) कार्य के लिए आवश्यक प्राक्कलन की मंजूरी की जा चुकी है और सामान के लिए मांग भेज दी गई है । चालू वित्तीय वर्ष के भीतर ही यह कार्य समाप्त हो जाने की आशा है ।

मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग निगम

9768. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** 17 अप्रैल, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 1154 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग निगम को आयातित ट्रैक्टरों के वितरण का कार्य सौंपा गया है ;

(ख) क्या ट्रैक्टरों के वितरण के लिये उक्त आयोग को पूरी कमिशन मिलती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस कमिशन में हिस्सा बटाने वाले संगठन, संस्था, समवाय अथवा सार्थ का नाम क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जिस समय मध्य प्रदेश राज्य को ट्रैक्टरों के नियतन का निर्णय किया गया था, राज्य में कृषि-उद्योग निगम की स्थापना नहीं हुई थी । मध्य प्रदेश राज्य के लिए इन ट्रैक्टरों का आयात उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश कृषि उद्योग निगमों के माध्यम से किया गया था । चूंकि अब कृषि उद्योग निगम स्थापित की जा चुकी है, ट्रैक्टर उसी निगम द्वारा वितरित किये जायेगें । इन ट्रैक्टरों को बांटने के लिये यह निगम उन अन्य निगमों के साथ जो कि उसके लिए इन ट्रैक्टरों का आयात करेंगी, आपसी समझौते की शर्तों के अनुसार कमीशन में हिस्सा प्राप्त करेंगी ।

Import of Rice and Paddy from Nepal

9769. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that under an agreement concluded by Government with the Government of Nepal, permission has been granted for the import of rice and paddy for Rajasthan ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the procedure to be followed by the traders in resepect of import thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a), (b) and (c). No agreement has been concluded recently with the Government of Nepal for import of rice and paddy from Nepal. Under the Indo-Nepal Treaty of Trade and Transit there is no restriction on movement of

rice and paddy from Nepal to India. Rice and paddy can and do freely move from Nepal to the bordering States of U. P., Bihar and West Bengal. On account of zonal restrictions on the movement of rice and paddy within the country transit permit is required from the State Government concerned for movement of Nepal rice through any of these bordering States to Rajasthan. Rajasthan Government has issued two import permits for Nepal rice on the basis of export permits issued by U. P. Government during 1969.

प्रादेशिक भाषाओं में कृषि विस्तार साहित्य

9770. **श्री तुलसीदास दासप्पा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों के लिये कृषि विस्तार सम्बन्धी समूचे साहित्य को देश की सभी प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो किसानों में वितरण करने के लिये ऐसा साहित्य कब तक तैयार हो जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। फिर भी यह उल्लेखनीय है कि भारत जैसे विभिन्न प्रकार की कृषि जलवायु अवस्थाओं वाले देश में किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रणालियां मृदा तथा जलवायु की मौजूदा परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिएं। इसीलिए स्थान-स्थान के लिए की गई सिफारिशों में भिन्नता होती है।

केन्द्र के विस्तार निदेशालय की फार्म सूचना एकक कृषि प्रणालियों सम्बन्धी विस्तृत सिफारिशें तैयार करने के लिए जिम्मेवार है। राज्य कृषि विभाग, विशेष स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन प्रणालियों में संशोधन करते हैं और तदोपरान्त संबंधित राज्य विभाग, उन सिफारिशों को किसानों की मांगों के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं प्रकाशित करते हैं। अतः केन्द्र की फार्म सूचना यूनिट का समस्त कृषि विस्तार साहित्य का देश की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव नही है ; फिर भी यह सूचना साहित्य अधिकतर हिन्दी, अंग्रेजी तथा कुछ मामलों में सम्बन्धित विषय के महत्व तथा सिफारिशों की सारे देश के किसानों द्वारा सर्वव्यापी रूप में अपनाए जाने की संभावना होने पर एक या दो अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित करती है। राज्य सूचना यूनिटें तथा सघन खेती जिले कार्यक्रम क्षेत्रों में सूचना एकक किसानों के प्रयोग के लिए क्रमशः अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में सूचना साहित्य प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार हैं। फिर भी केन्द्र की फार्म सूचना यूनिट राज्यों की फार्म सूचना यूनिटों के प्रकाशन कार्यक्रम के सम्पर्क में रहती है तथा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में विस्तृत सिफारिशें भेज कर किसानों के लिए साहित्य प्रकाशन में उनकी सहायता करती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

रतीबत्ती कोयला खान के मजदूरों को बोनस देना

9771. **श्री के० रमानी** : **श्री भगवान दास** :

श्री मुहम्मद इस्माइल : श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलियारी मजदूर सभा और रतीबत्ती कोयला खान, रानीगंज के प्रबन्धकों के बीच 13 नवम्बर, 1967 को हुए समझौते के अनुसार 1966-67 के लिये लाभ से बोनस भुगतान के 50 रुपये तथा अन्य देय राशि पाने वाले मजदूरों की संख्या कितनी हैं ;

(ख) 1967 में तालाबन्दी होने के समय उपस्थित नामावलि में दर्ज सब मजदूरों को बोनस न दिये जाने के कारण क्या हैं ;

(ग) क्या इस करार का उल्लंघन करने के कारण सरकार ने प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं : और

(ङ) क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) इस प्रश्न में उल्लिखित लाभांश बोनस के 50 रुपये का आशय शायद उस अनुग्रह पूर्वक अदायगी से है जो 13 नवम्बर, 1967 को हुए समझौते के अन्तर्गत स्वीकार की गई थी। समझौते की शर्तों के अनुसार जिन 1249 श्रमिकों को इसे पाने का हक था उनमें से कुल 847 श्रमिकों को अदायगी हो चुकी है। इस समझौते के अन्तर्गत और कोई देय राशि की अदायगी नहीं की जानी है।

(ख) (ग), (घ) और (ङ). शेष श्रमिकों ने अभी तक अपनी रकमों के बारे में दावे पेश नहीं किये हैं और वे ऐसा कर सकते हैं। प्रबंधक अदायगी करने के लिये तैयार हैं। इस स्थिति में सरकार द्वारा प्रबंधकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

अनाज की वसूली करने में बिचौलिये

9772. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी संस्थाओं द्वारा किसानों से अनाज की वसूली करने में बिचोलियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है ;

(ख) क्या बिचोलियों के न होने से उधार देने वाली अन्य संस्थायें बीच में आ जाती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नसाहिब शिन्दे) : (क) बिचौलियों को पूर्णतः समाप्त करना संभव नहीं है। तथापि, सरकार की यह नीति है कि बिचौलियों की संख्या कम की जाय और यथा संभव उत्पादकों से सीधे ही खाद्यान्नों की खरीदारी की जाये। इसमें कितनी सफलता होगी यह राज्य में चल रही विपणन और अधिप्राप्ति प्रणाली पर निर्भर करती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता

मेन धेमो कोयला खान

9773. **श्री भगवान दास** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसनसोल पुलिस थाने के अन्तर्गत मैसर्स सूरजमल नागरमल की मेन धेमो कोयला खान के एक श्रमिक की 19 मार्च, 1969 को खान के लम्बी अवधि तक बन्द होने के कारण भूख से मृत्यु हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त खान को खुलवाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या यह सच है कि श्रमिकों को उनकी वैध राशि नहीं दी गई और इसके अतिरिक्त प्रबंधकों ने पानी और बिजली के कनेक्शन काट दिये थे ; और

(घ) क्या सरकार का विचार प्रबंधकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और मिलने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(ख) खान के बन्द होने के बारे में कोलियरी मजदूर कांग्रेस और कोलियरी मजदूर सभा द्वारा उठाये गये विवाद पर समझौते की कार्यवाही की गई लेकिन वह सफल नहीं रही। खान बन्द करने संबंधी विवाद सरकार ने न्याय-निर्णय के लिए 26, नवम्बर, 1968 को औद्योगिक न्यायाधिकरण, कलकत्ता को भेज दिया। न्यायाधिकरण ने यह विचार प्रकट किया कि कारोबार बन्द करना प्रबंधकों की समक्षता के अन्दर है, श्रमिक औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 एफ-एफ-एफ के अन्तर्गत मुआवजे पाने के हकदार थे, और कुछ के नहीं।

(ग) और (घ). सहायक श्रम आयुक्त के अनुनय के प्रबंधकों ने श्रमिकों की अदा न की गई वैध राशियों में से कुछ अदागियों की हैं। चूंकि प्रबंधकों ने श्रमिकों की वैध राशियों की पूरी अदायगी नहीं की है, इसलिए प्रबंधकों के विरुद्ध कार्रवाही की जा रही है मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत दावों की अर्जियां दायर की जा चुकी हैं। कोयला खान बोनस योजना 1948 के पैरा 9 (ब) के उल्लंघन के लिये अभियोजना चलाने के प्रस्तावों की छान-बीन की जा रही है। प्रबंधकों ने पानी और बिजली के कनेक्शन काट दिये थे और स्थानीय सहायक श्रम आयुक्त के प्रयत्नों के बावजूद वे अभी तक पुनः चालू नहीं किये गये हैं।

जमींदारा कृषि सहकार समिति दासलून (हिमाचल प्रदेश)

9774. **श्री प्रतापसिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमींदारा कृषि सहकार समिति, दासलून (हिमाचल प्रदेश) में हुए गबन में कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त हैं ;

(ख) क्या इस गबन का पता समिति के सचिव की मृत्यु से पहले चल गया था ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) इसमें कितने व्यक्तियों का हाथ है ;

(ङ) क्या इस समिति के मामलों की कोई जांच की गई है ; और

(च) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम है और सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० गुरुपदस्वामी) : (क). रु० 18,225.62

(ख) से (घ). गबन का पता समिति के सचिव की मृत्यु के उपरान्त चला था। पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 के अधीन नियुक्त किए गए मध्यस्थ ने सहकारी समिति के सचिव श्री दीनानाथ के उत्तराधिकारियों के विरुद्ध 10,125.62 रुपये का अधिनिर्णय दिया है। 8,100 रुपये के बकाया के बारे में यह पता चला था कि इस राशि सम्बन्धी आवधिक जमा की रसीदों पर समिति के दो अन्य कमेटी-सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और पारिसमापक इस मामले के इस अंश को पुलिस को जांच के लिए सौंपने के लिए कार्यवाही कर रहा हैं।

(ङ) व (च). हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पहले जिस प्रशासनिक जांच को करने का आदेश दिया गया था और जो जिला सहकारी तथा पूर्ति अधिकारी, धर्मशाला द्वारा की गई थी, का यह निष्कर्ष रहा कि कोई विभागीय अनियमितता नहीं थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब सूचित किया है कि पंजीयक सहकारी समितियां, हिमाचल प्रदेश की मुख्यालय से एक ऐसे अधिकारी को समिति के मामलों की जांच करने हेतु प्रतिनियुक्त करने के लिए कहा गया है जो पहले उस इलाके में नियुक्त नहीं किया गया हो जिसमें समिति स्थित है। जांच-प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है।

आकाशवाणी के अभिलेखागार में राष्ट्रीय नेताओं के टेपों का दुरुपयोग

9775. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल आदि के 15,000 से कुछ अधिक पुराने टेपों के मूल भण्डार में से आकाशवाणी के अभिलेखागार में अब कितने टेप रह गये हैं ;

(ख) गत वर्ष पुलिस में जिन 300 टेपों की चोरी के बारे में रपट दर्ज कराई गई थी, उसके बारे में स्थिति क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि 1 दिसम्बर, 1968 को आकाशवाणी का एक अधिकारी अमरीकी सूचना सेवा के सांस्कृतिक अधिकारी को लिरल गिब्स रोड, बम्बई-6 में उनके निवास स्थान पर मिला था तथा टेपों के 3 डिब्बे उन्हें देकर 15,000 रुपये नकद प्राप्त किये थे ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) आकाशवाणी के अभिलेखागार में प्रमुख व्यक्तियों के रिकार्ड किये गये टेपों की संख्या 16,335 है। अभिलेखागार के प्रसिद्ध व्यक्तियों का रिकार्ड किया गया कोई भी टेप गुम नहीं हुआ है।

(ख) पिछले वर्ष 177 (300 नहीं) खाली टेपों की चोरी की रपट पुलिस में दर्ज कराई गई थी। दो चोरियों के बारे में, जिसमें 84 टेपों का नुकसान हुआ था, पुलिस ने यह सूचित किया कि चोरी किये गये सामान की या अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिला। शेष टेपों के बारे में पुलिस की जांच रिपोर्ट की प्रतिक्षा की जा रही है।

(ग) सरकार को ऐसी घटना का पता नहीं है। तथापि, पूछताछ की जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीजों की बिक्री

9776. **श्री को० सूर्यनारायण** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में 31 मार्च, 1969 तक अधिक उपज देने वाली किस्मों के धान के बीजों की वसूली करने के लिये राष्ट्रीय बीज निगम ने किसानों को प्रति क्विंटल कितनी कीमत दी ;

(ख) विभिन्न राज्यों में किसानों से कितनी मात्रा में और किस किस्म के बीज खरीदे गये तथा उन्हें बेचे गये और वसूल किये गये उक्त बीज जरूरतमन्द किसानों को प्रति क्विंटल किस कीमत पर बेचे गये ; और

(ग) उक्त अवधि में राष्ट्रीय बीज निगम को इस सौदे विशेष में कितना लाभ हुआ ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) :

(क)

वर्ष	प्रति क्विंटल दी गई कीमत
1966	56.25 रुपये
1967	56.25 ,,
1968 (खरीफ 1968 तक)	60.00 ,,

(ख)

वर्ष	किस्म	अधिप्राप्त मात्रा (क्विंटलों में)	राज्यों को बेची गई कुल मात्रा क्विंटलों में	कीमत जिस पर बेची गई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1966	तायचुंग नेटिव - 1	99,000	72,600	100 रु० प्रति क्विंटल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1967	टी एन-1 / आई आर-8	38,070	38,700	*100 रु० प्रति क्विंटल
1968	आई आर-81	34,371	26,000	*95 रु० प्रति क्विंटल
	आई आर-8-68		9,000	**100 रु० प्रति क्विंटल

**(आई आर-8-68 के लिये एक सुघरी किस्म)

*इन आंकड़ों में कुछ वे मात्रायें भी सम्मिलित हैं जो कि पिछले वर्ष की वसूली से छूट गई थीं।

(ग) 10,67,750 रुपये। इस राशि में राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा प्रक्रिया, उपचार, पैकिंग, मोहरबन्दी, भण्डारण, परिवहन और अन्य ऊपरी खर्च आदि पर व्यय की हुई राशि सम्मिलित नहीं है जो लगभग 32 रुपये प्रति क्विंटल आती है।

Assistance to Families Displaced by Indo-Pak Conflict

9777. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of villages, cities, families and individuals in Rajasthan, Punjab and Jammu and Kashmir, affected by the Indo-Pak conflict in 1965 ;

(b: the amount of financial assistance given so far by the Central Government to the aforesaid States, separately, to enable them to rehabilitate the displaced families and to provide employment to them, and

(c) the amount of assistance to be given to those States during the year 1969-70 ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) About 3,60,400 persons, comprising about 77,000 families, were reported to have been affected by the Indo-Pak conflict in 1965.

80 villages and one town were affected in Punjab. Similar information in respect of Jammu and Kashmir and Rajasthan is not readily available.

(b) the financial assistance given to the Governments of Jammu and Kashmir, Punjab and Rajasthan upto the 31st March, 1969, is as follows :—

Jammu and Kashmir	Rs. 1351.36 lakhs
Punjab	Rs. 460.89 lakhs
Rajasthan	Rs. 35.22 lakhs
Total :	Rs. 1847.47 lakhs

(c) A provision of Rs. 5.15 lakhs has been made in the Budget Estimates for the year 1969-70.

प्रयोगात्मक नलकूप संगठन का होशंगाबाद में लगाया गया "रिग"

9778. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में लगाये गये प्रयोगात्मक नलकूप संगठन के "रिग" के हटाये जाने तथा आश्वासन देने के बावजूद भी वहां पर दूसरा "रिग" नहीं लगाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या प्रयोगात्मक नलकूप संगठन उक्त-क्षेत्र में कोई "रिग" भेजेगा ; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे : (क) से (ग). 1968-69 की अवधि में होशंगाबाद जिले में जो रिग भेजी गई थीं उसे सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये साथ वाले राज्य में भेजना पड़ा था। 1969-70 की अवधि में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तथा नरसिंगपुर क्षेत्रों में समन्वेषी ड्रिल्लिंग शुरु करने का तथा इस कार्य के लिये २ रिगें भेजने का प्रस्ताव है। परिचालन क्षेत्रों में रिगें भेजने के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

Installation of Pumping Sets in Bihar Etc.

9779. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Arjan Singh Bhadoria :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2864 on the 13th March, 1969 and state :

(a) the number of pumping sets which are proposed to be installed in Bihar, West Bengal, Orissa and Uttar Pradesh separately during the Fourth Five Year Plan ; and

(b) the number of pumping sets installed in 1969-70 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The number of pumping sets tentatively proposed by the Government of Bihar, West Bengal, Orissa and Uttar Pradesh to be installed during the Fourth Five Year Plan and during 1969-70 is indicated below :

State	Targets for pumping sets	
	Fourth Plan	1969-70
Bihar	1,65,000	33,000
West Bengal	35,000	13,000
Orissa	6,000	1,200
Uttar Pradesh	1,55,000	30,000

The Fourth Plan proposals of the State Governments and the outlays for minor irrigation during the Fourth Plan have not yet been finalised. The figures indicated above are, therefore, purely tentative and subject to revision in the light of the finally approved Fourth Plan proposals of each State.

Information regarding the number of pumping sets actually installed during 1969-70 is not yet available.

मुख्य धेमो कोयला खान के श्रमिकों द्वारा उपवास

9780. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री भगवान दास :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसनसोल में मुख्य धेमो कोयला खान के मालिकों द्वारा ताला-बन्दी की घोषणा के विरोध में पाँच श्रमिक उपवास कर रहे हैं ?

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों के हितों की सुरक्षा करने के लिये सरकार द्वारा उस मामले में क्या कार्यवाही की गई हैं, और

(ग) क्या यह भी सच है कि उपवास करने वाले श्रमिकों की स्थिति गम्भीर हैं ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क). जी हाँ । मुख्य धेमों कोयला खान के छटनी किये गये पाँच श्रमिकों ने 20-3-69 से भूख हड़ताल कर दी थी ।

(ख) समझौता कार्यवाही असफल होने पर, सरकार ने कोयला खान बन्द होने सम्बन्धी विवाद को न्याय-निर्णय के लिए 20-11-1968 को केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायधिकरण कलकत्ता को भेजा गया था । न्यायाधिकरण ने अपना पंचाट दे दिया हैं और यह विचार व्यक्त किया है कि कारोबार को बन्द करना प्रबन्धकों की सक्षमता के अन्दर है, श्रमिक औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 एफ एफ फ के अन्तर्गत मुआवजा पाने के हकदार थे, और कुछ के नहीं । श्रमिको को अदा न की गई देय राशिओं की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है ।

(ख) पांच भूख हड़तालियों में से, तीन की दशा 5-4-1969 को खराब हो गई थी । उन्हें अस्पताल में भेज दिया गया था । यह भूख हड़ताल 8-4-69 को समाप्त की गई ।

New Telephone Exchange at Chandni Chowk

9781. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communication** be pleased to state :

(a) whether the Department of Communications have written to the Delhi Development Authority that some alternative accomodation be provided to those who would be displaced as a result of proposed construction of a Telephone Exchange behind the Megistic Cinema in Chandni Chowk, Delhi ;

(b) whether the high officials of the Department of Communications have visited this area ; and

(c) if so, their reaction in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The P and T Department has requested the Delhi Administration to acquire the site behind Majestic Cinema for construction of Chandni Chowk Exchange building. It is now for the Delhi Administration to take action under the Land Acquisition Act and hand over the vacant possession of the site to the P and T Department. It is presumed that action will be taken by the Delhi Administration

for providing the alternative accommodation to those who would be displaced as a result of this acquisition.

(b) and (c). A senior officer of the Delhi Telephone District has visited the site. However, some senior technical officers will also visit the site and give their opinion on its suitability.

कुछ फिल्मों के विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमें

9782. **श्री देवेन सेन** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री, 17 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6667 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने फ़िल्म सेंसर बोर्ड द्वारा अनुमोदित कुछ फिल्मों के विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमें दायर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन फिल्में तथा उनके निर्माताओं ने नाम क्या है ; और

(ग) न्यायालयों ने क्या निर्णय दिए हैं ?

सचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राजमन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जम्मू तथा काश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और राजस्थान सरकारों, जिनसे अभी सूचना प्राप्त होना है, के अतिरिक्त किसी भी राज्य सरकार ने केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा पास फिल्मों के विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमें दायर नहीं किये हैं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

मनोरंजन कर से छूट दी गई फिल्में

9783. **श्री देवेन सेन** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री 10 अप्रैल, 1969 के अतिरिक्त प्रश्न संख्या 5910 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-67 में सरकार ने कितनी फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट दी ;

(ख) उनके नाम तथा उनके निर्माताओं के नाम क्या हैं ;

(ग) यह छूट प्रत्येक मामले में किस आधार पर दी गई ; और

(घ) क्या फिल्मों में वे फिल्में भी शामिल हैं जो फिल्म वित्त निगम द्वारा दिये गये अनुदान से तैयार की गई हैं और यदि हाँ, तो उनकी संख्या क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क), (ख) और (ग). एक *विवरण जिसमें महाराष्ट्र और जम्मु तथा काश्मीर को छोड़कर शेष सभी राज्यों और संघ प्रशासित क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी हुई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया** । **देखिये** संख्या एल० टी० 1180/69] । शेष दो राज्यों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

ट्रैक्टरों आदि की मरम्मत में प्रशिक्षण की सुविधायें

9784 **श्री तुलसी दास दासप्पा :**
श्री बेवराव पाटिल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट्रैक्टरों, फसल काटने के यंत्रों (हार्वेस्टर) और पावर पम्पों की मरम्मत आदि में प्रशिक्षण सुविधाएं देने की एक योजना को अन्तिम रूप दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कृषि मशीनों के रख रखाव तथा मरम्मत के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं के हेतु एक योजना को अन्तिमरूप दिया गया है और उसको भुवनी तथा हिसार सहित भारत सरकार के प्रशिक्षण केन्द्रों में हाल में लागू किया गया है। राज्य सरकारों से भी ट्रैक्टरों तथा पम्पों आदि की मरम्मत के लिए किसानों के लिए थोड़ी अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रत्येक राज्य में दो प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का अनुरोध किया गया है।

(ख) कृषि-उद्योग निगमों सहकारी संस्थाओं सरकारी प्रक्षेत्रों (कार्य) आदि के मध्यम स्तर के लिए तथा पयर्वेक्षी तकनीकी व्यक्तियों को कृषि मशीनों को चलाने, मरम्मत करने तथा उनका पूर्ण जीर्णोद्धार करने और मशीनों के किराया तथा मरम्मत, केन्द्र के अन्य संगठन तथा प्रबन्ध में प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।

प्रधान मन्त्री द्वारा तमिल नाडु में सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा

9785. **श्री वेंगलराया नायडू :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री ने अप्रैल, 1969 में तमिल नाडु में सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था ;

(ख) क्या उन्होंने उक्त क्षेत्रों को सहायता के लिए दो करोड़ रुपये की मंजूरी दी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र भी सूखाग्रस्त है ;

(घ) यदि हां, तो क्या उन राज्यों ने भी सहायता मांगी है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

सूखे तथा अन्य दवी प्रकोपों से प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता केन्द्रीय दल की

सिफारिशों पर दी जाती है। केन्द्रीय दल की सिफारिशों पर तमिल नाडु सरकार को सूखा सहायता के लिये अब तक 3.25 करोड़ रुपये की एक धन राशि दी गयी है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ). जी हाँ। सूखा सहायता के लिये राजस्थान सरकार को 17.51 करोड़ रुपये की एक धन राशि दी गयी है। आंध्र प्रदेश सरकार को 16.55 करोड़ रपये दिये गये हैं। इसमें तूफान सम्बन्धी सहायता के लिये दी गयी राशि भी शामिल थी। जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, जनवरी, 1969 में एक दल ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया था लेकिन उसने तुरन्त धन राशि देने की कोई सिफारिश नहीं की थी। एक अन्य दल ने अभी हाल ही में दौरा किया है और दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश को सूखा सहायता के लिये वित्तीय सहायता दी जाएगी। दल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

Post Offices in Bihar

9786. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of applications received by the Postmaster General of Bihar for opening of new Post Offices, upgrading the Branch Offices and provision of telephone connections during the last two years ;

(b) the number thereof on which action was taken ;

(c) whether it is a fact that in spite of various efforts made by the Postmaster General of Bihar, a large number of applications are lying unattended to because the Superintendents of the Postal Department do not take interest in their work and as a result of which the public has to face great difficulty ;

(d) if so, the nature of action taken by Goverment so far in this regard ; and

(e) in case no action has been taken, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Insormation and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No. of application received for

(i) Opening new post offices	1188
(ii) Upgrading of Branch Offices.	74
(iii) Provision of telephone connection	7868
(b) 1. Opening of new post offices.	
(i) Proposals accepted and post offices opened	533
(ii) No. of cases where proposals were not justified under the standards and had to be rejected.	66
(iii) Cases in which sanctions for opening new post offices have been issued but are yet to be implemented.	16
Total	615

2. Upgrading of Branch Offices		
(i) Number of proposals for upgrading the offices accepted.		33
(ii) Number of such proposals not justified by standards and which had to be turned down.		22
	Total	55
3. Telephone Connections		
Number of applications complied with by providing connections		6393

(c) to (e). The remaining applications are under enquiry and the Postmaster General, Patna, has been asked to dispose them early. It may be stated, however, that proposals for opening of new Post Offices or upgrading of Post Offices necessitate the maintenance and check of the statistics of various classes of postal traffic during the observation period and this takes some time.

The demands for telephone connections could not be met expeditiously due to shortage of exchange capacity and resources.

दिल्ली में खाली पड़े प्लाटों का आवंटन

9787. **श्री बलराज मधोक :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की कुछ पुनर्वास बस्तियों में कई ऐसे प्लाट खाली पड़े हुए हैं जिनका नये सिरे से विकास किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इनमें से कुछ प्लाटों पर लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है और कुछ प्लाटों में कूड़ा फेंका जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे प्लाट धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाओं को सामान्य रियायती दरों पर अथवा जरूरतमंद विस्थापित व्यक्तियों को देने के लिये कार्यवाही करने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) (ख) और (ग). पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिए विभाजन के बाद के वर्षों में भारी संख्या में आवास बस्तियों का विकास किया गया था और विस्थापित व्यक्तियों को प्लाट/मकान अलाट किये/बेचे गये थे। 1955-56 तक यह कार्य प्रायः पूर्ण हो गया था। उसके उपरान्त, पुनर्वास विभाग ने इन प्लाटों की अलाटमेंट बन्द कर दी थी क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों से सम्बन्धित पुनर्वास कार्य प्रायः पूर्ण हो चुका था। इस प्रक्रिया में थोड़ी संख्या में रिहायशी वाणिज्यक तथा अन्य प्लाट जो सामुदायिक प्रयोजनों के लिये थे, बिना निपटाये रह गये। यह ज्ञात हुआ है कि इन खाली प्लाटों में से कुछ प्लाट अवैध कब्जे के अधीन आ गये हैं। इन प्लाटों के निपटान की रीति सरकार के विचाराधीन है।

भूमि बंधक बैंकों द्वारा दीर्घकालीन ऋण दिया जाना

9788. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में भूमि बन्धक बैंकों द्वारा ऋण किस प्रकार दिया जाता है ;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने भूमि बन्धक बैंकों द्वारा दीर्घकालिक ऋण दिये जाने की प्रक्रिया को उदार बनाने के लिये योजनाएं बनाई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सम्बन्धित राज्यों द्वारा बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क), (ख) व (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पाटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीय खाद्य बजट

9789. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 22 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4970 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खाद्य बजट तैयार करने के बारे में इस बीच कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की भावी नीति क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख). उत्पादन तथा बोए गये क्षेत्र के और सामयिक अनुमान तैयार करने हेतु एक योजना बनायी गयी है । राष्ट्रीय खाद्य बजट तैयार करने में आयी सभी बाधाओं को दूर करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । तथापि, इस पर काफी समय लगने की सम्भावना है ।

Small Irrigation Schemes in Madhya Pradesh

9790. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the names of small irrigation schemes proposed by Madhya Pradesh Government for inclusion in the Fourth Five Year Plan ;

(b) whether these have been included in the Fourth Plan by Government ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c). The names of the small irrigation schemes praposed by the State Government of Madhya Pradesh for inclusion in the Fourth Plan are as under :—

(a) **Agricultural Sector**

(1) Direct loaning for private minor irrigation works like wells/tubewells, electric pumpsets, diesel pumpsets and persian wheels.

(2) Loans to cooperative societies for lift and flow irrigation.

(3) Boring and deepening of wells.

(4) Purchase of debentures of Land Mortage Banks, Agriculture Refinance Corporation Agro-industries Corporation.

(5) Subsidy for infructuous expenditure on failed tubewells.

(b) Director of Tubewells

(1) 7,000 shallow tubewells programme.

(2) Pilot tubewell programme in Chhatisgarh plains (200 nos.)

(3) Groundwater Surveys.

(c) P. W. D. Sector

(1) Continuing schemes ; (a) 60 spill-over schemes of Third Plan including tubewells ; (b) 167 new schemes taken up during 1966-67 to 1968-69 ; (c) 150 incomplete works of scarcity programme ; (d) Incomplete works of Community Development and Tribal Development Blocks ; (e) Surveys and Investigations.

(b) Irrigation Department :

62 deep tubewells in Narmada Valley, distributed among various districts on fixed criteria.

The Fourth Plan has, however, not yet been finalised.

Supply of Seeds to Farmers in M. P.

9791. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the farmers of Madhya Pradesh have been provided with S. 308, S. 227 Kalyansona seeds of wheat ;

(b) if so, the arrangements made by Government to purchase the yield of this improved variety of wheat ;

(c) the procurement price of this wheat ; and

(d) in case this wheat is not proposed to be purchased the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Kalyan Sona and Sharbati Sonaro seeds of wheat was supplied to Madhya Pradesh Government as demanded. No quantity of S. 308 was supplied to the State Government.

(b) and (c). Government of India will purchase all F. A. Q. wheat offered for sale at the procurement price of Rs. 76/- per quintal fixed for the marketing season 1969-70.

(d) Does not arise.

मनीपुर में कर्मचारियों के कल्याण के लिए उपाय

9792. **श्री एम० मेघचंद** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक निर्माण विभाग, मनीपुर, लोक निर्माण विभाग वर्कशाप और बिजली विभाग में श्रमिकों के कल्याण के लिये क्या उपाय अपनाये गये हैं ; और

(ख) क्या उक्त संस्थापनाओं में काम कर रहे कर्मचारियों के कल्याण की देखरेख के लिये सरकार का विचार श्रम कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति करने का है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा में बेरोजगारी

9793. **श्री किरित बिक्रम देव बर्मन** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में, वर्गवार कितने व्यक्तियों के बेरोजगार रहने की सम्भावना है और ये आंकड़े तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के समय के आंकड़ों की तुलना में कितने कम या अधिक होंगे ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में त्रिपुरा के लिये रोजगार के सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) त्रिपुरा में, अथवा कुल मिला कर पूरे देश में बेरोजगारी के विषय में विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। योजना आयोग ने बेरोजगारी आगणन पर अगस्त, 1968 में विशेषज्ञों की एक समिति बनाई है। समिति बेरोजगारी, श्रम शक्ति की वृद्धि और रोजगार की सम्भाव्यता का अनुमान लगाने के रीति-विधान पर विचार करेगी एवं अपने सुझाव देगी। समिति का कार्य प्रगति पथ पर अग्रसर है।

(ख) त्रिपुरा राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा, जिन्हें अभी अंतिम रूप दिया जाना है, अधिकाधिक रोजगार अवसर उपलब्ध होने की सम्भावना है।

Uniform Labour Law for Hotel Industry

9794. **Shri Ramavatar Shastri :** **Shri Chandra Shekhar Singh :**
Shri K. M. Madhukar : **Shri Bhogendra Jha :**
Shri Yogendra Sharma :

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a demand was made to Government in a Resolution passed by the All-India Hostels and Restaurants Conference held at Jaipur on the 23rd April, 1969 that a uniform Labour Law be introduced for the entire hotel industry in the country ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhugwat Jha Azad) : No such demand has been received.

(b) Does not arise.

दिल्ली में सब्जी मन्डियों में दुकानों का कार्य-काल

9795. **श्री काशी नाथ पांडेय** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दिरा फल तथा सब्जी मण्डी तथा दरिया गंज मार्केट, दिल्ली में फलों के थोक व्यापारियों की दुकानों के काम करने के घंटों का विनियमन करने के सम्बन्ध में जुलाई, 1966 में कोई अधिसूचना जारी की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन्दिरा मार्केट, दिल्ली में आढ़तियों की, जो थोक व्यापारी नहीं हैं, दुकानें 24 घंटे क्यों खुली रहती हैं, जिसेके कारण निवासियों तथा कर्मचारियों को बड़ी असुविधा और कठिनाई अनुभव होती है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने दुकान खुलने का समय चार बजे सुबह और दुकान बन्द करने का समय साढ़े आठ बजे शाम निश्चित किया है।

(ग) इंदिरा मार्केट, दिल्ली के आढ़ती फलों और सब्जियों के फुटकर विक्रेता नहीं हैं। वे थोक विक्रेता हैं और इसलिये वे फलों और सब्जियों के थोक व्यापारियों के लिए दुकान खोलने और बन्द करने के लिए वर्तमान निश्चित घंटों के अन्तर्गत आ जाते हैं।

फिल्म निर्माताओं को दी गई विदेशी मुद्रा

9796. **श्री जुगल मण्डल** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1968 तक गत तीन वर्ष में कलकत्ता के फिल्म निर्माताओं को विदेशों में 'शूटिंग' के लिये कोई विदेशी मुद्रा दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन निर्माताओं के नाम क्या हैं और

(ग) उन में से प्रत्येक निर्माता को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) . प्रश्न नहीं उठते।

चलचित्र निर्माताओं के लिये विदेशी मुद्रा

9797. **श्री जुगल मंडल**: क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री 11 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4176 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलचित्र निर्माताओं के लिए मंजूर की गई विदेशी मुद्रा के बारे में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 1181/69]

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नौसैनिक जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा मछलियों सम्बंधी तटीय सर्वेक्षण

9798. **श्री तुलसी दास दासप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसैनिक जल सर्वेक्षण संगठन ने हाल ही में मछलियों के सम्बन्ध में तटीय सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यह सर्वेक्षण कहाँ-कहां किया गया था और इसके क्या परिणाम निकले ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

देश में बने छोटे ट्रैक्टर

9799. **श्री तुलसी दास दासप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के एक युवक किसान तथा एक इंजीनियर ने कम कीमत और सरलता से समझने वाली मशीन के छोटे ट्रैक्टर को पूर्णतः देश में बनाया है ;

(ख) उसका मूल्य लगभग क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन ट्रैक्टरों का निर्माण आरम्भ करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो ट्रैक्टर बाजार बिक्री में लिये कब रखे जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ ।

(ख) ट्रैक्टर का केवल एक प्रोटो-टाइप निर्माण किया गया है । स्वभावतः प्रोटे-टाइप की कीमत बहुत अधिक होती है । विनिर्माण कर्ता आशा करते हैं कि जब इसका वाणिज्य उत्पादन प्रारम्भ होगा तो ट्रैक्टर का मूल्य लगभग 1000 रुपये होगा ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं होता ।

Programme in Nimadi Language

9800. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the fact that 50 lakhs Nimadi speaking people live in the West Nimad area which comprises of about three districts and one more district also comes in its jurisdiction ;

(b) whether their attention has also been drawn to the fact that no arrangements for separate broadcast for these people from the All India Radio have been made so far ;

(c) if so, whether Government propose to set up a separate broadcasting station at Khargaon, the centre of Nimadi, for the Broadcast in Nimadi, language as has been done at Indore in case of Malwi language and at Chhatarpur in the case of Bundeli language ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Commonications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) The area in question is already covered by Indore Station which broadcasts programmes in Nimadi dialect.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

पंजाब के सतलुज क्षेत्र में केंद्रीय फार्म

9801. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब के सतलुज क्षेत्र में एक केन्द्रीय फार्म स्थापित करने की योजना स्वीकार की है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन के पिछड़े क्षेत्रों में इसी प्रकार का एक फार्म स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) पंजाब सरकार से सतलुज बेट में लगभग 10000 एकड़ भूमि प्राप्त करने का प्रस्ताव है। इस क्षेत्र का विकास 3 वर्ष की अवधि के दौरान किया जायेगा। सोवियत संघ सरकार फार्म के लिये लगभग 31 लाख रु० के मूल्य की मशीनें मुफ्त देने के लिए तैयार है। फार्म का मुख्य उद्देश्य अच्छी किस्म के बीजों का उत्पादन करना है।

(ग) हाल ही में सरकार ने निश्चय किया है, कि फिलहाल, उन फार्मों के, जिनका योजना कार्य अग्रिम अवस्था में है, के अतिरिक्त कोई नये केन्द्रीय राजकीय फार्म स्थापित नहीं किये जायेंगे। अतः इस समय उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय राजकीय फार्म स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव नहीं है।

विमान से बीज बोना और कीटनाशी दवाईयां छिड़कना

9802. **श्री लोबो प्रभु** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण हैं कि कीटनाशी दवाइयां छिड़कने के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले विमान को वर्षा ऋतु से पहले फसल न होने के मौसम में उपयुक्त किस्मों के वृक्षों के बीज बोने के लिये प्रयोग में नहीं लाया जाता ; और

(ख) क्या कारण हैं कि भिन्न-भिन्न समय में और भिन्न-भिन्न बीजों की बुवाई नहीं की जाती, ताकि परीक्षण और अनुभव से सफलता प्राप्त की जा सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). उन क्षेत्रों में जहां छिटकाव प्रणाली से बीज बोने की आवश्यकताओं

को पूरा किया जाता है, वर्ष में किसी भी समय विमानों द्वारा बुवाई करना संभव हो सकता है। वस्तुतः पिछले दिनों में विमान से बीजों के बिखेरने का परीक्षण किया गया था परन्तु प्रतिकूल कीटाणु परिस्थितियों के कारण सफलता नहीं मिल सकी। इस प्रणाली की उपयुक्तता को भिन्न क्षेत्रों और मौसमों में सिद्ध करने के लिए उपयुक्त किस्मों के बीजों को विमान से बिखेरने के लिए पुनर्नवीनकृत परीक्षण करने का प्रस्ताव है।

मछली पकड़ने की मालपे बन्दरगाह

9803. **श्री लोबो प्रभु :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मछली पकड़ने की मालपे बन्दरगाह सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन मैसूर सरकार से प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). मालपे मत्स्य बन्दरगाह पर सलाहकारों की कम्पनियों द्वारा बनाई गई आरम्भिक परियोजना रिपोर्टों पर आधारित एक संक्षिप्त रिपोर्ट मार्च 1969 में मैसूर सरकार से प्राप्त हुई थी। यह बताया गया था कि इस विषय में कार्यकारी योजनाएं और नक्शे बनाए जा रहे थे और इस सम्बन्ध में अधिक अध्ययन का कार्य भी प्रगतिशील था। इसके पश्चात, केन्द्रीय सरकार के तकनीकी अधिकारियों ने मैसूर सरकार के अपने समकक्ष अधिकारियों से विस्तृत विचार—विमर्श किया। योजना को अन्तिम रूप किस प्रकार दिया जाना चाहिए, इस विषय में विचार विमर्श किया गया है और 30 अप्रैल, 1969 को इस विषय में मैसूर सरकार को एक पत्र भिजवा दिया गया है। परियोजना के विवरणात्मक ब्यौरे की अभी प्रतीक्षा है।

मनीपुर में अधिक उपज देने वाली फसल की भूमि

9804. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में मनीपुर में अधिक उपज देने वाली फसल की कितनी एकड़ भूमि में खेती की गई है और कितने बीजों का प्रयोग किया गया है ;

(ख) वर्ष 1969 में कितने एकड़ भूमि में खेती करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) वर्ष 1969 में कितनी अतिरिक्त उपज प्राप्त होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). संघ राज्य क्षेत्र से जानकारी मांगी गई है और मिलते ही सभापटल पर रख दी जायेगी।

मनीपुर को उर्वरकों का आवंटन

9805. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में मनीपुर को कितने उर्वरकों का आवंटन किया गया और वर्ष 1969 में कितने उर्वरकों को आवंटित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) वर्ष 1968 में कुल कितनी मात्रा में उर्वरकों का उपयोग किया गया ;

(ग) मनीपुर के गांवों में किसानों को उन्हें किस मूल्य पर उपलब्ध कराया गया ; और

(घ) वर्ष 1968 में उर्वरक के प्रयोग से कितने एकड़ भूमि में खेती की गई थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) 1968-69 की अवधि में केन्द्रीय उर्वरक भण्डार से मणीपुर के लिए 2.130 मीटरी टन यूरिया (नाइट्रोजन के रूप में 979 मीटरी टन) अलाट किया गया था। 1969-70 के लिए मणीपुर प्रशासन के लिए 4,350 मीटरी टन यूरिया (नाइट्रोजन के रूप में 2,000 मीटरी टन) अलाट किया गया था। प्रशासन ने केवल 2,000 मीटरी टन यूरिया (नाईट्रोजन के रूप में 920 मीटरी टन) की अलाटमेंट को स्वीकार करते हुए 2,350 मीटरी टन यूरिया की अलाटमेंट वापिस कर दी है।

(ख) और (घ). मणीपुर प्रशासन से जानकारी माँगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) केन्द्रीय उर्वरक भण्डार द्वारा मणीपुर प्रशासन को सप्लाई किये हुए उर्वरकों के लिए उन से वसूल हुए मूल्य तथा उसके विपरीत कृषकों से वसूल हुए खुदरा मूल्य निम्न प्रकार हैं:

उर्वरक की किस्म		कृषकों के लिए प्रति मीटरी मूल्य
यूरिया	1. 28.2.69 तक	860 रुपये
	2. 1.3.69 से	943 रुपये

जटनीय (उड़ीसा) में नये टेलीफोन एक्सचेंज के लिए इमारत

9806. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जटनी, उड़ीसा में नये टेलीफोन एक्सचेंज के लिए इमारत बनाने का कार्य आरम्भ करने के बारे में कार्यवाही की गई है ;

(ख) निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). 200 लाइनों की क्षमता का मौजूदा टेलीफोन केन्द्र किराये पर ली गई एक ऐसी इमारत में है, जिसमें 600 वर्गफीट स्थान है और जिसे वर्तमान जरूरतों के लिए यथोचित रूप से पर्याप्त समझा जाता है। फिर भी, कटक के पोस्टमास्टर जनरल भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए एक विभागीय इमारत के निर्माण के लिए जमीन के एक टुकड़े की तलाश में हैं।

बम्बई में निर्मित चलचित्र

9807. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 और 1968 में तथा अब तक बम्बई चलचित्र उद्योग द्वारा कुल कितने चलचित्र बनाये गये ।

(ख) क्या बम्बई चलचित्र उद्योग द्वारा बनाये गये किन्हीं चलचित्रों के प्रदर्शन पर फिल्म सेंसर बोर्ड में प्रतिबन्ध लगाया है ;

(ग) यदि हां, तो किन-किन चलचित्र निर्माताओं के चलचित्रों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है तथा इन फिल्मों के नाम क्या हैं ;

(घ) क्या उपर्युक्त अवधि में चलचित्र वित्त निगम ने बम्बई के चलचित्र निर्माताओं को कोई ऋण दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इन चलचित्रों तथा इनके निर्माताओं के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 1 जनवरी, 1697 से 30 अप्रैल, 1969 तक की अवधि में बम्बई के फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा 228 भारतीय फीचर फिल्में पास की गई थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) और (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

मद्रास चलचित्र उद्योग द्वारा निर्मित चलचित्र

9808. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में अब तक मद्रास चलचित्र उद्योग द्वारा कितने चलचित्र बनाये गये ;

(ख) क्या उक्त अवधि में निर्मित किन्हीं चलचित्रों को भारत में मनोरंजन कर से छूट दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त चलचित्रों तथा उनके निर्माताओं का नाम क्या है ;

(घ) क्या उपर्युक्त अवधि में मद्रास के चलचित्र निर्माताओं को कोई विदेशी मुद्रा दी गई है ;

(ङ) यदि हां, तो इन निर्माताओं के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक निर्माता को कितनी राशि दी गई है ; और

(च) क्या उन्होंने पूरा विदेशी मुद्रा व्यय का है और यदि नहीं तो प्रत्येक निर्माता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

सरकारी संस्थाओं के लिए नाम निर्देशन

9809. श्री काशी नाथ पाण्डेय : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म फैडरेशन आफ इण्डिया, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड आफ इण्डिया एण्ड इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड इण्डिया के उन सदस्यों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1968-69 में सरकारी संस्थाओं में नाम निर्देशन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी संस्थाओं में फिल्म उद्योग में काम करने वाले लोगों का नाम-निर्देशन किये जाने के क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

उर्वरकों का आयात

9810. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पादन तथा मांग के अन्तर को पूरा करने के लिये सरकार का विचार 1969-70 में उर्वरकों का आयात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) अन्य देशों से उर्वरक खरीदने के लिए कितना धन व्यय किए जाने की सम्भावना है ; और

(घ) देश में उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी हां।

(ख) अस्थायी रूप से निम्नलिखित मात्राएं आयात करने का प्रस्ताव है :—

नाइट्रोजन	1,100,000	मैट्रिक टन
$पी_2 ओ_5$	200,000	,,
$के_2 ओ$	200,000	,,

परन्तु यह मात्राएं (i) विदेशी बाजारों में उपलब्धि तथा (ii) देश के उपयोग में वृद्धि के अनुसार समायोजित की जा सकती हैं।

(ग) 1969-70 के दौरान उर्वरकों के आयात के लिए 2638.00 लाख डालर (197.85 करोड़ रु० के बराबर) विदेशी मुद्रा का नियतय किया गया है।

(घ) चौथी योजना के दौरान उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए कुछ मौजूदा फैक्टरियों के विस्तार तथा नई उर्वरक फैक्ट्रियों की स्थापना कर अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने के लिए कदम उठाये गये हैं।

त्रिपुरा में इमारती लकड़ी की उपलब्धता

9811. **श्री किरित बिक्रम देव बर्मन** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 24 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7529 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में त्रिपुरा में इमारती लकड़ी की उपलब्धता का पूरा अनुमान न लगाने के क्या कारण हैं ;

(ख) ऐसा अनुमान कब लगाया जायेगा और चौथी योजना अवधि में त्रिपुरा के वनों के सम्बन्ध में कार्यकारी योजनाएं कब बनाई जायेंगी ;

(ग) मैसर्स जय श्री टी एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कलकत्ता का त्रिपुरा में गैर सरकारी क्षेत्र में प्लाइवुड का कारखाना लगाने का आवेदन पत्र कब से विचाराधीन पड़ा है ; और

(घ) इस मामले में कब निर्णय किए जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) यह समय लेने वाली प्रक्रिया है।

(ख) दो वन प्रभागों के लिये कार्यकारी योजनाएं तैयार की जा रही हैं जिनकी चौथी योजना की अवधि में पूरा होने की आशा है।

(ग) सर्वश्री जय श्री टी एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता ने प्लाईवुड कारखाने को मध्य प्रदेश से बदल कर त्रिपुरा में लगाने के लिये आवेदन पत्र 7 अप्रैल 1965 को दिया। इस तबदीली की भारत सरकार ने 27 जून 1966 को मंजूरी दे दी।

(घ) प्रस्तावित कारखाने के लिए कच्चा माल सप्लाई करने के लिए जो पट्टा समझौता त्रिपुरा सरकार और सर्वश्री जय श्री टी एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता के बीच किया जाना है उसे अन्तिम रूप देने के लिये शर्तों का परीक्षण किया जा रहा है।

अवस्थापन संगठन के फालतू कर्मचारी

9812. **श्री सूरज भान** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास विभाग के अवस्थापन संगठन में स्क्रूटिनाईजरों, जूनियर लेखापाल जूनियर फील्ड इंस्पेक्टर और मैनेजिंग अफसरों (ग्रेड2) के पद पर अपर डिवीजन क्लर्कों के पदों से ऊंचे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा किये गये अध्ययन के परिणामस्वरूप उक्त श्रेणी के कितने अधिकारियों को फालतू घोषित किया गया और कितने कर्मचारियों को अन्य विभागों में समान पदों पर नियुक्त किया गया ;

(ग) उनमें से कितने कर्मचारियों को पुनः नियुक्त कर लिया गया था अथवा कितने

व्यक्तियों उन पदों से जिन पर ये फालतू घोषित किये जाने से पूर्व काम कर रहे थे, नीचे पदों पर नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया ; और

(घ) मन्त्री तथा उपमन्त्री द्वारा समय-समय पर कर्मचारियों को दिये गये आश्वासन के अनुसार इन व्यक्तियों की पदोन्नति न करने और उनको समान पदों पर नियुक्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) कर्मचारी निरीक्षण यूनिट द्वारा किए गए अध्ययन के फलस्वरूप संवीक्षको, कनिष्ठ लेखापालों, कनिष्ठ क्षेत्रीय निरीक्षकों तथा प्रबन्ध अधिकारी (ग्रेड II) की श्रेणियों के 41 अधिकारी फालतू घोषित किये गये थे । तीन अधिकारी अन्य विभागों में उन पदों में खपाये गये ।

Shifting of Residents of Adgada Mohalla, Delhi to set up a Telephone Exchange

9813. **Shri Yogendra Sharma :** **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Chandra Shekhar Singh : **Shri Ramavatar Shastri :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to shift the residents of Adgada Mohalla, Delhi and to set up a telephone exchange there ;

(b) whether it is also a fact that it has been suggested that the proposed telephone exchange be set up near Hardinge Library or in 'Pili Kothi' of Naya Bazar ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broudcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) A plot of land behind Majestic Cinema is under acquisition by Delhi Administration, for construction of a Telephone Exchange to serve Chandni Chowk area. Residents of this area are likely to be shifted elsewhere, by Delhi Administration on completion of Land Acquisition proceedings.

(b) A number of sites including an open area near Hardinge Library and Pili Kothi were considered by Delhi Administration. Delhi Development Authority vide their resolution No. 166 dated 6-5-68, approved the site, behind Majestic Cinema after considering the Master Plan as the most suitable for the proposed Telephone Exchange.

(c) Considering the urgency of setting up a Telephone Exchange in Chandni Chowk area, acquisition of a suituble plot of land in Chandni Chowk area is a necessity. However, some senior technical officers would visit the site and give their technical opinion as to its suitability.

चीनी मिलों की स्थापना के अनिर्णीत आवेदन पत्र

9814. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार तथा राज्यवार, कितनी भूमि में गन्ने की खेती की गई और चीनी मिलों की गन्ना पेरने की क्षमता कितनी थी ; और

(ख) विभिन्न राज्यों में सहकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र में चीनी मिल स्थापित करने हेतु लाइसेंसों के लिए इस समय कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाले दो विवरण 1 और 2 संलग्न हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1182/69]

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण 3 संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1182/69]

Televising of Proceedings of Congress Session at Faridabad

9815. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the proceedings of the Congress Session, which was recently held at Faridabad, were televised ;

(b) if so, the reasons for not televising the Jan Sangh Session proceedings ;

(c) whether it is also a fact that the proceedings of the Jan Sangh Session were not broadcast over the Radio in time daily ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir. However, film stories of the inauguration of the Congress Session and the open Session were used in the T V News on 25th April and 28th April, 1969.

(b) Film stories of the Jan Sangh Session held at Bombay could not be obtained to go with the News Story. News of this Session was given on TV.

(c) News about Jan Sangh Session was given in bulletins daily from 21st to 27th April, 1969.

(d) Does not arise.

सेंट्रल होटल माल, शिमला की नीलामी

9816. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल होटल, माल, शिमला को, जो पहाड़ी स्थान पर अतिरिक्त आवास की व्यवस्था हेतु बनाया गया था, हाल में नीलाम कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि होटल के चार में से तीन भागों को उपयुक्त नियमों का पालन किए बिना ही, जियका अनुसरण ऐसी नीलामी में किया जाना अपेक्षित है, सहायक मूल्यांकन अधिकारी द्वारा नीलाम कर दिया गया है ;

(ग) खरीदारों के नाम और पते क्या हैं और इसको कितनी कीमत पर बेचा गया है ; और

(घ) क्या शेष भाग भी बेच दिया गया है और यदि नहीं, तो उसको कब बेचने का विचार है और यदि इसको किराये पर दे दिया गया है, तो तत्सम्बन्धी शर्तें तथा निबंधन क्या हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं। सेन्ट्रल होटल, शिमला, पहाड़ी स्थान में अतिरिक्त आवास देने के लिए निर्मित नहीं किया गया था। यह एक निष्क्रान्त सम्पत्ति थी जिसे देश के विभाजन के समय उसके मुसलमान मालिक द्वारा छोड़ा गया था और जिसे बाद में विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत अर्जित किया गया था। 18 नवम्बर, 1955 को मुख्य भवन सार्वजनिक नीलाम द्वारा 67,225/—रुपये में बेच दिया गया था। नीलाम द्वारा खरीद करने वाले के पक्ष में बिक्री प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया है।

(ख) सेन्ट्रल होटल के तीन अन्य भाग (1) सेन्ट्रल होटल, (अतिरिक्त मकान) (ii) सेन्ट्रल होटल (अस्तबल और क्वार्टर्स), तथा (iii) सेन्ट्रल होटल (उपभवन) बहुत वर्ष पूर्व पुनर्वास विभाग द्वारा अलग अलग नीलाम द्वारा बेचे गये थे। सहायक मूल्यांकन अधिकारी का इन भागों के नीलाम के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। यह कहना भी असत्य है कि इन भागों का नीलाम बहुत कम मूल्य पर किया गया था। इन भागों का नीलाम द्वारा निपटान करने के मामले में विस्थापित व्यक्ति, (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, 1955 में दिये गये नियमों का अनुसरण किया गया था।

(ग) जानकारी निम्न में दी गई है :

	सम्पति का नाम	नीलाम में खरीदारों के नाम तथा पते	विक्रय मूल्य
(i)	सेन्ट्रल होटल (मुख्य भवन)	श्री के० आर० खन्ना 78, सुन्दर नगर, नई दिल्ली।	67 225.00 रु०
(ii)	सेन्ट्रल होटल (अतिरिक्त मकान)	श्री जे० के० बख्शी 15-ए0 कन्टीनेन्टल होटल दी-माल, शिमला।	21,750.00 रु०
(iii)	सेन्ट्रल होटल अस्तबल तथा क्वार्टर्स)	श्री दीना नाथ, नं० I लेहनु भवन, शिमला।	7,100.00 रु०
(iv)	सेन्ट्रल होटल (उपभवन)	श्री सुख निधान सिंह लक्ष्मी निवास, शिमला-3	17,025.00 रु०

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि जैसा कि प्रश्न के भाग (क), (ख) और (ग) में बताया गया है, सारी सम्पत्ति पहले ही नीलाम द्वारा बेची जा चुकी है।

आकाशवाणी से पत्रकारों की वार्ता

9817. **श्री रा० बरुआ : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी से विशेष विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिये विभिन्न समाचार पत्रों से पत्रकारों को वार्ता देने के लिये आमंत्रित किया जाता है ;

(ख) क्या सरकार 1967 और 1968 में विभिन्न समाचारपत्रों के उन वार्ताकारों की एक सूची सभा-पटल पर रखेगी, जिन्होंने आकाशवाणी से वार्ता दी है और वर्ष में प्रत्येक समाचार पत्र के पत्रकार द्वारा कितनी वार्ताएं दी गई और प्रत्येक समाचारपत्र की बिक्री कितनी है ;

(ग) क्या 12 अप्रैल, 1969 का प्रमुख 'स्पाटलाइट' कार्यक्रम बंगाल के मामलों के बारे में संसद् में गृह-कार्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से मेल खाता था ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार मान्य नीति में परिवर्तन करने का है और आकाशवाणी को सभी प्रकार के राजनैतिक मत व्यक्त करने को अनुमति देने का है और उस स्थिति में सरकारी नियंत्रण से स्वतन्त्र एक स्वायतशासी निगम को आकाशवाणी का प्रबन्ध सौंपने में क्या हानि है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल :) (क) जी, हां ।

(ख) 1967 और 1968 के "स्पाट लाइट" कार्यक्रम के बारे में एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1183-69**]

(ग) जी, नहीं ।

(घ) आकाशवाणी अपने "स्पाट लाइट" कार्यक्रम में जन रुचि के विवादस्पद विषयों पर सभी दृष्टिकोणों को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने की अनुमति देता है । इसके सरकारी विभाग होने से यह मतलब नहीं है कि वह स्वस्थ वाद विवाद के लिए एक फोरम मुहैया करने की अपनी स्वतन्त्रता पर रोक लगाए । इसे एक स्वायतशासी निकाय के रूप में गठित करने का प्रश्न बिल्कुल अलग मामला है ।

दूरसंचार के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण का [illegible]

9818. **श्री प्र० न० सोलंकी :**　　　　**श्री ओंकार [illegible] :**
श्री किंकर सिंह :　　　　**श्री देवेन सेन :**
श्री द० रा० परमार :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार सुविधाओं की स्थापना के लिये अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा कितनी राशि का ऋण दिया गया है और उसके लौटने की शर्तें तथा विवेचन क्या है ;

(ख) ऋण की कितनी राशि का उपयोग किया गया है तथा किन मुख्य शीर्षकों के अधीन ;

(ग) क्या इनसे होने वाला लाभ इतना हैं कि उससे ऋण को लौटाने के लिये पर्याप्त राशि उपलब्ध हो जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्यमन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (विश्व बैंक से संबद्ध संस्था) से कुल 750 लाख अमरीकी डालर (अवमूल्यन से पूर्व लगभग 35.71 करोड़ रुपये) की रकम के दो ऋण प्राप्त हुए। पहला ऋण 420 लाख डालर का और दूसरा 330 लाख डालर का था।

इन ऋणों की शुख्य शर्तें इस प्रकार हैं :—

(i) ऋण ब्याजमुक्त होंगे, लेकिन निकासी किये गये तथा समय-समय पर बकाया रह जाने वाले ऋण के मूलधन पर प्रतिवर्ष की तीन-चौथाई (¾% के 3/4) की दर से सेवा-शुल्क लगेगा।

(ii) प्रारम्भ के 10 वर्षों के दौरान कोई ऋण वापसी नहीं की जायेगी, लेकिन उसके बाद से मूलधन की रकम की वापसी 40 वर्षों की अवधि में अर्द्धवार्षिक किस्तों में करनी होगी।

(ख) 747.9 लाख अमरीकी डालर (अवमूल्यन से पूर्व 35.61 करोड़ रु० के ऋण का उपयोग किया गया। ऋणों का उपयोग जिन जिन मुख्य शीर्षों में किया गया, उनके दिग्दर्शक ब्यौरे सभा पटल पर रखे गये विवरण I और II में दे दिये गए हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी० 1184-69]

(ग), (घ) और (ङ) विदेशी मुद्रा के ऋण भारत सरकार लेती है और इन ऋणों की वापसी की व्यवस्था भी भारत सरकार ही करती है। दूरसंचार के लिए रुपयों के निदेश की पूर्ति, जिसमें विदेशी मुद्रा संघटक के बराबर मूल्य के रूप में शामिल हैं, आंशिक तौर पर डाक तार विभाग के अपने साधनों से और आंशिक तौर पर सरकार से इस तरह के उधार लेकर की जाती है, जिनपर प्रतिवर्ष 6.75 प्रतिशत की दर से ब्याज अदा किया जाता है।

मृत्यु राहत लाभ

9819. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड ने मृत कर्मचारियों के परिवारों को मृत्यु राहत लाभ देने के उपबन्धों को उदार बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो सहायता के रूप में कितनी राशि जमा की गई है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). बोर्ड ने 26 अप्रैल, 1969 को हुई अपनी बैठक में सरकार को यह सिफारिश करने

का निर्णय किया कि मृत्यु राहत निधि से राहत देने की वर्तमान सीमा 500 रु० से बढ़ाकर 750 रु० कर दी जाय।

(ग) बोर्ड से प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार इस मामले पर विचार करेगी।

उड़ीसा में सघन कृषि जिला कार्यक्रम

9820. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने सघन कृषि जिला कार्यक्रम के पैकेज कार्यक्रम में उड़ीसा के देनकनाल जिले तथा उत्कल सब-डिविजन को शामिल करने की सिफारिश की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उड़ीसा की सिफारिश से सहमत हो गई है ;

(ग) उसको कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी नहीं। उड़ीसा सरकार से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं हुआ है।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं होते।

वन्य-जीव बोर्ड

9821. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वन्य-जीव बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों से इस बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं। मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ख) जी हां।

(ग) जून 1965 में उत्तर प्रदेश के ढिकाला नामक स्थान (कौरवेट राष्ट्रीय पार्क) पर हुई भारतीय वन्य प्राणी मण्डल की पिछली बैठक में राजस्थान सरकार ने मण्डल को निमन्त्रण दिया था कि वह अपना अगला अधिवेशन राजस्थान के सरिस्का के शरणस्थल पर बुलाये। उसके पश्चात स्थायी समिति की बैठक नवम्बर 1965 में दिल्ली हुई थी जिसमें इन्टरनेशनल यूनियन फार कंजर्वेशन आफ नेचर एण्ड नैचुरल रिसोर्सिज के शिष्टमण्डल के सदस्यों ने भाग लिया था। अत: मई 1967 में राजस्थान सरकार से प्रार्थना की गई थी कि वह मण्डल की बैठक अक्तूबर 1967 में करने के बारे में प्रबन्ध करे परन्तु उन्होंने सुझाव दिया कि फरवरी 1968 का समय

सुविधाजनक रहेगा । मन्त्रालय राष्ट्रमण्डल के नई दिल्ली में होने वाले 9 वीं वन विज्ञान सम्मेलन के विषय में जनवरी 1968 के अन्त तक व्यस्त था, अतः राज्य सरकार से प्रार्थना की गई कि मण्डल की बैठक अक्तूबर-नवम्बर, 1968 में की जाये । तत्पश्चात राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि बैठक फरवरी 1969 में हो सकती है । उसके बाद इस मामले पर सक्रिय रूप से पत्र व्यवहार किया गया और केवल अप्रैल 1969 में राज्य सरकार ने सूचित किया कि समूचे राज्य में सूखे की स्थिति विद्यमान होने के कारण वह भारतीय मण्डल की बैठक बुलाने की स्थिति में नहीं है । अब बैठक को जल्दी से जल्दी बुलाने के विषय में कार्यवाही की जा रही है ।

Assistance for Distribution of Fallow Land

9822. **Shri Jharkhande Rai** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state : the nature of assistance which is being given to the State Governments to enable them to distribute the fallow land among the agricultural labourers and the poor landless ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : Settlement of fallow and agriculturable waste lands with landless agricultural labourers is now a state sector scheme. Under the new procedure for release of assistance to State Governments for Plan Schemes introduced from the current year, assistance will be made available to the state Governments in block loans and grants for all sectors as a whole and will not be related to any individual programme or scheme. The exact amount of assistance to be released to the State Government during 1969-70 and the details of the procedure have not yet been finalised.

कच्ची पटसन का न्यूनतम मूल्य

9823. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने सिफारिश की है कि आसाम बौटम्ज किस्म के कच्ची पटसन का न्यूनतम मूल्य 1969-70 में कलकत्ता में प्रति क्विंटल 170.71 रुपये निर्धारित किया जाये ;

(ख) क्या इस आयोग की यह राय है कि यह न्यूनतम मूल्य प्रोत्साहन देने के लिये अत्यावश्यक है, जिससे कि पटसन उगाने वाली भूमि को धान की खेती के लिये प्रयोग में लाने से रोका जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : कृषि मूल्य आयोग ने सिफारिश की है कि कलकत्ता में आसाम बौटम्ज किस्म की कच्ची पटसन का न्यूनतम मूल्य 1969-70 के सीजन में 107.17 रुपये प्रति क्विंटल (40 रुपये प्रति मन) होना चाहिए न कि 170.71 रु० ।

(ख) आयोग की यह राय है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में उत्पादन की लागत शामिल है और उसमें लाभ की पर्याप्त गुंजाइश है ।

(ग) आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ?

केन्द्रीय भण्डार से चावल तथा गेहूँ की सप्लाई पर राजसहायता

9824. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानूनी राशन व्यवस्था के लिये केन्द्रीय भण्डार से राज्यों को दिये जाने वाले चावल तथा गेहूँ पर अब तक दी जाने वाली राजसहायता को समाप्त करने अथवा कम करने का सरकार ने निर्णय किया है ;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप कलकत्ता के कानूनी राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों में राशन में दिये जाने वाले खाद्यान्नों के मूल्यों को बढ़ाना होगा ;

(ग) इस समय दी जाने वाली राजसहायता जारी न रखने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या भण्डार की अच्छी स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय भण्डार से बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों की सप्लाई करके कलकत्ता में प्रति व्यक्ति राशन की मात्रा को बढ़ाया जायेगा।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी नहीं। मई, 1969 के पहले सप्ताह से गेहूँ और चावल के केन्द्रीय सरकार के निर्गम मूल्यों में हुये हाल के संशोधन से सरकार आयातित चावल के वितरण पर अब तक जो राजसहायता दे रही थी, उसके अलावा अब देसी मोटे चावल पर भी कुछ राजसहायता दे रही है।

(ख) कलकत्ता के राशन वाले क्षेत्रों में गेहूँ और चावल के खुदरा निर्गम मूल्यों में 5-5-1969 से संशोधन किया गया है। यह संशोधन इन अनाजों के केन्द्रीय सरकार के निर्गम मूल्यों में संशोधन के फलस्वरूप किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार की नीति देश में ही अधिप्राप्त खाद्यान्नों के वितरण पर राजसहायता देने की नहीं है। लेकिन देसी मोटे चावल के वितरण पर इस समय भी कुछ राज सहायता दी जाती है।

(घ) फिलहाल, कलकत्ता के राशन-व्यवस्था वाले क्षेत्रों में राशन के अनाजों की मात्रा 2600 ग्राम प्रति व्यस्क प्रति सप्ताह है जोकि उचित समझी जाती है इस मात्रा में इस समय कोई और वृद्धि करने की आवश्कता प्रतीत नहीं होती है।

'पोस्टल किंग' नामक उपकरण

9825. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1969 में अशोक होटल में अखिल भारतीय विद्यार्थी विज्ञान मेले में दिखाया गया एक उपकरण 'पोस्टल किंग' नामक उपकरण एक मिनट में 400 डाक-टिकटों पर मुहर लगा सकता है ;

(ख) क्या डाक अधिकारियों ने इस उपकरण को देखा था और यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली आयातीत मशीनों तथा उपरोक्त उपकरण की लागत कितन-कितनी है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि विभाग ने इसका कोई परीक्षण नहीं किया है ।

(ख) जी हां । चूंकि विभाग ने इसका परीक्षण नहीं किया है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती ।

(ग) आयात की जाने वाली प्रत्येक मशीन की सी० आई० एफ० लागत 4,964 रुपये है । इस उपकरण की लागत का पता नहीं हैं ।

समुद्रजन्य खाद्य पदार्थों का निर्यात

9826. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हिम्मत सिंहका :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या वर्ष 1968-69 में समुद्रजन्य खाद्य पदार्थों के निर्यात का नया रिकार्ड कायम किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस वर्ष में कितना निर्यात किया गया, उससे विदेशी मुद्रा तथा अन्य प्रकार की कितनी आय प्राप्त हुई है ;

(ग) इस सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(घ) वर्ष 1969-70 के लिये समुद्रजन्य खाद्य पदार्थों के निर्यात के पदार्थ-वार, क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और उससे विदेशी मुद्रा तथा अन्य प्रकार की कितनी आय होने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां । 1968-69 के दौरान हमारे सामुद्रिक खाद्य के आयात की मात्रा 26,811 मैट्रिक टन थी तथा उसका मूल्य 24.70 करोड़ रुपये था ।

(ग) पिछले तीन वर्षों में अर्थात 1965-66,1966-67 तथा 1967-68 के दौरान निर्यातित सामुद्रिक खाद्य की मात्रा तथा उसके मूल्य सम्बन्धी आकड़े निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	मात्रा (मीटरी टन)	मूल्य (करोड़ रूपये)
1965-66	15,177	7.06
1966-67	21,116	17.37
1967-68	21,906	19.72

(घ) 1969-70 के लिए सामुद्रिक खाद्य के निर्यात के लिए अभी तक कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है ।

फिल्म कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया विविध भारतीय कार्यक्रम

9827. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जवानों के लिए आकाशवाणी का विविध भारती कार्यक्रम कुछ फिल्म कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ;

(ख) य द हाँ, तो नवम्बर, 1968 से अप्रैल, 1969 की अवधि में जिन कलाकारों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किये उनके नाम तथा पते क्या हैं और उनमें प्रत्येक को पारिश्रमिक के रूप में कितनी राशि दी गई ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ प्रमुख फ़िल्म कलाकारों ने कार्यक्रम प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और कार्यक्रम प्रस्तुत व करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 1185/69]

(ग) कुछ फ़िल्म कलाकारों ने कार्यक्रम प्रस्तुत करने में अपनी अनिच्छा प्रकट की है जो अब विज्ञापनों के साथ मिला दिया गया हैं।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

'हाउ टू स्टील ए मिलियन' नामक चलचित्र पर प्रतिबन्ध

9828. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री 4 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3270 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने 'हाउ टू स्टील ए मिलियन' जैसे विदेशी चलचित्रों पर प्रतिबन्ध लगाने के मामले में इस बीच जाँच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत में इस प्रकार के चलचित्रों का आयात निषिद्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) किसी भी विदेशी फिल्म पर प्रतिबन्ध लगाने के मामले की पुलिस ने जांच नहीं की क्योंकि इस प्रकार की जांच करना उनका काम नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी चलचित्रों पर प्रतिबन्ध

9829. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** **श्री काशी नाथ पाण्डेय :**
श्री सीताराम केसरी :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों से अब तक सरकार द्वारा किन-किन विदेशी चलचित्रों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ;

(ख) उन पर प्रतिबंध लगाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उपर्युक्त चलचित्रों का आयात करने वाले निर्यातकों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) पिछले छः महीनों में केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी भी विदेशी फिल्म पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चलचित्रों वित्त निगम द्वारा चलचित्र निर्माताओं को दिये गये ऋण

9830. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीने में अब तक चलचित्र वित्त निगम ने चलचित्र निर्माताओं को कुल कितना ऋण दिया है तथा उन निर्माताओं के नाम और पते क्या हैं ;

(ख) उपर्युक्त अवधि में ऋण के लिये कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए और उनमें ऋण की कुल कितनी राशि मांगी गई थी तथा आवेदनकर्ताओं के नाम और पते क्या हैं ; और

(ग) उपर्युक्त अवधि में इसके परिणामस्वरूप निगम ने ब्याज की कुल कितनी राशि अर्जित की तथा अभी ऋण की कितनी राशि वसूल की जानी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

हिन्दी और तमिल चलचित्र दिखाने की अनुमति न देना

9831. **श्री काशी नाथ पाण्डेय :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में आज तक हिंदी तथा तमिल की कितनी फ़िल्मों के 'सेंसर' प्राधिकारियों ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी ; और

(ख) ऐसी फिल्मों के नाम क्या हैं तथा अनुमति न दिये जाने के कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) शून्य ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Programmes from A. I. R. Station, Gwalior

9832. **Shri Ramavtar Sharma** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Gwalior Station of All India Radio only relays the programmes ;

(b) whether Government propose to convert the said station into a Broadcasting Station so that the talents of the local aristes could be utilised ; and

(c) if not, the difficulties in this regard and whether it is not possible to remove the said difficulties ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) Does not arise.

पश्चिमी बंगाल के लिए चीनी का कोटा

9833. **श्री भगवान दास :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत जनवरी-फरवरी में पश्चिम बंगाल राज्य का चीनी का कोटा बढ़ाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य का कोटा कितने प्रतिशत बढ़ाया गया था ; और

(ग) गत तीन महीनों में पश्चिम बंगाल को आवंटित कोटा की तुलना में वस्तुतः कितनी चीनी सप्लाई की गई थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां । राज्यों/संघशोसित क्षेत्रों के लेवी चीनी के कोटे में जनवरी, 1969 से 26,000 मीटरी टन की वृद्धि की गई थी । अतिरिक्त मात्रा का बंटवारा मुख्यत: जनसंख्या के आधार पर था । प्रत्येक मामले की औसत वृद्धि सलग्न विवरण में दी जाती है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 1186/69]

(ग) पिछले तीन महीनों में पश्चिमी बंगाल को चीनी की निम्नलिखित मात्राएं आवंटित की गई थीं :

फरवरी, 1969	———	13,167 मीटरी टन
मार्च, 1969	———	18,433 ,, ,,
अप्रैल, 1969	———	15,199 ,, ,,

आवंटन आदेश 45 दिनों के लिए वैध होते हैं और राज्य सरकारों के अनुरोध पर वे और अधिक अवधि के लिए पुन: वैध कर दिये जाते हैं और प्रत्येक माह के आवंटित कोटे को भेजना अब भी जारी है।

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३० के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO UNSTARRED QUESTION NO. 1930

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं लक्कदीप द्वीपसमूह में काम दिलाऊ दफ्तर के संबंध में सर्वश्री प० मु० सईद तथा वीरभद्र सिंह के 6 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1930 के भाग (ग) के उत्तर की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैंने बताया था कि "द्वीपसमूह में पच्चास से लगभग मैट्रिकुलेटस और एक ग्रेजुएट बेरोजगार हैं"। यह लक्कदीव प्रशासन से प्राप्त हुए वायरलैस संदेश पर आधारित था। परन्तु लक्कदीव प्रशासन से बाद में प्राप्त हुए औपचारिक लिखित पत्र से पता चला है कि द्वीपसमूह में कोई भी ग्रेजुएट बेरोजगार नहीं हैं।

मेरे उत्तर में शुद्धि कर ली जाए और उसे ऐसे पढ़ा जाए :

"द्वीपसमूह में लगभग 50 मैट्रिकुलेटस बेरोजगार हैं"।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कश्मीर पठार के धंसने का समाचार

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायण्म हार्बट) : श्रीमान, मैं पट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री का ध्यान अविलबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और उन से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

"कश्मीर पठार के धंसने का समाचार"

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): जम्मू तथा कश्मीर राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि 29 अप्रैल, 1969 के अभूतपूर्व भारी हिमपाल तथा हिम के शीघ्रतापूर्वक पिघलने के परिणाम स्वरूप तथा उसके बाद निरन्तर चलने वाली वर्षा के मौसम की परिस्थितियों के कारण से जम्मू तथा कश्मीर राज्य के श्रीनगर तथा बारामूला जिलों में कई स्थानों पर भूस्खलन हुए हैं। दोनों जिलों में लगभग 53 गावों के क्षेत्रों में भूमि के छोटे टुकड़े दुष्प्रभावित हुए हैं। बहुत से क्षेत्रों में यह भूस्खलन कृषीय या जंगल की भूमियों में हुए हैं। तथापि, श्रीनगर जिले के पांच गांवों में तथा बारामूला जिले के चार गांवों में भूस्खलन से क्रमश: 170 तथा 85 मकानों को नुकसान हुआ है।

ऐसा सूचित किया गया है कि यह भूस्खलन हाल ही के भारी तथा गैर-मौसमी हिमपात के कारण से हुए हैं। आरम्भिक पिघलने वाले हिम से भी कुछ स्थानों पर भूक्षरन द्वारा नीचे से

कटाव को बल मिला, जिसके परिणामस्वरूप भूमि धंसना सीमित हुआ। नियमित शीतकालीन हिमपात सामान्यत: जमी हुई भूमि पर सुदृढ़ता से आच्छादित हो जाता है, जो कि पिघलते हिम से बनने वाले ऊपर के पानी को नीचे जाने से रोकता है। इन मामलों में हिमपात क्योंकि बसंत के मौसम के प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् हुआ अत: पानी स्तर के अन्दर सीधे जा सकता था। इसके अतिरिक्त हिमपात स्वत: बहुत भारी था और हिम का पिघलना शीघ्रता पूर्वक हुआ अत: पानी का अन्तर्वाह नीचे के स्तर में असामान्य रूप से शीघ्रगामी था, जिस के परिणाम स्वरूप पहाड़ी ढ़लानों पर, जहां संरचना तथा स्थलाकृति क्षेत्र को स्खलन से प्रभावित होने वाला बना देती है, इस प्रकार की रचना में स्थिरता को सुनिश्चित करने वाला संवेदनशील अस्तव्यस्त हो गया। इस प्रकार की घटनाएं स्थानसीमित दृष्य कहे जाते हैं तथा इन्हें कश्मीर पठार का धंसना नहीं कहा जा सकता।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कहीं स्खलनों से स्थिति खतरनाक न हो जाये ऐसे मामलों में उन्होंने जानी नुकसान को रोकने के लिये विशेष एहतियाती कदम उठाये हैं। भूस्खलों से प्रभावित क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्रों को जिनके प्रभावित होने की सम्भावना हो, खाली करवा लिया गया है और लोगों को तम्बुओं में तथा अन्य उपलब्ध स्थानों पर आश्रम दिया गया है। संबंधित विभागों के अधिकारियों के प्रेक्षण दल लीलापोड़ा स्थान पर और बारामूल जिले में एक केन्द्रीय स्थान पर नियुक्त किये गये हैं। यह दल जिला अधिकारियों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए हैं। भूस्खलन से होने वाले संकट के एक बार समाप्त हो जाने पर ऐसे क्षेत्रों में, जहां जनसंख्या को संकट आ सकता हो, उठाये जाने वाले दीर्घकालीन कदमों का निर्धारण करने लिये राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण किये जाने प्रस्तावित हैं।

श्री ज्योतिर्मय वसु : वर्षा तो समूचे देश में हुई है। फिर अकेले काश्मीर पठार के धंसने का क्या कारण है। 1963 में भी इसी क्षेत्र में भूकम्प से दरारें पड़ी थीं। तब विदेशों से विशेषज्ञ बुलाने की बात कही गई थी। क्या ऐसा किया गया भारत के भूतत्वीन सर्वेक्षण विभाग ने भी इस संबंध में कार्य शुरू किया था परन्तु उसमें बाद में कोई कार्यवाही नहीं की। इसका क्या कारण है ?

श्री जगन्नाथ राव जोशी : जैसा मैंने पहले बताया है। इसका कारण अभूतपूर्व हिमपात था। हमें राज्य सरकार, भूतत्वीय विभाग तथा राज्य सरकार के श्रम सम्बन्धित विभागों में आश्वासन मिला है कि वहां जान तथा मान की हानि का कोई खतरा नहीं है।

Shri Raghubir Singh Shastri : It has been reported in Delhi newspapers that residents of that area did not sleep for ten nights. Is it not a proof of negligence on the part of the Government that no steps were taken for the safety of residents of 53 villages ? I would also like to know whether this report was submitted to the Government by the Revenue Department of Kashmir Government or were any geologists sents to study the reasons thereof ? I would like to know the area that has sunk the loss suffered by the agriculturists and the compensation paid to them by the Government ?

श्री जगन्नाथ राव : यह बात स्पष्ट है कि समाचारपत्रों के समाचार ठीक नहीं। राज्य सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि ये बातें केवल कुछ स्थानों में हुई हैं और उन्होंने इसके लिए

उपाय किये हैं कि इससे प्रभावित होने वालों को उस क्षेत्र से निकाल कर अन्य स्थान पर बसाया जाये ।

जब भारी वर्षा होती है तथा बाढ़ों की संभावना होती है, उन क्षेत्रों में रहने वालों का रातों को न सोना स्वाभाविक है । परन्तु मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि किसी व्यक्ति को कोई हानि नहीं हुई ।

श्रीमती इलापाल चौधरी (कृष्णनगर) : मैं जानना चाहती हूँ कि सरकार पीड़ितों के लिए आवास की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही हैं । छोटे बच्चों के लिए औषधियां तथा वस्त्र की व्यवस्था करने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार के प्रबन्ध किये गये है । राज्य सरकार के कथनानुसार क्षति इतनी हुई है जितनी माननीय सदस्य ने बताई हैं ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

एयरोनाटिक्स सीमित की मुख्य सिफारिशों वाला विवरण

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं सरदार स्वर्ण सिंह की ओर से एक विवरण जिसमें एयरोनाटिक्स समिति की मुख्य सिफारिशें की गई है सभा पटल पर रखता हूँ । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 1164/69]

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का प्रतिवेदन

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : मैं सविधान के अनुच्छेद 338 (2) के अधीन वर्ष 1967-68 के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के प्रतिवेदन, खण्ड एक और दो, की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 1165/69]

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का प्रतिवेदन

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये** संख्या एल० टी० 1166/69]

(2) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन खनिज रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 12 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 939 में प्रकाशित हुए थे । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए** संख्या एल० टी० 1167/69]

भारत के जीवन बीमा निगम की जीवन कारोबार में लगी कुल पूंजी दर्शाने वाला विवरण

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं श्रीमान श्री प्र० चं० सेठी की ओर से एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण) जिस में यह दर्शाया गया है कि 31 मार्च, 1968 को एकाधिकार जांच आयोग के प्रतिवेदन में आस्तियों के आधार पर क्रमबद्ध रूप में दर्ज प्रथम दस समूहों में ऋणों तथा ऋण-पत्रों और अंशों के रूप में भारत के जीवन बीमा निगम के जीवन कारोबार की कुल कितनी पूंजी लगी हुई थी और प्रतिवेदन में दर्ज 75 समूहों में जीवन बीमा निगम की कुल कितनी पूंजी लगी हुई थी। सभा पटल पर रखता हूँ। [**पुस्कालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 1168/69]

आवश्यक वस्तु, अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन निम्न-लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) जी० एस० आर० 2181 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 12 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० एस० आर० 449 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कारण) जो दिनांक 22 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2181 में कतिपय संशोधन किए गए।

(तीन) जी० एस० आर० 764 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 5 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) जी० एस० आर० 999 जो दिनांक 18 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) जी० एस० आर० 1000 जो दिनांक 19 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(छः) आसाम बेलन मिलें गेहूं उत्पाद (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1969 जो दिनांक 23 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1035 में प्रकाशित हुआ था।

(सात) बेलन मिलें गेहूँ उत्पाद (मूल्य नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1969 जो दिनांक 23 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1035 में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) अन्तर्क्षेत्रीय गेहूँ तथा गेहूं उत्पाद (वहन नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1969

जो दिनांक 24 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1039 में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) कोल्ड स्टोरेज (संशोधन) आदेश, 1969 जो दिनांक 26 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1564 में प्रकाशित हुआ था।

(2) ऊपर (6) की मद (एक) से (तीन) में उल्लिखित अधिसूचानाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण। [पुस्तकाल में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1169/69]

अकार्बनिक रसायन उद्योगों तथा भारी बिजली उद्योगों की विकास परिषद् के प्रतिवेदनों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा कम्पनी-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भानु, प्रकाश सिंह) : मैं 22 अप्रैल, 1969 को अपने द्वारा दिए गए एक आश्वासन के अनुसरण में वर्ष 1967-68 के लिए (1) अकार्बनिक रसायन उद्योगों की विकास परिषद् तथा (2) भारी बिजली उद्योगों की विकास परिषद् के प्रतिवेदनों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण। सभा-पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1170/69]

राष्ट्रपति (कृत्यों का निर्वहन) विधेयक, १९६९

PRESIDENT (DISCHARGE OF FUNCTIONS) BILL, 1969

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि कुछ आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Shri Madhu Limaye (Monghyr) ; On the 4th of May I read in the newspapers that Shri V. V. Giri has been administered oath as follows :

"I V. V. Giri, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of the President."

I want to know what was the necessity and jutification for administering such an oath to him. It is very clear under Article 65 of the constitution that Vice-President can perform the functions of the President on his demise, on his tour abroad etc. in the capacity of 'acting as President'. Therefore I want to know whether they have consulted the Attorney General in this matter. There was no need of administering an oath to Shri V. V. Giri this is because he has already taken oath in the capacity of the President.

Five Bills have been passed after the demise of Dr. Zakir Hussain. I do not know what has happend to other Bills but the Finance Bill has already been sent by Rajya Sabha. So this Bill must have gone to the acting President for his assent under rule 128. I want to know whether it is afact that when this Bill was presented to President, he removed the words 'acting as' from there.

I also want to know whether a letter from the Presidents' House has been written to the All India Radio that they should not quote him as acting a President." The hon. Home Minister should clarify all these points in in speech.

अध्यक्ष महोदय : इन बातों का वर्तमान विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि श्री कुन्दू व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं ।

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : यह विधेयक संविधान से मेल नहीं खाता । मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक के अन्तर्गत मुख्य न्याधिपति को राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त नही किया जा सकता ।

संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि :

'जब भारत के मुख्य न्यायाधिपति का पद रिक्त हो अथवा जब मुख्य न्यायाधिपति अनुपस्थिति या अन्य कारण से, अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में ऐसा एक, जिसे राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उप पद के कर्तव्यों का पालन करेगा ।"

इस विधेयक में हमने सुझाव दिया है कि मुख्य न्यायाधिपति को राष्ट्रपति नियुक्त किया जायेगा परन्तु हमने यह व्यवस्था नहीं की है कि राष्ट्रपति बनने पर मुख्य न्यायाधिपति अपना मुख्य न्यायाधिपति का पद छोड़ देगा । अत: मेरा निवेदन यह है कि मुख्य न्यायाधिपति का पद भरने के लिए भी कोई उपबन्ध किया जाना चाहिए अन्यथा शून्यता उत्पन्न हो जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । वह दो पदों पर एक साथ काम नहीं कर सकते । जब यह खण्ड चर्चा के लिए सभा के समक्ष रखा जायेगा उस समय आप अपने तर्क दे सकते हैं ।

श्री नाथपाई (राजापुर) : इससे पूर्व कि मैं विधेयक के बारे में कुछ कहूँ मेरा निवेदन है कि लाबी में धक्का मुक्की हो रहे है । शायद किसी पार्टी के चुनाव हो रहे हों । लाबी इस सभा का अंग है अत: उसको इन कार्यों के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये । एक संसद सदस्य के नाते मुझे अपने कृत्यों के निर्वहन में कठिनाई देती है ।

अध्यक्ष महोदय : लाबी को खाली रखा जायेगा ।

श्री नाथपाई : मैंने आपको एक पत्र लिखा था जिसमें यह निवेदन किया गया था कि आप गृह कार्य मंत्री को निदेश दें कि वह श्री वी० वी० गिरी द्वारा जो शपथ ग्रहण की गई है उसकी एक प्रति हमें सप्लाई करें । मैं यह जानना चाहता हूँ कि उन्होंने ठीक-ठीक क्या शब्द कहे थे ।

मुझे वित्त विधेयक की भी एक प्रति चाहिये । मैं जानना चाहता हूँ कि उस पर किस नाते से हस्ताक्षर किये गये हैं ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । वर्तमान विधेयक संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध है । विधेयक को इसके वर्तमान रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । इसको

संविधान (संशोधन) विधेयक के रूप में लाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 70 में स्पष्टरूप से लिखा है कि संसद ऐसे उपबन्ध बना सकता है.....

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण कर रहे हैं। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। इस विधेयक का इस बात में कोई सम्बन्ध नहीं है कि शपथ की भाषा क्या थी। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए कि शपथ 'कार्यकारी' अथवा 'कृत्यों का निवर्हन' करने के रूप में है। हमें महान्यायवादी, विधि सचिव की राय लेनी चाहिये परन्तु उसके लिये यह अवसर नहीं है।

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : श्री नाथपाई ने अपने तथा अन्य लोगों के दिल में भ्रम उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है। संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है :

> "कि प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन करता है अपने पद-ग्रहण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधिपति अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के प्रारूप अग्रतम न्यायाधीश के समक्ष निम्न रूप में शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा... इस मामले में वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं और उन्होंने संविधाइ के अनुच्छेद 60 के अन्तर्गत शपथ ली है। अतः उन्होंने कानूनीरूप से ठीक प्रक्रिया का अनुसार किया गया है।"

इस विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 70 के अन्तर्गत लाया गया है। इस विधेयक में तीन प्रकार की आपातकालीन स्थितियों के लिए व्यवस्था की गई है। पहली अवस्था वह है जब कि राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति दोनों के स्थान रिक्त हों। दूसरी अवस्था तब उत्पन्न होती है जबकि उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए मर जाये अथवा उसको पद से हटा दिया जाये। तीसरी अवस्था वह है जबकि उप राष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने अथवा राष्ट्रपति के रूप में काम करने के असमर्थ हो। अतः ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पद का कार्य चलाने के लिए व्यवस्था की गई है।

मेरे विचार में यह विधेयक उत्तराधिकार विधेयक नहीं है। इसमें कुछ आयात स्थितियों के लिये कुछ प्रबन्ध किये गये हैं। यह कहा गया है कि ऐसी स्थिति में संसद के अध्यक्ष यह पद ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ-साथ यह भी कहा गया है कि मुख्य न्यायाधिपति यह पद ग्रहण कर सकते हैं। सरकार इस बारे में एक विशेष दृष्टिकोण अपनाया है। राज्यपालों के मामले में मुख्य न्यायाधीश उनका स्थान ग्रहण करते हैं। हमारे विचार में यह प्रबन्ध अच्छा तथा सुविधा-जनक हैं। यह नियमित उत्तराधिकार का प्रश्न नहीं है। अतः में सभा से निवेदन करता हूँ कि वह विधेयक पर इसके वर्तमान रूप में विचार करे।

श्री श्रीराज मेघराजजी धरंगधरा (सुरेन्द्र नगर) : मैं इस सरकारी विधेयक का समर्थन करता हूँ जिसमें एक त्रुटि को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। हालांकि इस त्रुटि को बहुत पहले दूर किया जाना चाहिए था। परन्तु मेरे विचार में यह सबसे अच्छा प्रबन्ध नहीं है। मैंने उप-राष्ट्रपति तथा राज्य सभा के चेयरमैन के पदों के पृथक्करण के बारे में स्वर्गीय पंडित जवाहर

लाल नेहरू से बात की थी। हमारे जैसे बड़े देश में पूरे समय के लिए उप-राष्ट्रपति चाहिए जो कि राष्ट्रपति के बोझ को हलका कर सके।

जहां तक मुख्य न्यायाधिपति की शपथ दिलाने का सम्बन्ध है हमारे यहा आवश्यकता पड़ने पर राज्यों में मुख्य न्यायाधीश पहले ही राज्यपालों के स्थान के लिए शपथ ग्रहण करते हैं। यदि हम केन्द्र में कोई नई प्रथा बनाते हैं तो राज्यों में जल्दी ही अथवा देर से उनका अनुसरण किया जाना स्वभाविक है।

अध्यक्ष के पद में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। इसके स्थान पर न्यायपालिका एक स्थायी निकाय है अतः मुख्य न्यायाधिपति को ही राष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ने पर, शपथ दिलाया जाना ठीक है। अतः मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Prakash Vir Shashtri (Hapur) : The Parliament consists of three organs i.e. Lok Sabha, Rajya Sabha and the office of President. The judiciary is not included in it. In this connection I would like to suggest that if on any occasion the office of the Vice President on his being appointed as acting President falls vacant it should be filled in from amongst the three constituents of the Parliament. The Speaker of Lok Sabha or Vice-Chairman of Rajya Sabha or the senior most Governor can fill this post. But it will be considered as interference in the rights of the Parliament if any person from judiciary is taken for this purpose.

Secondly, to all present the practies is that President is administered the oath of office by the Chief Justice. But when the Chief Justice himself will become the President he will be administered oath by the junior. This will be an unhealthy practice.

The office of the Vice-President was created because it was felt that in the absence of President he will discharge the functions of President. As the Vice-President has no other work he was given the Chairmanship of Rajya Sabha. But now under the changed circumstances there is no need of the office of the President. Vice-Chairman of Rajya Sabha is not informing this functions' of the Chairman of Rajya Sabha. I feel that it will be better if the office of the Vice-President is abolished.

श्री विक्रमचन्द महाजन (चम्बा) : यह विधेयक ठीक समय पर लाया गया है। मुख्य न्यायाधीश को उत्तराधिकार बनाये जाने पर अनेक आपत्तियां उठाई गयी हैं। एक बात यह कही गई है कि अनुच्छेद 126 के अन्तर्गत मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं कर सकते परन्तु अनुच्छेद 223 के अन्तर्गत जब एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना कार्य न कर सकें अथवा किसी कारण से अनुपस्थिति हो तो राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से एक को उनके स्थान पर कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। हमारे यहां यह एक परम्परा बन गई है कि जब राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्य किया जाता है। इस पर आज तक कोई आपत्ति नहीं की गई है। उसी प्रकार का उपबन्ध अब केन्द्र के बारे में किया जा रहा है।

यह भी एक अच्छा सुझाव है कि लोक सभा के अध्यक्ष को अथवा राज्यपालों को उत्तराधिकारियों की सूची में रखा जाये। इस प्रकार कई वैकल्पिक पदाधिकारी जिन्हें उत्तराधिकारियों की सूची में रखा जा सकता है। सरकार ने पहले से ही राज्यों में स्थापित परम्परा को केन्द्र में भी लागू करना उचित समझा है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से उच्चतम न्यायालय के कार्य में किसी प्रकार की बाधा खड़ी नहीं होगी। हमारे संविधान में राष्ट्रपति द्वारा ली जाने

वाली शपथ की व्यवस्था है । एक मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के पद पर होते हुए यदि कोई निर्णय किया हो तो वह उस पर बाद में उच्चतम न्यायालय में उस पर निर्णय देने नहीं बैठेंगे ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद 2 बजकर 4 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at four minutes past fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

संसद भवन के सामने प्रदर्शनकारियों की कथित गिरफ्तारी तथा पिटाई

Alleged Arrest and beating up of demonstrators in front of Parliament House

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं चाहता हूँ कि सभा के विचाराधीन विषय पर चर्चा बन्द करके एक अन्य गम्भीर विषय पर विचार किया जाये । देश के 15 राज्यों से बेरोजगार युवक इस सदन के समक्ष अपनी कठिनाइयां बताने आये हैं । उनका एक प्रतिनिधि मंडल कल प्रधान मंत्री से मिला है । आज वे यहां जनता के प्रतिनिधियों को एक ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहते थे ।

उन्हें धारा 144 के अधीन गिरफ्तार किया गया है । साथ में उन्हें पीटा भी गया है । महिलाओं के साथ हाथापाई की गई है । मैं चाहता हूँ कि गृह कार्य मंत्री इस गम्भीर मामले पर एक वक्तव्य दें ।

श्री बलराज मधोक (दिल्ली-दक्षिण) : देश की जनता का अधिकार है कि वह संसद के सामने अपनी कठिनाइयों की रख सके । बेरोजगारी की समस्या बहुत गम्भीर रूप धारण कर गई है । सरकार ने चौथी योजना में इस पर विशेष ध्यान देने का आश्वासन दिया है ।

जब लोग यहां आते हैं तो यहाँ पर धारा 144 लागू कर दी जाती है । यह अनुसूचित है । संसद भवन के बाहर प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिये । सरकार को इसे समाप्त कर देना चाहिये । सरकार को इसे समाप्त कर देना चाहिये । इस घटना के सम्बन्ध में सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिये ।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : इन लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल कल प्रधान मंत्री से मिला था । उन्होंने उनकी बात ध्यान से सुनी । अब सरकार को आगे की कार्यवाही करनी चाहिये । संसद भवन के सभी द्वार बन्द कर देना कहां तक उचित है ? समूचे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है । यह ठीक नहीं है ।

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : कुछ समय पूर्व मैंने प्रधान मंत्री को लिखा था कि संसद भवन के क्षेत्र में धारा 144 हटा दी जाये ताकि जनता के प्रतिनिधि आकर यहां प्रधान मंत्री और हमसे

मिल सकें । मुझे अपने पत्र का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । मुझे बताया गया कि केन्द्रीय सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती । यह स्थानीय अधिकारियों का काम है ।

प्रदर्शनकारी बिल्कुल शान्त थे परन्तु उनके साथ हाथापाई की गई है । देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत जटिल रूप धारण करती जा रही है । सरकार को इन लोगों के लिये कुछ करना चाहिये ताकि पुलिस ऐसे लोगों के साथ दुर्व्यवहार न करे ।

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) : Everyone has got a right to put forth his demands in a democracy. The Hon. Home Minister should give a factual statement regarding today's happennings. The representatives of people should be given a chance to meet the Ministers and Members concerned.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : The police has beaten up the students mercilessly. The mounted police beaton charged them. This is most improper. There should be peaceful atmosphere around Parliament House. I want Shri Chavan to make a statement in the House on this incident.

श्री एस० कन्डप्पन (मैंदूर) : संसद भवन के निकट की घटनाओं के लिए मैं सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूँ । केरल के कुछ युवकों को यहां गिरफ्तार कर लिया गया है ; वे मन्त्री महोदय से मिलना चाहते थे । वे लोग बहुत निराश हैं । सरकार न उनको कोई आश्वासन नहीं दिया है । इसके फलस्वरूप यह घटना हुई है । गृह कार्य मन्त्री को इस बारे में अभी एक वक्तव्य देना चाहिए ।

श्री हेम बरुआ : (मंगलदाई) अध्यक्ष महोदय को सरकार से कहना चाहिए कि वह संसद भवन से धारा 144 हटा दे ।

श्री गणेश घोष (कलकत्ता-दक्षिण) : मैंने भी स्वयं देखा है कि घुड़सवार पुलिस लोगों को पीट रही थी । यह ठीक है कि धारा 144 के होते हुए लोगों को गिरफ्तार किया जाये परन्तु उन्हें पीटना अनुचित है । आप गृह-कार्य मन्त्री को आदेश दें कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार ने नोट कर लिया है । गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री कह रहे हैं कि उनके पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

मैं यह नहीं कह सकता कि वास्तविकता क्या है । हां, इस क्षेत्र में धारा 144 लागू है । यदि उसका उल्लंघन हो और हिंसात्मक कार्य हों तो सरकार को स्थिति से निपटना ही होगा । माननीय सदस्यों ने कुछ बातें उठाई हैं । किन्तु सरकार की ओर से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है । इसलिए सरकार को चाहिए कि वह तथ्यों को जानकारी लेकर कि तथ्यपूर्ण वक्तव्य इस सभा में दें । ऐसा यथासम्भव शीघ्र किया जाना चाहिए ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : आपने स्थिति को ठीक प्रकार से स्पष्ट किया है । हमें प्रदर्शन में रुचि नहीं है । परन्तु एक बात जो महत्व की है वह यह कि क्या लोगों को संसद में आने और अपने प्रतिनिधियों को मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा ? इसमें तो सभा का अपमान होगा । मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह सभा के समक्ष तथ्य रखें ।

संसद कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : जैसा कि मेरे सहयोगी ने

कहा हैं हमें इसकी पूर्व सूचना नहीं थी कुछ घटनाएं जरूर हुई हैं। वह इस मामले में जांच करेंगे और तथा सभा के सामने रखेंगे।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : आपने जो आदेश दिया है उसका सरकार पालन करेगी और सभा में आज या कल वक्तव्य दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सम्भव हो सका, तो वह सभा की आज की बैठक स्थगित होने से पहले ही वक्तव्य देंगे।

राष्ट्रपति (कृत्यों का निर्वहन) विधेयक—जारी

THE PRESIDENT (DISCHARGE OF FUNCTIONS) BILL—(*Contd.*)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महाजन अपना भाषण जारी रखें।

श्री विक्रम चन्द महाजन : मैं कह रहा था कि राष्ट्रपति के पद पर नियुक्ति के लिये तीन अथवा चार वैकल्पिक पदाधिकारियों को उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है जिनमें लोक सभा के अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। सरकार ने मुख्य न्यायाधीश को इसके लिए चुना है। इसमें किसी पर आक्षेप नहीं है।

यह विधेयक अनुच्छेद 70 के अन्तर्गत लाया गया है। संविधान के इस अनुच्छेद में संसद को ऐसा कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 65 के अन्तर्गत उपराष्ट्रपति द्वारा कृत्यों के निवर्हन की व्यवस्था है। यह कुछ विशेष परिस्थितियों के लिये है जिनमें राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी और अन्य कोई कारण हो सकता है।

संविधान में अनुच्छेद 65 (1) और 65 (2) में अन्तर स्पष्ट है। वैसे सरकार को कार्य निभाना' और 'कार्यवाहक होना' के अन्तर को स्पष्ट करना चाहिए। नहीं तो बाद न्यायात इस कानून को रद्द कर सकते हैं।

हमें इस बात पर विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए कि कुछ परिस्थितियों में कौन राष्ट्रपति के पद पर आसीन होगा। इस प्रश्न को सद्भावना में हल किया जाना चाहिए। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : हमारा संविधान बहुत व्यापक है। परन्तु फिर भी इसमें सभी परिस्थितियों के लिए व्यवस्था नहीं हो सकती। अब एक ऐसी ही बात सामने आयी है। यदि किसी कारण से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं तो उसके लिए व्यवस्था करना अत्यावश्यक है। अतः मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ।

हमारे राष्ट्रपति के पद का विशेष महत्व हैं। राष्ट्रपति केवल नाम के राष्ट्रपति नहीं। यह अलग बात है कि गत 20 वर्षों में हमारे प्रधान मन्त्री एक तेज तथा जिद्दी व्यक्ति थे, और हमारे राष्ट्रपति एक बहुत विनम्र व्यक्ति थे जिस कारण राष्ट्रपति के पद का महत्व कम हो गया। हमें राष्ट्रपति के अधिकारों तथा कृत्यों के बारे में विवेचन करना चाहिए। भविष्य में इस पद का महत्व और भी बढ़ जायेगा।

राष्ट्रपति के अधिकारों और संवैधानिक स्थिति का अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि बाद में कोई कठिनाइयां उत्पन्न न होने पायें।

राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा और महान पद है अतः उसकी नियुक्ति के बारे में साम-प्रदायिकता को नहीं लाया जाना चाहिए। सत्तारूढ़ दल धर्मनिरपेक्षता की बातें करता है किन्तु व्यवहार में वह इसके विपरीत काम करता है। राष्ट्रपति का पद एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। यह किसी दल विशेष से सम्बन्धित पद नहीं है। वह राज्याध्यक्ष होता है। किसी विशेष दल का अध्यक्ष नहीं होता।

अतः इस पद पर किसी योग्य व्यक्ति को चुना जाना चाहिए।

वह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसने सार्वजनिक जीवन में विशिष्टता प्राप्त की हो और जिसे प्रशासनिक अनुभव हो और जो निष्पक्ष हो जो जनता में विश्वास उत्पन्न कर सकता हैं।

लोकतन्त्र में राष्ट्रपति को आस्था होनी चाहिए। हमारे देश में लोकतन्त्रात्मक प्रणाली है। यदि राष्ट्रपति की लोकतन्त्र में आस्था नहीं होगी तो लोकतन्त्र विरोधी तत्व लोकतन्त्र को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। वह भ्रष्ट व्यक्ति नहीं होना चाहिये। वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो विदेशों के प्रभाव में न आये। वह सत्यनिष्ठ व्यक्ति होना चाहिए।

वह स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए और वह राष्ट्रीयवादी होना चाहिए इसकी राष्ट्रीयवादिता के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश के हित की रक्षा की जाये और देश में एकता बनी रहे।

विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर कौन व्यक्ति उस पद पर कार्य करेगा। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और यदि वह उपलब्ध नहीं होगा तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की इस पर नियुक्ति की जायेगी।

सम्भवतः ऐसा राज्यों में राज्यपाल का पद रिक्त होने के लिए की गई व्यवस्था के अनुसार किया गया है। लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति के पद में भिन्नता है। राष्ट्रपति का निर्वाचित पद है राज्यपाल का निर्वाचित पद नहीं है। संविधान में भी यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता न रखता हो। किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति पद पर नियुक्त करने से कठिनाइयां उत्पन्न होगी। सरकार को एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उस पद पर लोक सभा अध्यक्ष और अध्यक्ष की सेवाएं उपलब्ध न होने पर उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाये।

मैं मुख्य न्यायाधीश और लोक सभा के अध्यक्ष दोनों का ही आदर करता हूं। लेकिन यह सिद्धांत का मामला है। अध्यक्ष के यदि अस्थायी तौर पर राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया जाये तो उनको लोक सभा की सदस्यता को छोड़ने के लिए नहीं कहना चाहिए। यदि सरकार इस प्रकार का संशोधन लाती है तो यह संशोधन समस्त सदन को स्वीकार होगा और विधेयक पूर्ण मत से पास हो जायेगा।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिला) : संविधान के अनुच्छेद 70 में यह उपबन्ध है कि किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों निर्वहन के लिए संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध बना सकेगी। सरकार ने इस पद के लिये मुख्यन्यायाधीश का नाम प्रस्तुत किया है। यह उचित चयन है। अनुच्छेद 70 में राष्ट्रपति के कार्य का उल्लेख किया गया है ऐसी स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है जब किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना पड़े। राष्ट्रपति का पद पूर्णतया रिक्त होने पर संविधान में उपराष्ट्रपति को उस पद पर नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है।

विधेयक में ऐसी स्थिति का उल्लेख किया गया है जब उप-राष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना पड़ता है उप-राष्ट्रपति को किन्ही परिस्थितियों में राष्ट्रपति का कार्य करना पड़ता है हमने एक पद राज्य सभा के उपाध्यक्ष का बनाया है। संविधान में यह व्यवस्था है "कि उप-राष्ट्रपति, पदेन, राज्य सभा का सभापति होगा।' सामान्यता उसके पास कोई कार्य नहीं होता इसलिए उसे यह कार्य सौंप गये हैं।

कोई भी व्यक्ति, जो अनुच्छेद 70 के अन्तर्गत कार्य करता है, वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता अपितु वह राष्ट्रपति का कार्य निष्पादन करता है।

संविधान के अनुच्छेद 52 में उल्लेख किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं होगा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके सब अधिकार विशेषाधिकार और कार्य, यद्यपि कानूनी रूप से उपराष्ट्रपति करता है फिर भी हम उसे राष्ट्रपति नहीं कहेंगे।

इस विधेयक में कोई भी बात असंवैधानिक नहीं है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कानून बनाकर उस पद पर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में काम करने के लिये नियुक्त किया जा सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 95 में व्यवस्था की गई है कि जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब उपाध्यक्ष, अथवा, यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो, लोक सभा का ऐसा सदस्य, जिसे राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करें, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

जहां तक राष्ट्रपति की स्थिति का सम्बन्ध है, उसके पद रिक्त होने पर उस पद पर उपराष्ट्रपति को नियुक्त किया जाना चाहिए।

श्री एस० कण्डप्पन (मैंदूर) : यह दुःख की बात है कि सरकार ने इस बारे में कोई कानून नहीं बनाया। यह ताज्जुब की बात है कि सरकार ने विधेयक पुःरस्थापित करने से पूर्व विरोधी दलों से सलाह नहीं ली। यदि विरोधी दल के नेताओं से सलाह की गई होती तो इस विधेयक में सुधार हो गया होता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति पद पर नियुक्त करने से बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। राज्यों में राज्यपाल की अनुपस्थिति में मुख्यन्यायाधीश कुछ समय के लिये राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। कुछ समय बाद उस पद पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अतः इस बारे में गम्भीर समस्याएं उत्पन्न नहीं होतीं। मुख्यन्यायाधीश को राष्ट्रपति बनाने से चुनाव की तैयारी में लगे छ महीने के भीतर बहुत से विधेयक आयेंगे जो उनके पास हस्ताक्षर

के लिये जायेंगे । गृह मंत्री ने एक बात और स्पष्ट नहीं की है कि मुख्यन्यायाधीश को राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किये जाने के बाद क्या मुख्यन्यायाधीश अपने पद से वंचित हो जायेंगे । यदि वह मुख्य न्यायाधीश पद से नहीं हटेंगे तो इससे एक प्रकार की असंगति उत्पन्न होगी । नया राष्ट्रपति चुने जाने के बाद क्या वह अपने पद पर वापिस चले जायेंगे या वह सेवानिवृत हो जायेंगे । मुख्यन्यायाधीश द्वारा अपने पहले पद पर जाने के बाद उनके द्वारा विधेयक को दी गई अनुमति की वैधानिकता के विरुद्ध की गई अपील में उन्हें निर्णय देने से समस्या जटिल हो जायेगी । अतः यह उचित होगा यदि मुख्यन्यायाधीश को कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त न किया जाये । मुझे आशा है सरकार विपक्षी दलों की इस मांग को स्वीकार करेगी कि मुख्यन्यायाधीश को राष्ट्रपति के पद पर न नियुक्त किया जाये और इस पद पर लोक सभा के अध्यक्ष को नियुक्त किया जाये । माननीय मंत्री यह बतायें कि राष्ट्रपति के पद पर लोक सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य-सभा के सभापति और उपसभापति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर, जैसा विधेयक में प्रस्ताव है नियुक्त करने में क्या कठिनाई है । यह दुःख की बात है कि सरकार ने इस बारे में विपक्षी दल से सलाह नहीं ली है ।

श्री मोहसिन (धारवाड़ दक्षिण) : संविधान के अनुच्छेद 70 में यह उल्लेख किया गया है कि आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिये संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबन्ध बना सकेगी । इस प्रकार की आकस्मिकता पहले उत्पन्न नहीं हुई थी । हमें इस प्रकार की आकस्मिकता की व्यवस्था करनी है ।

इसके बारे में धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख किया गया है । धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सब समुदायों द्वारा अपने-अपने धर्म का स्वतन्त्र रूप से अनुसरण किया जाना और उसमें कोई बाधा न होना । यदि किसी देश में हिन्दू सम्मेलन होगा तो सरकार वहां कुछ प्रतिनिधि अवश्य भेजेगी ।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि यदि मुख्यन्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश को राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया जाना है तो उनकी आलोचना भी की जायेगी । अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को राष्ट्रपति पद पर नियुक्त करने पर भी उनकी इसी प्रकार आलोचना की जायेगी । मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश को स्थायी तौर पर राष्ट्रपति पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा । उनकी नियुक्ति 6 महीने से अधिक समय के लिये नहीं होगी ।

यदि इस पद पर मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश चुना जाता है तो वह इसलिए चुना जाता है कि वह इस पद के लिये योग्य व्यक्ति है और वह सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं । ऐसे सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की आवश्यकता है । अतः इस विधेयक को बिना संशोधन के पारित किया जाना चाहिए ।

श्री वासुदेवन नायर (परिमोड) : कुछ सदस्य राष्ट्रपति को और अधिक अधिकार तथा विशेषाधिकार देने का प्रयास कर रहे है जिनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है ।

हमें यह बात अपने मस्तिष्क में स्पष्ट रखनी चाहिए कि भारत का राष्ट्रपति केवल नाम मात्र को है ।

इसके लिये सरकार भी दोषी है क्योंकि 1967 के चुनावों के बाद सरकार ने बहुत से

राज्यों में राज्यपालों को ऐसे अधिकार देने का प्रयास किया है जो वास्तव में संविधान के अनुसार उन्हें नहीं दिये गये । यदि हम इस बात को साफ़ तौर से समझ लें कि राष्ट्रपति को मंत्री मंडल के परामर्श को पूर्णतः मानना अनिवार्य है तब हम इस चर्चा में निष्पक्ष रूप से भाग ले सकते हैं । इस बारे में हमारे विचार श्री बलराज मधोक के विपरीत है परन्तु हमारा दृष्टिकोण संविधान के अनुकूल है ।

जब हमारे प्रथम राष्ट्रपति ने संविधान की स्थिति को अन्य रूप में परिभाषित करने की चेष्टा की तब हमारे प्रथम प्रधान मंत्री ने मत व्यक्त किया था कि हमारे राष्ट्रपति को अनिवार्यतः मंत्री मण्डलीय निर्णयों पर चलना पड़ता है । राष्ट्रपति का पद उतना शक्ति-सम्पन्न भले ही न हो, किन्तु वे हमारी संस्कृति, एकता एवं बुद्धिमता के प्रतीक है ।

गृह मंत्री ने बताया कि उन्होंने चयन किया है जिसमें मुख्य न्यायाधिपति को चुना गया है । हमारा मत है कि लोक सभा का अध्यक्ष जिसका सम्बन्ध सार्वजनिक जीवन से अधिक होता है तथा उसका संसद् के लिये निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है ।

हम जनता के लिए न्यायाधीशों को ही वरीयता देते हैं । मेरी उनके प्रति कोई असम्मान की भावना नहीं परन्तु मेरा वक्तव्य है कि जज लोग विशेषतः सामाजिक परिवर्तन तथा अन्य मामलों में रूढ़िवादी होते हैं । इसलिए राष्ट्रपति के पद के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का ही चयन किया जाना चाहिए जो जनता का व्यक्ति हो और जो उनकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझता हो ।

अध्यक्ष को हम राष्ट्रपति पद के लिए अधिक उचित समझते हैं । इस मामले को सरकार और विरोधी पक्ष में विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए ।

सरकार को विरोधी दल के नेताओं से इस बारे में परामर्श करना चाहिए । ऐसा करने में वे कुछ खराबी नहीं है ।

राष्ट्रपति को ऐसी शक्तियों से युक्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए जोकि उसमें निहित नहीं हैं । इसलिए हम अध्यक्ष के पक्ष में हैं ।

एक माननीय सदस्य : और तब उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री वासुदेवन नायर : निश्चय ही इसी प्रकार आगे क्रम चलना चाहिए । परन्तु कठिनाई तब आती है जब मेरे मित्र तालिका में दिए गए समापतियों को भी उसमें सम्मिलित करना चाहते हैं ।

श्री हेम बरुआ : सभापति तालिका का सदस्य होने के नाते मैं इस आशा में था ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा पीठ लकड़ी की निर्मित एक कुर्सी है, जो भी इस पर आसीन होता है, उसे एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को निभाना पड़ता है ।

श्री रा० धो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : इस मामले में दो सिद्धान्तों पर विचार किया जाना चाहिए और उनका अनुपालन होना चाहिए । एक है शक्तियों का पृथक्करण जैसा कि संविधान में दिया गया है और दूसरे है निर्वाचन का सिद्धांत जोकि प्रजातंत्र का मूल है ।

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए]

[Shri Vasudevan Nair *in the Chair*]

शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त का आचार्य मोनटेस्क्यू था जिसका स्पष्ट मत था कि यदि न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का एकीकरण हो जाता है तो स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है। यही सिद्धान्त हमारे संविधान का आधार रहा है और प्रस्तुत विधेयक में भी हमें उसे स्थान देना चाहिए।

शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त के अनुसार विधायक शक्तियों को कार्यकारी शक्तियों से तथा कार्यकारी शक्तियों को विधायक एवं न्यायपालिका शक्तियों से सर्वथा प्रथक रखना चाहिए।

दूसरे मुख्य न्यायाधिपति का पद निर्वाचित न होकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया पद है। प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायित्व की प्रक्रिया को बदलना होगा। "प्रश्न कर्तव्यों को निभाने" का है जो शब्द संविधान में प्रयुक्त हुए हैं।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): सिद्धान्तों के सांविधानिक पहलू पर चर्चा करते हुए हमें शब्दों का उचित अर्थ लेना चाहिए।

श्री नाथपाई : मुझे प्रसन्नता है कि गृह मन्त्री को 48 घण्टे में ही यह विश्वास हो गया है कि संविधान में शब्दों के उचित अर्थ होते हैं।

श्री रा० ढो० भण्डारे : राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के अभाव में कौन राष्ट्रपति के उत्तरदायित्वों तथा कर्त्तव्यों को निभाए ? मेरा मत है कि अध्यक्ष को ही ऐसा उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए।

श्री गोविन्द मेनन : इसमें कार्यकारी तथा विधायी शक्तियों के पृथक्करण का प्रश्न है।

श्री रा० ढो० भण्डारे : अध्यक्ष जनता द्वारा तथा इस सदन द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि है। वह इस सभा का सभापतित्व करता है। अध्यक्ष अपना पद-धारण करते समय राष्ट्रपति पद के लिए अर्हता से वंचित रहता है परन्तु उस बाधा को एक साधारण विधेयक द्वारा दूर किया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि उपराष्ट्रपति के पश्चात अध्यक्ष को राष्ट्रपति का कार्य भार सम्भालना चाहिए।

श्री राममूर्ति (मुदरै) : यह उत्तरदायित्व का प्रश्न नहीं क्योंकि वह तो निर्वाचन द्वारा निश्चित होता है। यहां विचारणीय विषय यह है कि ऐसी आकस्मिकता में जब उप-राष्ट्रपति भी राष्ट्रपति का पद-भार न सम्भाल सके तब क्या व्यवस्था होनी चाहिए ? गृह मंत्री ने कहा है कि सरकार का कोई दृष्टिकोण नहीं है। केवल इसी लिए कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायाधिपति परम्परा से उसका कार्य सम्भालता है, यह प्रस्ताव रखा गया है। परन्तु वस्तु स्थिति यह है कि राज्यपाल एवं मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं तथा राज्यपाल की अनुपस्थिति में भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति इससे भिन्न निर्णय भी ले सकता है।

इस पर हमें दो दृष्टियों से विचार करना चाहिए । एक तो ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहिए जिसका सामान्य कार्य राष्ट्रपति के कार्यों से विरोध न रखता हो। जब भारत के न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्य करते हुए किसी विधेयक को अपनी अनुमति देते हैं तो उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी । इस प्रकार न्यायधिपति एवं राष्ट्रपति के पदों में विरोध है ।

राष्ट्रपति भले ही नाम मात्र का शासक है परन्तु उन्हें देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है । इसलिए थोड़ी अवधि के लिए भी न्यायधिपति को राष्ट्रपति नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि उसे जन-समर्थन प्राप्त नहीं होता । यदि इस महान पद का सम्मान बनाये रखना है तो इसमें निर्वाचन का तत्त्व आवश्यक है । सरकार को इस संशोधन पर आग्रह नहीं करना चाहिए।

संविधान की धारा 59 में स्पष्ट उपबन्धित किया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नही होना चाहिए और यदि वे इनमें से किसी का सदस्य है तो वह सदस्य नहीं रहेगा। अस्थाई राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रश्न नहीं उठता । इस धारा के रहते हुए किसी और व्यवस्था की आवश्यकता नहीं क्योंकि यह अध्यक्ष को राष्ट्रपति बनाने में बाधक नहीं । मैं गृह मंत्री से निवेदन करता हूँ कि इस विधेयक को पारित करने में जल्दबाजी न बरते और हमारे संशोधन को स्वीकार करने पर विचार करें ।

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh): I support the amendments proposed by Shri Nath Pai and others as this is a very important metter leving little to do with political parties.

[श्री रा० डो० भण्डारे पीठासीन हुए]

[Shri R. D. Bhandare *in the Chair***]**

We have felt for the first time the necessity of introducing this legislation.

The Parliamentary form of Government has an advantage that it allows the house to function above party level.

The President and the Vice-President commend respect of the nation because there are elected offices ; whereas Governors are appointed by the President. The short term vacancies of Governor's office are filled by deputing High Court judges. We must examine that how far it is fair to keep judiciary so near to the executive. The judges are appointed in various commissions and committees of enquiry. These people usually adjourn the meeting after half an hour sitting and as such the process takes many years, whereas it could otherwise be finalised much early.

After half an hour the Tribunal adjourns and the proceedings for that day are postponed. In this way it takes years. This is not justice. Justice delayed is justice denied. I therefore urge that this work should be entrusted to the judge. Naw-a-days the judges care for diplomatic and other appointments. Hence the judiciary and the judges should be kept impartial and protected against the encroachment by the executive Judges are not elected but the Vice-President is an elected person and hence it devolves on us to send an elected person to occupy such a high office. I suggest that the name of the Speaker or the Deputy Speaker of Lok Sabha should be substituted for the Chief Justice.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : The Memorandum appended to the Bill says, "Dr. Jakir Husain passed away . . . Government Considered if necessary to enact legislation under Article 78 of the Constitution urgently." This is far from the reality. The fact is that either the Acting President is keeping bad health or some other person is to be installed as President. Government has got the inkling that the Acting President might tender his resignation in which case both the offices fall vacant.

In a democracy, judiciary is a separate wing and it should be kept independent. Installation of the Chief Justice as acting President would tend to make him a split personality resulting inevitable in split. Justice and split judiciary, as he would be discharging the dual functions of Chief Justice and the President. The Judiciary should not be dragged into the Executive.

Many hon. Members here have also been urging that the Speaker should be elevated to occupy that office in the event of the office of the President and the Vice-President falling vacant simultaneously. I am opposed to this view as the Speaker's office is involves greatest order of impartiality. Now the question arises as to who should be brought to fill the place of the President. Our's is a democracy and we have no dearth of social workers. We have men of eminence like Shri Vinobaji and Shri Jai Prakash Narain who can occupy this office with dignity.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : भारत के राष्ट्रपति का पद असाधारण महत्व ग्रहण करता जा रहा है। आपतकाल में भारत के राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्राप्त हैं वे संसार में किसी भी देश के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं हैं। मैं समझता हूं कि इस विषय पर गृह कार्य मंत्री को विरोधी दलों के नेताओं से परामर्श करना चाहिए था। जउ नक्सलवादियों से निपटन के लिए वह विरोधी दलों के नेताओं बातचीत करना आवश्यक समझते हैं तो राष्ट्रपति के पद से सम्बन्धित उपबन्ध तो उससे कही अधिक महत्व रखते हैं। मैं समझता हूं गृह कार्य मंत्री ने इसमें थोड़ी लापरवाही बरती है।

हम गैर-सरकारी सदस्यों के लिये इस सभा में कुछ कठिनाइयां हैं। यदि कोई सरकारी प्रस्ताव पहले होता है तो उसके लिए स्थानापत्र प्रस्ताव दिया जा सकता है। किन्तु यदि गैर-सरकारी प्रस्ताव पहले होता है तो उस पर सरकार का स्थानापत्र प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता और वह गैर-सरकारी प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। क्या नियमों में ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता कि यदि एक विधेयक सभा के सामने है तो दूसरा विधेयक स्थानापन्न विधेयक के रूप में लाया जा सकता है ? मैंने एक विधेयक प्रस्तुत किया था। किन्तु अब मैं उसे नहीं ला सकता क्योंकि अब सरकारी विधेयक सभा के समक्ष हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

इस विधेयक में कुछ असंगतियां है। श्री चव्हाण एक साधारण विधेयक द्वारा जो कुछ करना चाहते हैं। वह केवल सांवैधानिक संशोधन द्वारा ही किया जा सकता है। आज प्रातः गृह-कार्य मंत्री ने कहा 'यह शपथ है जो मुख्य न्यायाधिपति द्वारा राष्ट्रपति को दिलाई गई है जो अब हमारे राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। भारत में शपथ दो प्रकार की हैं। एक के शब्द हैं : 'मैं कार्य करूंगा, और दूसरी शपथ के शब्द है : 'मैं कृत्य निभाऊंगा'। दोनों शपथों के लिए अलग-अलग परिस्थितियाँ होती हैं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हम इसको स्वीकार करते हैं।

श्री नाथ पाई : मुझे प्रसन्नता है कि आप इससे सहमत हैं। राष्ट्रपति ने जो शपथ ली थी वह पहले वाली शपथ थी। चूंकि ये दोनों शपथें दो भिन्न भिन्न परिस्थितियों के लिये हैं इसलिये संविधान में इसके लिये दो अलग अलग अनुच्छेद हैं 65 (1) और 65 (2)। श्री गोविन्द

मेनन अच्छे वकील हैं और उनके लिये मेरे दिल में बड़ा सम्मान है किन्तु यहां वह अपनी सारी शिक्षादीक्षा को भूल जाते हैं और कहते हैं कि मंत्री कोई गलती नहीं कर सकता। अतः गृह कार्य मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह विधि मंत्री की बातों को ध्यान में न लायें।

अनुच्छेद 65 (1) में यह उपबंधित है "राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु त्यागपत्र आदि द्वारा रिक्त होने की अवस्था' में उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा" अनुच्छेद 65 (2) में उपबंधित है : "जब राष्ट्रपति अपनी अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्य न निभा सके..." । अनुच्छेद 70 में कहा गया है :

> "राष्ट्रपति के कृत्यों के निभाये जाने के लिये संसद जो भी उपबन्ध उचित समझे कर सकती है"...

अतः आप राष्ट्रपति के पद की रिक्तता की अवस्था में अनुच्छेद 70 का आश्रम नहीं ले सकते। अनुच्छेद 70 अ च्छेद 65 (2) के लिये ही उपबन्ध करता है। और एक साधारण संकल्प द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है। क्योंकि इसमें यह नहीं दिया गया कि "संसद के अधिनियम द्वारा।" किन्तु अनुच्छेद 65 (1) में यह अपेक्षित है कि केवल सांवैधानिक संशोधन द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है।

विधेयक बड़ी चालाकी से तैयार किया गया है। आरम्भ में "रिक्तता" शब्द का उल्लेख किया गया है और फिर कृत्यों के निभाने की बात कही गई है। वे समझते हैं कि एक साधारण बिधेयक से काम चल जायेगा। उन्होंने विधेयक में "कार्य करेगा" शब्द का प्रयोग नहीं किया है।

संविधान, निर्माताओं की इच्छा क्या थी इस पर अनुच्छेद 160 महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। इसमें कहा गया है :

> "राष्ट्रपति, आपतकाल में एक राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निभाये जाने के लिये जो भी उपबंध ठीक समझे कर सकता है..."

राज्यपाल नाम निर्देशित किया जाता है और कोई भी व्यक्ति उसके कृत्यों को निभा सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को हटाया जा सकता है, किन्तु राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता। केवल मृत्यु, त्याग पत्र आदि की हालत में ही उसका पद खाली होता है। अनुच्छेद 160 के अनुसार इसके लिये कोई कानून पास करने की आवश्यकता नहीं है। यह अनुच्छेद 70 जैसा ही है।

अब यदि कार्यकारी राष्ट्रपति किसी कारणवश त्यागपत्र देना चाहे तो श्री चव्हाण को इसकी चिन्ता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति केवल उपराष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र दे सकता है और किसी को नहीं। अतः वह त्यागपत्र नहीं दे सकता। श्री गिरी अपना त्यागपत्र अपने आपको कैसे दे सकते हैं ? अतः इस मामले में हमें व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

इस विधेयक में सांवैधानिक कठिनाइयों के अतिरिक्त कुछ और भी कठिनाइयां हैं। पहली बात तो यह है कि भारत की न्यायापालिका, कार्यपालिका और विधानमंडल से पूर्ण रूप से अलग और स्वतंत्र है।

इसके अतिरिक्त मुख्य न्यायाधिपति को राष्ट्रपति का कार्यभार सौंपने से उसका दोहरा व्यक्तित्व बन जाता है। उसको राज्य पाल के प्रतिवेदन पर कार्यवाही करनी होगी और इससे उसकी निष्पक्षता कायम नहीं रहेगी ।

अब मैं अध्यक्ष के प्रश्न को लेता हूं । कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि मेरे द्वारा प्रस्तावित उपबंध को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अध्यक्ष निर्वाचित होता है । उन्होंने इस अनुच्छेद को उद्धरित किया है :

"राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा ।"

किन्तु यदि हम ध्यानपूर्वक सोचें तो पता चलेगा कि यह अनुच्छेद 54 और 55 अनुच्छेदों के अंतर्गत चुने गये राष्ट्रपति पर लागू होता है । यदि यह अध्यक्ष पर लागू होता है तो मुख्य न्यायाधिपति पर भी लागू होता है । अतः अनर्हता का कोई प्रश्न नहीं है ।

दो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं । एक श्री हेम बरुआ का है । उनका संशोधन यह है कि लोक सभा के अध्यक्ष के बाद राज्य सभा के उपसभापति और उसके बाद लोक सभा के उपाध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए हमें चुनाव पद्धति को अपनाना चाहिये । राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधिपति के पदों में कोई मेल नहीं होना चाहिये । आज इस सिद्धांत का उल्लंघन किया जा रहा है । मैं आशा करता हूं कि गृह-कार्य मंत्री राष्ट्र के हित को ध्यान में रखेंगे ।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : डा० जाकिर हुसैन के निधन से हमें पता चला है कि हमारे संविधान में भी कितनी त्रुटियां हैं ।

मैं एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसके अनुसार क्रम इस प्रकार होगा : राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधिपति और उसके बाद लोक सभा के अध्यक्ष । राष्ट्रपति का स्थान बहुत ऊंचा है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यह पद ऐसे व्यक्ति को दिया जाना चाहिये जो अपनी ईमानदारी के लिये सुविख्यात हो ।

मैं यह आशा करता हूं कि जब अध्यक्ष महोदय अथवा सर्वोच्च न्यायाधीश कार्य-वाहक राष्ट्रपति के पद को छोड़े तो उन्हें स्वतः ही अपने पहले पदों पर जाने की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिये ।

समय के बीतने के साथ-साथ राष्ट्रपति के पद नितान्त नाममात्र के लिये नहीं रखना चाहिए । डा० जाकिर हुसैन हमारी धर्म निर्पेक्ष एकता के प्रतीक बन गये थे । उन्होंने जनता का सदाचार बहुत ऊंचा उठाया था । परन्तु हमें यह मानना पड़ेगा कि जैसे केन्द्र दुर्बल पड़ता जायेगा, एक शक्ति सम्पन्न व्यक्ति जो सदा एकता बनाए रखने में प्रसिद्ध हो, एवं एकता का प्रतीक बने वही राष्ट्रपति के उच्चतम पद को प्राप्त कर सकता है । हम में से अनेक को यह भय है कि 1972 में किसी भी राजनीतिक दल का इस सदन में बहुमत नहीं होगा । ऐसी स्थिति में राष्ट्र का विश्वास बनाए रखने के लिए उपयुक्त राष्ट्रपति के चयन की आवश्यकता होती है । हम जानते है कि केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध बहुत नाजुक हो रहे हैं और भविष्य में ऐसी कठिनाइयां रहेंगी । इसलिए राष्ट्रपति के चयन अथवा एक से ही उत्कृष्ट मनुष्यों में से उत्तराधिकार की उपयुक्त व्यवस्था करने की बहुत अधिक आवश्यकता है । मेरा अनुमान है कि देश में ऐसी स्थिति नहीं

आने वाली और यदि आगामी वर्षों में यह स्थिति हो जाती है कि संसद राष्ट्रपति को और अधिक अधिकार दे दे तो उस समय एकता बनाए रखने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

इस सदन के अध्यक्ष महोदय का भी राष्ट्रपति के उत्तराधिकार में चौथा स्थान होना चाहिए।

यह बहुत दुःख की बात है कि डा० जाकिर हुसैन की मृत्यु के तत्काल पश्चात् ही राष्ट्रपति के पद के लिए चर्चा चल पड़ी थी कि किसे राष्ट्रपति बनाया जाए। राष्ट्रपति का चयन निर्पेक्ष भाव से करना चाहिए, इस के लिए जाति एवं धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए अपितु वह अपनी सत्यनिष्ठा एवं एकता के लिए देश में प्रसिद्ध होना चाहिए।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : अनुच्छेद 70 के निर्वचन से मूल मत भेद पैदा होता है। हम तो सदा यह बात स्वीकार करते हैं कि ये दो कार्य भिन्न हैं। प्रथम राष्ट्रपति का कार्य करना तथा दूसरा राष्ट्रपति के कार्य कृत्यों को निभाना। संविधान में ये दो प्रकार की परिकल्पनाओं की सम्भाव्यताएं है। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा और यदि राष्ट्रपति असमर्थ हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य कृत्यों का निर्वाह करेगा। अनुच्छेद 70 क्या है, इसके सम्बन्ध में मेरा निर्वचन यह है कि यह एक अवशिष्ट अनुच्छेद है और इसके द्वारा संसद को यह अधिकार दिया हुआ है कि इन दोनों आकस्मिकताओं के अतिरिक्त यदि कोई तीसरी अन्य आकस्मिकता आए तो संसद उसके लिए व्यवस्था करे। इसलिए जब ऐसी आकस्मिकता आ जाए कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति का कार्य करने के लिए कोई व्यक्ति तो होना ही चाहिए और यदि राष्ट्रपति अक्षम हो जाएं तो उनके कार्य-कृत्यों का निर्वाह करने के लिए भी कोई अवश्य होना चाहिए, इससे मैं सहमत नहीं हूँ।

यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए उपराष्ट्रपति नहीं हो, तब किसी व्यक्ति को तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करना ही पड़ेगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ इसकी यही वास्तविक एवं सर्वसाधारण व्याख्या है।

ऐसा कहा गया है कि इसके लिए संकल्प पास करके यह व्यवस्था की जा सकती है। यह बिल्कुल सम्भव है और मैं भी इसे स्वीकार करने से इन्कार नहीं करता हूँ। परन्तु मान लो कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाएं और संसद भी नहीं चल रही हो अर्थात संसद का सत्रावसान हो गया है तो संसद को कौन बुलायेगा। इसलिए संसद को इस प्रकार का संकल्प पास करने के लिए संसद का सत्र चलना आवश्यक हो जाता है। अतः इस प्रकार की सम्भावनाओं तथा अकस्मिकताओं पर निर्भर न करते हुए और संसद को वैधानिक रूप में इस प्रकार का अधिकार देने की व्यवस्था करने के लिए ही उस विधेयक को प्रस्तुत किया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने न्यायपालिका एवं कार्यपालिका को पृथक करने के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायाधीश से प्रश्न किया है। इसमें बहुत ही थोड़ा अन्तर है और दोनों के कार्य बिल्कुल भिन्न-भिन्न हैं। उस समय जब भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्य-कृत्यों का निर्वहन करते हैं तो वे सर्वोच्च न्यायाधीश को नहीं छोड़ते हैं और सर्वोच्च न्यायाधीश के पद का कार्य नहीं

करते हैं। इनमें स्पष्ट अन्तर यही है। क्या राष्ट्रपति का पद कार्यकारी पद है। राष्ट्रपति कार्यांग का प्रधान नहीं हैं, वह तो राज्य का प्रधान है। परन्तु वास्तव में सरकार का प्रधान तो देश का प्रधान मंत्री ही होता है। यदि प्रधान मंत्री तथा सर्वोच्च न्यायाधीश के कृत्यों को आपस में मिला दिया जाए तो न्यायपालिका एवं कार्यपालिका दोनों का मिश्रण हो जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान मण्डल की शक्तियों के पृथक करण के चरम सिद्धान्त की वास्तव में हमारे संविधान में स्वीकृति नहीं है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का प्रस्ताव वास्तव में व्यावहारिक हैं जिसे नीति के रूप में कार्यान्वित किया जा सकता है। इनके आपस में परस्परव्यापी होने की सम्भावना है।

जहां तक निर्वाचन सिद्धान्त का सम्बन्ध हैं मैंने इसे गलत नहीं बताया है। मेरा तर्क तो यही था कि यदि यह सिद्धान्त वास्तविक रूप में उत्तराधिकार होता तो निर्वाचन सिद्धान्त के मामले को समझा जा सकता था। यह वास्तव में उत्तराधिकार नहीं है क्योंकि इससे अल्पकाल तक के लिए है कार्य किया जा सकता है। सम्भवतया एक सप्ताह के भीतर ही उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित किया जा सकता है जिससे कि वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सके। यदि इस निर्वाचन सिद्धान्त को अल्प काल तक के लिए लागू किया जाए और उसका विस्तार से ब्यौरा देने का प्रयास किया जाए तो यह कोई श्रेष्ठ बात नहीं होगी। जब हम इसे अल्पकालीन व्यवस्था मानते हैं तो हम उस बात को मानते हैं जो राज्यपालों के विषय में पहले से ही स्थापित की हुई है, जब मुख्य न्यायाधिपति राज्यपाल के रूप में कार्य करता है। मैं समझता हूँ कि यहां पर भी इसी सिद्धान्त को अपनाया जाए।

श्री नाथपाई : आप यह स्वीकार करते हैं कि राज्य पाल राष्ट्रपति द्वारा नामित होकर ही अपना कार्य भार वहन करता है, जबकि राष्ट्रपति केवल पांच वर्ष के लिए ही राष्ट्रपति पद का कार्य करता है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ऐसी कोई बात नहीं है कि वह राज्यपाल का कार्य करता है। वह राज्यपाल तो नहीं बन जाता।

श्री नाथपाई : अनुच्छेद 60 में स्पष्टरूप से उपबन्धित है कि वह राज्य पाल के कृत्यों का निर्वहन करेगा ताकि वह राज्य का कार्य करेगा।

श्री राममूर्ति : मुख्य न्यायाधीश एक साथ दो पदों—मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल के पद नहीं सम्भाल सकता। जब राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को अल्पकाल के लिए राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन करने का आदेश देता है तो मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल नहीं बन जाता। वह तो केवल उसके कृत्यों का निर्वहन करता है। अन्यथा वह मुख्य न्यायाधीश के पद पर नहीं रह सकता और एक समय में दो पदों का कार्यभार नहीं ले सकता।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : निर्वाचन सिद्धान्त का तर्क तो बहुत वैध है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के मैंने जो कारण दिए हैं वे बहुत ही न्यायसंगत तथा सत्य निष्ठ हैं।

मैं यह भी कहता हूँ कि राष्ट्रपति सरकार के परामर्श पर ही अपना कार्य करता है। तो वह राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है तथा जब वह मुख्य न्यायाधीश के कृत्यों का निर्वहन

करता है तो उस समय मुख्य न्यायाधीश होता है। अतः ये दोनों पद-न्यायपालिका तथा कार्यपालिका-बिल्कुल अलग-अलग हैं। जब वह मुख्य न्यायाधीश के पद की प्रतिवर्ति स्थिति में आता है तो वह अपनी राय को भी बदल सकता है। मैं समझता हूँ कि स्थिति अब बिल्कुल स्पष्ट है। वह राष्ट्रपति के कार्य करता हुआ उपराष्ट्रपति है। यह स्थिति अब मान्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि कुछ कि विशेष आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

अब हम सम्पूर्ण संशोधनों पर आम चर्चा करेंगे।

इस विधेयक पर खण्डवार वाद विवाद न करके इसके पारित होने की अन्तिम अवस्था में कुछ सदस्यों को बोलने का समय दूंगा। इस विधेयक को खण्डवार पास करेंगे और इसके पश्चात् अन्तिम अवस्था में भी सदस्यों को बोलने का समय दिया जायेगा।

प्रश्न यह है :

कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने

That Clause 2 stand part of the Bill

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड को 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill

खंड—3

Clause—3

नाथपाई, मैं संशोधन संख्या 1, 2, 3
प्रस्तुत करता हूँ।

श्रीचन्द गोयल, मैं संशोधन संख्या 4, 6, 7
प्रस्तुत करता हूँ।

हेम बरुआ, मैं संशोधन संख्या 10
प्रस्तुत करता हूँ।

जार्ज फरनेन्डीज, मैं संशोधन संख्या 12, 13, 14
प्रस्तुत करता हूँ।

शिव चन्द्र झा, मैं संशोधन संख्या 15
प्रस्तुत करता हूं :

डा० कर्णी सिंह, मैं संशोधन संख्या 16

प्रस्तुत करता हूँ।

शिव चन्द्र झा, मैं संशोधन संख्या 19, 21

प्रस्तुत करता हूँ

जनार्दन जगन्नाथ शिकरे, मैं संशोधन संख्या 25, 28 और 30

प्रस्तुत करता हूँ।

क० नारायण राव, मैं संशोधन संख्या 32, 36, 37, 39, 40 और 41

प्रस्तुत करता हूं।

समर गुह, मैं संशोधन संख्या 43 से 52

प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नाथपाई : मैं अपने सब संशोधनों पर विभाजन चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप विभाजन की मांग करते है तो यह आपका अधिकार है।

श्री नाथपाई : मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि यह मेरे प्रति बहुत उदार रहा है। गृह-कार्य मन्त्री महोदय ने अपने भाषण के अन्त में यह बहुत ही उचित कहा कि सरकार ने दोनों विकल्पों पर गौर किया। दोनों ही उचित और अच्छे थे अर्थात ऐसी व्यवस्था कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार सम्भालेंगे अथवा राष्ट्रपति रूप में कार्य करेंगे और दूसरी वह व्यवस्था जिसका हमने सुझाव दिया और जिसके अनुसार इसका उत्तराधिकार अध्यक्ष उप-सभापति राज्य सभा उपाध्यक्ष को प्राप्त होना चाहिए लेकिन सरकार ने निर्णय किया कि इसका अधिकार मुख्य न्यायाधीश को होना चाहिए। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर वे इस बात से सहमत हो गये हैं कि दोनों विकल्प अच्छे हैं तो वे इस बात पर क्यों अड़ते हैं कि उनके विचार को ही माना जाये ?

यदि माननीय मन्त्री महोदय इस बात को मानते हैं कि इसमें दो विकल्प हैं और वह इस बात को भी जानते हैं कि मेरे सुझाव को सबसे अधिक समर्थन प्राप्त हुआ है और वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि मेरे सुझाव में निश्चित सिद्धान्त अधिक है तो वे मेरे सुझाव को स्वीकार न करने के बारे में क्या तर्क दे सकते हैं। वह केवल यह कह सकते है कि ये अपना-अपना विचार है। अतः इसको स्वीकार किया जाना चाहिए ? अगर वे इस बात को जानते हैं कि अब तक जो सदस्य बोलें हैं जिनमें उनके दल के दो बहुत महत्वपूर्ण तथा वरिष्ठ सदस्य भी शामिल हैं, मेरे साथ सहमत हैं और अगर वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि मेरा सुझाव भी अच्छा है। मैं नहीं समझता कि इस से सहमत होने और इसे स्वीकार करने में अब क्या कठिनाई है। मैं नहीं सोचता कि यह कोई एक अच्छा तर्क है अगर कोई यह कहे कि यह मेरा अपना विचार ऐसा है और इसीलिए इसको अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए।

[श्री गाडिलिंगन गौड पीठासीन हुए।]

[Shri Gadilingana Gowd *in the Chair*]

यदि मेरे द्वारा दिये गये सुझाव को अधिकतर सदस्य स्वीकार कर रहे हैं तो श्री यशवन्तराव

चव्हाण को कुछ उदारता प्रकट करनी चाहिये। मैं सोचता हूँ कि वे मेरे द्वारा पेश किये गये संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मैं संशोधन संख्या 4 और 7 के बारे में कह रहा हूँ। एक सफल प्रजातंत्र में विपक्षी को संरचनात्मक तथा उत्तरदायी और सरकार को अनुक्रियात्मक होना चाहिए। यहां हमें एक विचित्र असंगति का सामना करना पड़ रहा है कि विपक्ष द्वारा दिये गए तर्कों के औचित्य को समझते हुए भी गृह-कार्य मंत्री विपक्ष की मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वास्तव में यह विपक्ष की ही मांग नहीं है बल्कि उनके दल के सदस्यों ने भी इस सुझाव के बारे में अपना पूर्ण समर्थन प्रकट किया है। मैंने अनेक देशों के 25 प्रजातंत्रात्मक संविधानों का अध्ययन किया और यह देखा कि प्रायः उन सब में ऐसी परिस्थिति के आने पर तुरन्त चुनाव के लिए व्यवस्था की जाती है, यह केवल भारतीय संविधान है जिसमें यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति का चुनाव छः महीने में हो जाना चाहिए! अन्य देशों में प्रातः तुरन्त ही, एक हफ्ते के अन्दर या 15 दिन में अथवा अधिक से अधिक एक महीने में चुनाव हो जाता है, केवल एक या दो देशों में 60 दिन की अवधि की व्यवस्था की गई है। लेकिन हमारे यहां 6 महीने की समय सीमा है। इसीलिये, इन कृत्यों का निर्वहन करने वाला व्यक्ति हमारे संविधान में बड़ा महत्व प्राप्त करता है। मैं गृह-कार्य मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे इस समय सीमा को घटायें। मैं सोचता हूँ कि दो महीनों के अन्दर चुनाव की व्यवस्था करने में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो सकती।

यह विधेयक जल्दी-जल्दी में तैयार किया गया। जब माननीय गृह-कार्य मन्त्री को इस बात का पता लगा कि श्री नाथपाई ने इस विषय के बारे में एक विधेयक पेश कर दिया है, तो उन्होंने अपने मंत्रालय को एक विधेयक तैयार करने का आदेश दिया ताकि इस विषय के सम्बन्ध में सूझबूझ तथा पहल कदमी का श्रेय विपक्ष को प्राप्त न हो सके। अतः उन्होंने जल्दी-जल्दी में विधेयक का प्रारूप तैयार करवाया और सदन के सम्मुख ले आये।

मैंने 26-30 संविधानों का अध्ययन किया है और उनमें से प्रत्येक में, मैंने देखा है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर इस पद को मुख्य न्यायाधीश की अपेक्षा अध्यक्ष अथवा संविधान सभा के प्रधान को सौंपने की व्यवस्था की जाती है। केवल बर्मा का संविधान एक अपवाद है। वहां ऐसी स्थिति के उत्पन्न होने पर एक आयोग की व्यवस्था की गयी है। उस आयोग में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा दोनों सदनों के अध्यक्ष होते हैं।

आस्ट्रिया के संविधान में ऐसी स्थिति के उत्पन्न होने पर यह व्यवस्था हो कि जब संघीय राष्ट्रपति अपने कार्यभार को संभालने योग्य नहीं होता अथवा उस पद के स्थाई रूप से सिद्ध होने पर संघीय चान्सलर उस भार को सम्भालता है। संघीय चान्सलर का स्थान दूसरे नम्बर पर उठता है, उस देश में ये शक्तियां उस व्यक्ति को दी गयी हैं जो बहुत बड़े जनमत से निर्वाचित हुआ है न कि मुख्य न्यायाधीश को।

बोलिविया में भी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, पदों का उप राष्ट्रपति अन्तरिम काल के लिए कार्यभार सम्भालता है। अगर उप-राष्ट्रपति उपलब्ध न हों तो सीनेट का अध्यक्ष उस पद को सम्भालता है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं।

ब्राजील के संविधान में भी राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने पर यह पद दोनों सदनों के अध्यक्षों को देने की व्यवस्था की गई है। मुख्य न्यायाधीश को तीसरा स्थान दिया गया है।

सभा संविधानों के अवलोकन के पश्चात मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि किसी भी देश के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन की व्यवस्था नहीं है। सामान्यत: सभी संविधानों में बिना किसी अपवाद के ऐसे कार्य सदनों के अध्यक्षों को सौंपे जाते हैं।

ऐसी ही व्यवस्था चिली, कोष्टारिका, क्यूबा, फिनलैंड, जर्मनी, इसराइल, तुर्की आदि देशों में भी हैं।

अत: मेरा कहना यह है कि गृहकार्य मन्त्री महोदय इस बात को स्वीकार करते हैं कि दोनों विकल्प उचित और अच्छे हैं। उन्होंने इस बात की व्यवस्था कर दी थी जब उनको विपक्ष के तथा अन्य सदस्यों के विचार मालूम नहीं थे। अब इस सदन के सदस्य तथा समग्र विपक्ष मेरे अथवा श्री नाथपाई के सुझाव को समर्थन दे रहे हैं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

इस सम्बन्ध से मेरा संशोधन यह है कि इसमें लोक सभा के अध्यक्ष का नाम भी सम्मिलित किया जाना चाहिये और उप-राष्ट्रपति के बाद इन्हें प्रथम स्थान दिया जाना चाहिये। इनके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश को स्थान दिया जाना चाहिए। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे इस संशोधन को स्वीकार कर लें और अध्यक्ष को इस अधिकार से वंचित न करें।

इस सम्बन्ध में एक बात और है। मुख्य न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायधीश के पद की हैसियत से उन अनेक समस्याओं के बारे में अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिये जो देश के सामने हैं, चाहे वह आर्थिक समस्या हो, अथवा वैदेशिक मामला हो या सामाजिक समस्या। क्योंकि वह राष्ट्रीय समस्याओं से दूर रहते हैं, और अगर अचानक इन समस्याओं का सामना करने के लिए उनको बुलाया जाय तो वह इनके साथ पूरा न्याय नहीं कर पायेंगे। अत: यह वांछनीय है कि अध्यक्षकों, जोकि निर्वाचित अधिकारी नहीं है, उत्तराधिकारियों की इस सूची में शामिल किया जाय। वह इन अनेक समस्याओं पर विचार करने में समर्थ हैं।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैं माननीय गृह-कार्य मन्त्री के इस कथन से पूर्णत: सहमत हूँ कि इस विधेयक को उत्तराधिकार विधेयक न कहा जाय, क्योंकि यह उत्तराधिकार का मामला नहीं है। यह तो केवल एक अन्तरिम बन्दोबस्त विधेयक है। कुछ भी हो, हम मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के पद का कार्यभार सौंपने के विरुद्ध है, इसमें चुनाव का सिदान्त अन्तर्ग्रस्त है। क्योंकि हमारा देश प्रजातंत्रात्मक है और हमारा संविधान कहता है कि हमें इस देश में प्रजातंत्र के सिद्धांत की रक्षा करनी चाहिये, अत: उस सिद्धांत की रक्षा के लिये लोक सभा के अध्यक्ष को राष्ट्रपति के पद के अधिकारियों की पंक्ति में ले आना चाहिये। इनके बाद, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाये, तो यह स्थान राज्य सभा के उप-सभापति अथवा लोक सभा के उपाध्यक्ष को प्राप्त होना चाहिए न कि मुख्य न्यायाधीश को क्योंकि अगर न्यायपालिका के सदस्यों को इस प्रकार का लालच दिया गया तो देश में न्याय ठीक-ठीक नहीं हो पायेगा। अत: मैं गृह-कार्य मंत्री महोदय

से, जोकि एक बड़े लोक तंत्री हैं, और जिन्होंने पहले ही यह कह दिया है कि हमारे द्वारा सुझाये गये संशोधन विधेयक में किये गये उपबन्ध की भांति ही अच्छे हैं, निवेदन करता हूँ कि हमारे संशोधनों को स्वीकार कर लें।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Chairman, in clause 3 of this Bill, my amendments are that the words ;

"Chief Justice of India or in his absence, the seniormost Judge of the Supreme Court of India available".

May be substituted by the words.

"Social worker of the all India states."

You will make the Chief Justice as President for a short period but what will happen to Judiciary, where it will go ?

It has also been said that the Speaker should be given this office because he is elected. You know, it is a very impartial office. For the time being you can say that it is a political chair. If he is given that office, he becomes our impartial President but the machinery through which he will become the Acting President will be a political party and it will be a Political manipulation. On becoming as Acting President he will be tempted to become the permanent President and then the impartiality of the Chair will not remain. Therefore, I do not support this view that the Speaker should be given the office of the President.

There are people in the country who do not crave for any office of importance and have no attraction for any such things and are engaged in the task of social Welfare.

Keeping in view the unfavourable circumstances, centre—state relations, border disputes, economic conditions in the country, we should entrust the office of the President to a person who has been serving the society for a long time, who has a long history of human service in the country at his credit and has been enjoying the respect from the people.

Therefore, the office of the President should be given to the social worker of the all India Status like Shri Jai Prakash Narain instead of Chief Justice and the Speaker. This is my amendment that the social worker of all India status should be made President.

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : सभापति महोदय, मैं पहले व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हुआ था, गृह कार्य मंत्री महोदय के उत्तर को सुनकर मेरा व्यवस्था का प्रश्न और अधिक मजबूत हो गया है। गृह-कार्य मंत्री ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति का पद सम्भालने पर उनका पहला पद समाप्त नहीं होता।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य खण्ड पर बोल रहे हैं अथवा व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री स० कुण्डू : मैं खण्ड 3 तथा संशोधनों के बारे में बोल रहा हूं। मैं श्री नाथपाई के संशोधन का समर्थन कर रहा हूं। यदि आप चाहते हैं कि मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अवश्य करना चाहिए तो विधेयक में इस बात का उपबन्ध होना चाहिये कि जितनी अवधि तक वे राष्ट्रपति का कार्य करें उतने समय तक वे मुख्य न्यायाधीश के पद से अलग रहें। हमारे संविधान के अनुसार मुख्य न्यायाधीश एक साथ दो पदों पर नहीं रह सकता।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद 71 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति

तथा उप-राष्ट्रपति के चुनावों से सम्बंधित विवादों का निपटारा करेगा। ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब कि वह मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा था वापिस अपने पद पर आ जाये और ऐसे विवादों पर निर्णय करे जो राष्ट्रपति के रूप में उसके कार्यकाल में उत्पन्न हों। इससे बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न होगी और न्याय नहीं हो सकेगा। अत: मेरा विनम्र सुझाव है कि यदि आप यह कहना चाहते हैं कि मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करना चाहिए तो आप को तुरंत यह भी कहना चाहिये कि वह राष्ट्रपति के पद को सम्भालने के बाद कभी भी मुख्य न्यायाधीश के पद को नहीं सम्भालेंगे।

राष्ट्रपति को मंत्रिमण्डल से सलाह लेनी होती है अर्थात उसे एक ऐसे दल द्वारा परामर्श दिया जाता है जो सरकार को चलाता है। इन परिस्थितियों में यदि मुख्य न्यायाधीश किसी ऐसे पद पर कार्य करता है जिसे किसी राजनीतिक दल द्वारा परामर्श दिया जाता है तो न्याय के मामलों में पक्षपात हो जाने की बहुत सम्भावना है। अत: मैं श्री नाथ पाई द्वारा पेश किये गये संशोधन को स्वीकार किए जाने के बारे में आग्रह करता हूँ जिसमें उन्होंने लोक सभा के अध्यक्ष को राष्ट्रपति के कृत्यों को निर्वहन का भार सौंपने के बारे में कहा है।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Mr. Chairman, I attentively heard the Speech of Shri Nath Pai. I think the necessity of this discussion would not have arises if his suggestion or his earlier Bill, submitted to the Speaker also, would have been accepted. In this Bill they mention of the Speaker has been made. The Speaker ceases to be the member of the Party from the day of his election because it is our Convention. He has to run the House independently. Shri Nath Pai has rightly given the name of the Speaker for the office of the President.

If we bring the Chief Justice in this office for 15 days and during this period election is completed it will be a strange thing. Therefore, if such a situation arises, we should bring forward some elected candidate. Take for example, the problem of Berubari. It is posible that it may be entrusted to Supreme Court for decision and a decision may be given thereby the Chief Justice and then he will give a decision as a President of India which will be a decision of the Council of Ministers. It is not proper that he should take a decision in the capacity of the President and another decision on the same the capacity of the Chief Justice of the Supreme Court. I want to say that a person who has not occupied an office through election, should not be allowed to be the President of India. So I consider the clause 3 very important. The discussion on it should be adjourned and the Home Minister should given reply to it tomorrow.

Shri Shinkre (Panjim) : I want to make an appeal to the Home Minister that he should accept the amendment which has been moved. Today I saw the Home Minister in a fix to decide. In such a situation he should accept the amendment moved by a member of opposition. I wish that the Speaker and the Deputy Speaker should also be in the line of succession. All parties have given support to my amendment. So I request the Minister to accept the amendment.

श्री क० नारायण राव (बोब्विली) : मैंने यह संशोधन पेश किया है कि 'उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश' शब्दों के स्थान पर 'उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध सबसे बड़े मुख्य न्यायाधिपति' शब्द रखे जायें।' इस विधेयक में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश से तात्पर्य उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से हैं। यदि मुख्य न्यायाधिपति ही राष्ट्रपति बनेगा तो उसे संविधान के अनुच्छेद 60 के अन्तर्गत शपथ कौन दिलवायेगा। इसी व्यवस्था के लिये मैंने उपरोक्त संशोधन पेश किया है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा यह निवेदन है कि यह विधेयक शीघ्रता में तैयार किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे तो यह विधेयक समाप्त हो जायेगा। गृह मंत्री ने उस संकटपूर्ण स्थिति की, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद ही रिक्त हो जायें, अनुच्छेद 70 के आधार पर व्याख्या की हैं। परन्तु राष्ट्रपति के कर्त्तव्य वहन करने के बारे में स्थिति स्पष्ट है। केवल आकस्मिक रिक्तता के समय ही उपराष्ट्रपति के कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा। मेरे विचार से इस प्रकार का विधेयक संविधान संशोधन के रूप में लाया जाना चाहिये था। इस विधेयक में इस बात पर भी विचार नहीं किया गया है कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधिपति तीनों में ही पद एक साथ रिक्त हो जाते हैं तो उस स्थिति में कौन व्यक्ति राष्ट्रपति होगा। उस विधेयक में एक और दोष है। वह यह कि कर्त्तव्यों के 'निर्वहन' शब्दों बारे में। जब तक विधेयक में ये शब्द रहेंगे तब तक वह अनुच्छेद 65 (1) और (2) की शर्तों को पूरा नहीं कर सकेगा। अतः मैंने यह संशोधन पेश किया है कि इन शब्दों के स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कृत्य वहन करना, शब्द रखे जाये।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : अधिकतर पुराने ही तर्कों को दुहराया गया है। जहां तक किसी बड़े और महत्वपूर्ण जनसेवक को चुनने का प्रश्न है, उसके चुनने में बहुत बड़ी बाधा आयेगी। श्री गोयल के सुझाव के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि हम राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी के बारे में निर्णय नहीं कर रहे हैं। हम तो एक व्यवस्था करना चाहते हैं। श्री शिकरे ने कहा कि मैं दुविधा में हूँ। मेरा जो मत है वह दृढ़ है। परन्तु मैं आपके अच्छे विचारों को सुनना चाहता हूँ और अपने तर्कों का औचित्य आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैं प्रस्तावित संशोधन स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

सभापति महोदय : अब मैं सब संशोधनों को सभा में मतदान के लिये रखता हूँ। श्री नाथपाई, आप अपने किस संशोधन पर मतदान करना चाहते हैं।

श्री नाथपाई : मैं बाद में बताऊंगा। मेरे संशोधन पृथक-पृथक हैं। यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 1, पंक्तियां 10 से 12,—

"The Chief Justice of India or, in his absence, the seniormost Judge of the Supreme Court of India available shall discharges the function of" ;

["भारत का मुख्य न्यायाधिपति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा"] शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जायें :

"(1) The Speaker of Lok Sabha ;

(2) The Deputy-Speaker of Lok Sabha ;

(3) The Deputy-Chairman of Rajya Sabha."

["(1) लोक सभा का अध्यक्ष ।

(2) लोक सभा का उपाध्यक्ष ।

(3) राज्य सभा का उप सभापति ।

उस क्रम में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे ।"]

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में 41 **विपक्ष में 164**

The Lok Sabha divided

Ayes : 41 ; Noes : 164.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The Motion was negatived

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं नियम 155 के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ । चूंकि यह विधेयक संविधान में संशोधन करता है इसलिए इसे संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक माना जाये ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम) : चूंकि सरकार को यह डर था कि संविधान में संशोधन करने के लिये उन्हें अपेक्षित बहुमत न मिलेगा इसलिये सरकार इस विधेयक को साधारण विधेयक के रूप में लाई है ।

श्री नाथपाई : आप मेरे द्वारा पेश किये गये संविधान में संशोधन करने विधेयक को क्यों नहीं स्वीकार कर लेते ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपने यह तर्क पहले नहीं दिया था । आपने यह नहीं कहा था कि यह संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक है । अतः मैं इन तर्कों को अब स्वीकार नहीं करता । अब मैं संशोधन संख्या 2 को मतदान के लिए रखता हूँ ।

संशोधन संख्या 2 सभा के मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The Amendment No. 2 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

4 "पृष्ठ 1, पंक्ति 10,—

"otherwise" (अन्यथा) के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े जायें :

"The speaker of the Lok Sabha or in his absance,"

(लोक सभा का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में)

"The Speaker of the Lok Sabha or in his absence,"

सभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में 35, विपक्ष में 165

The Lok Sabha divided

Ayes : 35 ; Noes : 165.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The Motion was negatived

श्री शिव चन्द्र झा : मैं सभा की अनुमति से अपना संशोधन संख्या 15 वापस लेता हूँ ।

संशोधन, संख्या 15 सभा की अनुमति से वापस लिया गया

Amendment No. 15 was by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड 3 के लिये पेश किये गए शेष सभी संशोधनों पर एक साथ लिया जाएगा ।

सभी शेष संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

All remaining Amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड 3 पर मतदान होगा । सभा कक्ष खाली किए जाये । प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।"

"that clause 3 stand part of the Bill."

सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 167 विपक्ष में 43

Ayes : 167 ; Noes : 43.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

खण्ड 3 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं :

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र, तथा विधेयक के अंग बने ।"

"that clause 1, the Enacting Formula and the Tittle stand part of the Bill."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री यशवन्तराव चव्हाण : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव का समर्थन करने वाले हाँ, और इसका विरोध करने वाले 'ना' कहें ।

श्री नाथपाई : श्रीमान हम तीसरे वाचन पर बोलना चाहते हैं।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप सबकी ओर से श्री विश्वनाथम बोलेंगे।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मैं अपनी ओर से ही बोलना चाहूँगा। पहली बात यह है कि यदि यह विधेयक पास हो गया तो वह संविधान के उपबंधों के बाहर होगा। संविधान का अनुच्छेद 70 संसद को नियमित विधान प्रक्रिया के अन्तर्गत कानून बनाने का अधिकार नहीं देता। उसमें संसद को कानून बनाकर व्यवस्था करने का अधिकार नहीं दिया गया है। दूसरी बात यह है कि सरकार संविधान से संशोधन करने की प्रक्रिया अपनाये बिना ही उसमें संशोधन करना चाहती है। शायद सरकार यह रास्ता इसलिये अपना रही है कि उसे नियमित रूप से इस कानून को पास करने के लिये अपेक्षित बहुमत नहीं मिलेगा। माननीय गृह मंत्री कहते हैं कि अनुच्छेद 70 का वह यह अर्थ निकालते हैं। हम कहते हैं कि हमारे विचार से अनुच्छेद 70 का अर्थ वह नही है जो गृह मंत्री ने समझा है। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 70 की ठीक व्याख्या क्या है इसका निर्णय न्यायालय ही करेगा। मेरा विचार है कि न्यायालय इसे अवैध घोषित करेगा और सरकार को संसद में संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक लाना होगा। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार जल्दी न करे और संसद के अगले सत्र में संविधान (संशोधन) विधेयक लाये। जहाँ तक लोक सभा के अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधिपति से एक का चयन करने का सम्बन्ध है, हम सब अध्यक्ष का समर्थन करते हैं। चाहे इसके लिए अध्यक्ष को चुना जाये या मुख्य न्यायाधिपति को, तत्सम्बन्धी कानून संविधान (संशोधन) के रूप में लाना चाहिए।

श्री श्रीनिवास मिश्र : श्रीमान, अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक से संविधान में संशोधन होता है अथवा नहीं। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों के बहुमत तथा सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई मतो से पास किया जाना चाहिए। 'लोक सभा प्रक्रिया नियम' के नियम संख्या 155 के अनुसार भी संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक पर मतदान अलग से होना चाहिए और उसे सभा के कुल सदस्यों का बहुमत तथा सभा में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।

मेरे विचार से यह विधेयक संविधान में संशोधन करने वाला है। यदि अनुच्छेद 70 संसद को ऐसा कानून बनाने का अधिकार भी देता है तो भी उसे अनुच्छेद 368 या प्रक्रिया नियम के नियम संख्या 155 के अनुसार पारित किया जाना चाहिए। वर्तमान विधेयक के खंड 2 को मौखिक मतदान के आधार पर पास किया गया। खंड 3 को दो-तिहाई बहुमत प्राप्त न होने से पारित नहीं समझा जाना चाहिये। अतः उक्त विधेयक को इस प्रकार पारित नहीं किया जाना चाहिए और यदि वह पारित हो जाता है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी इस विधेयक को स्वीकृति नहीं देनी चाहिए।

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : Mr. Deputy Speaker. Sir, the discussion on this Bill could have been cut short if the Home Minister had made a democratic approach. There are no two opinions about the fact that there should be some arrangement to meet the contingency. But we want that there should be some elected person to act as President while the Minister is adament to have a nominated person for this office. We have suggested the name of the Speaker for this office while government is in favour of the Chief Justice of India. If Government do not favour the Speaker some other alternative may be found out. But on the contrary, the Minister is getting it passed hurriedly and thus he is putting the whole country and democracy in a critical situation.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : श्रीमान् मुझे और अधिक कुछ नहीं कहना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ ।

The Motion was adopted

राज्य सभा से संदेश

Messages from Rajya Sabha

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) कि राज्य सभा ने अपनी 15 मई, 1969 की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया है कि स्थपति विधेयक, 1968 दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जिसमें राज्य सभा के 15 सदस्य, अर्थात :—

(1) श्री एम० रत्नास्वामी

(2) श्री प्रेम मनोहर

(3) श्री रेवती कांत सिन्हा

(4) श्री नरिन्द्र सिंह ग्रार

(5) श्री यू० एन० महीडा

(6) श्री मोहन धारिया

(7) श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी

(8) श्री ग्रानन्द चन्द

(9) श्री मुद्दुमाला हेनरी सेमुग्रल

(10) श्री बहारुल इस्लाम

(11) श्री एन० श्रीरामा रेड्डी

(12) श्री सैयद हुसैन

(13) श्री सिनाम कृष्ण मोहनसिंह

(14) श्री ए० सी० गिलबर्ट

(15) श्री सी० एल० वर्मा

और लोक-सभा के 30 सदस्य हों और सिफारिश की है कि लोक-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और उक्त संयुक्त समिति में लोक-सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम उस सभा को बताये ।

(दो) कि राज्य सभा ने अपनी 15 मई, 1969 की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया है कि अवक्रय विधेयक, 1968 दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें राज्य सभा के 15 सदस्य, अर्थात :—

(1) श्री सूरज प्रसाद

(2) श्री देवी सिंह

(3) श्री बांका बिहारी लाल

(4) श्री एम० आर० वेंकटारामन्

(5) श्री एस० ए० ख्वाजा मोइदीन

(6) श्री आर० टी० पार्थसारथी

(7) श्री सन्दा नारायणप्पा

(8) चौधरी ए० मुहम्मद

(9) श्री शेर सिंह

(10) श्री बी० एस० सावनेकर

(11) श्री भूपिन्दर सिंह

(12) श्री ए० जी० कुलकर्णी

(13) श्री वी० के० कौल

(14) श्री जोगेन्द्र सिंह

(15) श्री बीरेन राय

और लोक-सभा के 30 सदस्य हों और सिफारिश की है कि लोक-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और उक्त समिति में लोक-सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम उस सभा को बताये ।

(तीन) कि राज्य सभा ने अपनी 15 मई, 1969 की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1968 दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें राज्य सभा के 15 सदस्य, अर्थात :—

(1) श्री बालचन्द्र मैनन

(2) डा० बी० एन० एंटनी

(3) श्री रतन लाल जैन

(4) श्री बी० एन० मण्डल

(5) श्री जगत नारायण

(6) श्री सैयद अहमद

(7) श्री पूर्णानन्द चेटिया

(8) श्री रिजाक राम

(9) श्री वी० टी० नागपुरे

(10) श्रीमती सीता युद्धवीर

(11) श्री जोकीम आल्वा

(12) श्रीमती अन्नपूर्णा देवी थिमारेड्डी

(13) श्री टी० के० पटेल

(14) श्री पी० सी० मित्रा

(15) पंडित एस० एस० एन० तन्खा

और लोक-सभा के 30 सदस्य हों और सिफारिश की है कि लोक-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और उक्त संयुक्त समिति में लोक-सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम उस सभा को बताये ।

(चार) कि लोक-सभा द्वारा 7 मई, 1969 को जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 1968 में किये गये निम्नलिखित संशोधनों से राज्य सभा अपनी 15 मई, 1969 की बैठक में सहमत हो गई है ।

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1,

"उन्नीसवें" के स्थान पर "बीसवें" रखिये ।

खन्ड 1

2. पृष्ठ 1 पंक्ति 6,—

'1968' के स्थान पर '1969' रखिये ।

खंड 10

3. पृष्ठ 6,—

पंक्ति 8 और 9 हटा दी जायें ।

4. पृष्ठ 6, पंक्ति 10,—

"(तीन)" के स्थान पर "(दो)" रखिए ।

5. पृष्ठ 6, पंक्ति 13,—

"(चार)" के स्थान पर "(तीन)" रखिए ।

संसद भवन के समीप प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य

Statement re. Arrest of Demonstrators near Parliament House

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार अखिल भारतीय युवक संघ और अखिल भारतीय छात्र संघ ने बेरोजगारी के विरुद्ध देश व्यापी अभियान के एक कार्यक्रम के रूप में 15 मई 1969 को राजपथ स्थिति बोट क्लब वाले घास के मैदान, नई दिल्ली में प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी । प्रदर्शन समाप्त होने पर प्रदर्शनकारियों की तीन टुकड़ियों ने उस क्षेत्र में घुसने का प्रयास किया जिसमें सामूहिक प्रवेश पर धारा 144 के अन्तर्गत निषेधात्मक आदेश लागू हैं । ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट ने उन्हें तितर-बितर हो जाने के लिये कहा । जब उन्होंने ऐसा न किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कुल मिलाकर 190 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये जिनमें 11 औरतें और 8 बच्चे भी सम्मिलित हैं । मुझे यह भी सूचना दी गई है कि प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज नहीं किया गया और गिरफ्तारी करने समय कोई भी प्रदर्शनकारी ज़ख्मी नहीं हुआ । गिरफ्तार लोगों को आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जायेगा जहां कानून के अनुसार आगे कार्यवाही की जायेगी ।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 16 मई 1969/26 वैशाख 1891 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 16 May 1969/ Vaisakha 26, 1891 (Saka)

———

आकाशदीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, दिल्ली-6 ।